IAS GS World PCS

Committed To Excellence

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

UPPCS प्रारंभिक परीक्षा

सामान्य अध्ययन का सर्वश्रेष्ठ संस्थान, जिसका लक्ष्य आपको सफलता दिलाना है...

ISO 9001:2015 Certified

IAS GS World PCS

Committed To Excellence

पत्राचार पाठ्यक्रम

Distance Learning Programme

......उच्चस्तरीय एवं विश्वसनीय अध्ययन सामग्री

सिविल सेवा परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है, जिसमें सभी वर्ग, सभी क्षेत्रों, सभी एकेडमिक बैकग्राउंड के अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसे में इस परीक्षा में सफलता पाने हेतु एक बेहतर अध्ययन सामग्री तथा सटीक, गुणवत्तापूर्ण एवं व्यापक मार्गदर्शन की हमेशा ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। GS World सिविल सेवा के क्षेत्र में व्यापक, गुणवत्तापूर्ण एवं सटीक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक संस्था है।

GS World ने स्तरीय शिक्षा का एक मानक स्थापित किया है। संघीय एवं प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा में इसके निर्देशन में सैकड़ों अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वर्तमान में भारत के सुप्रसिद्ध अनुभवी अध्यापक एवं शिक्षाविद् GS World के साथ संबद्ध हैं।

सिविल सेवा परीक्षा के तीनो चरणों-प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के स्तर पर कोचिंग के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करना, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है।

अगर आप किसी कारणवश हमारे नियमित कक्षा कार्यक्रम से जुड़ पाने में असमर्थ है, तो हमारे पत्राचार पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं, तथा यह आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार देगा।

- GS World के पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से आप अपने कार्य से जुड़े रहते हुए भी नियमित कक्षा कार्यक्रम के समतुल्य अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।
- एक बेहतर अध्ययन सामग्री के अनुरुप GS World के पत्राचार कार्यक्रम में तथ्यात्मक जानकारी एवं अवधारणात्मक जानकारी का बेहतर संतुलन है। इसी वजह से सिविल सेवा परीक्षा के बदलते पाठ्यक्रम के अनुरूप हमारी पत्राचार अध्ययन सामग्री सबसे उपयुक्त है।
- GS World का पत्राचार पाठ्यक्रम एक मात्र ऐसा पत्राचार पाठ्यक्रम है जहां पर दोहरे संवाद की व्यवस्था है। यहां पर जो अभ्यर्थी हमारे पत्राचार पाठ्यक्रम से जुड़ते हैं वे समय-समय पर अपने उत्तर लेखन की जांच भी करवा सकते हैं। आप अपने उत्तरों को लिखकर हमारे मेल आईडी (Mail ID) पर भेज सकते हैं। Email : gsworldias@gmail.com

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

Distance Learning Program- DLP

Fee ₹ 18,500/-	GS (Pre. + Mains) + (Printed Booklet) + Class Notes + Class Test + Current Affairs Notes + Current Test
Fee ₹ 22,500/-	GS (Pre. + Mains) + (Printed Booklet) + Class Notes + Class Test + NCERT Pre. + Mains Test + Current Affairs Notes + Magazine & TV Debate Test

Visit us our You Tube Channel GS World IAS Institute & Subscribe...

http://www.gsworldias.com http://facebook.com/gsworld1 WhatsApp No. 9654349902

भारतीय राजव्यवस्था

क्रम	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	संवैधानिक विकास	2
2.	संविधान सभा एवं संविधान निर्माण	7
3.	भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं	10
4.	संघ एवं उसका क्षेत्र	14
5.	मूल अधिकार	19
6.	नागरिकता	27
7.	राज्य के नीति निदेशक तत्व	30
8.	मौलिक कर्त्तव्य	33
9.	संविधान संशोधन	34
10.	संसदीय व्यवस्था	36
11.	प्रधानमंत्री	44
12.	संसद	47
13.	राज्य की कार्यपालिका	59
14.	राज्य का विधानमंडल	63
15.	उच्चतम न्यायालय	67
16.	उच्च न्यायालय	73
17.	केन्द्र-राज्य सम्बन्ध	78
18.	कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान	84
19.	केंद्र शासित प्रदेश	86
20.	स्थानीय स्वशासन	89
21.	सहकारी समितियां	95
22.	अधिकरण	97
23.	अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र	100
24.	संवैधानिक संस्थाएं	105
25.	गैर-संवैधानिक निकाय/संस्थाएं	117
26.	संविधान में किए गए अब तक के संशोधन	129

GS World Committed To Excellence

अध्याय 1

संवैधानिक विकास

संवैधानिक विकास

- भारतीय संविधान का निर्माण कोई क्षणिक प्रक्रिया का परिणाम न होकर एक दीर्घकालिक और सतत् उद्विकास का परिणाम था।
- ईस्ट इण्डिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट के द्वारा की गयी थी। कंपनी के प्रबन्धन की सम्पूर्ण शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यी परिषद् में निहित थी।
- कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिये।
- कालांतर में ब्रिटिश कंपनी ने भारत पर पूर्व नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1858 ई. के सिपाही विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश ताज ने भारतीय शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया जो कि (1947 ई.) स्वतंत्रता प्राप्ति तक चला।
- ध्यातव्य है कि 1773 के चार्टर एक्ट से लेकर 1935 ई. तक के विभिन्न अधिनियम भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में समाहित किए गए।

संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

↓

कंपनी का शासन (1773 से 1858)	ताज का शासन (1858 ई. से 1947 तक)

1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट

यह एक्ट 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया व 1774 में इसे लागू किया गया। इसी एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली, साथ ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गयी।

इस अधिनियम द्वारा 'बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' पद नाम दिया गया। ध्यातव्य है कि वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया।

- गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यी कार्यकारी परिषद् का गठन किया गया, जिसे नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने के अधिकार प्राप्त थे।
- दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गयी।

इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक **सुप्रीम कोर्ट** की स्थापना की गयी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील **प्रीवी कौंसिल** में की जाती थी।

GS World Committed To Excellence

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 1773 ई. के रेग्युलेटिंग एक्ट में निहित दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया था जो **'एक्ट ऑफ सेटलमेंट'** के नाम से भी जाना गया।

1784 के एक्ट के तहत् राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) का गठन किया गया।

- इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया।
- बम्बई तथा मद्रास प्रेसीडेंसियाँ भी गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद् के अधीन हो गयीं।
- इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को 'ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' कहा गया।

1813 का चार्टर एक्ट

- 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कम्पनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया किंतु चीन से तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार 20 वर्षों के लिए कंपनी के हाथों में ही रहने दिया गया।
- इस एक्ट का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया।
- इसी एक्ट के तहत् कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10% लाभांश देने का निश्चय किया गया।

1833 का चार्टर एक्ट

- इसके तहत् कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णत: समाप्त कर दिया गया। इस अनिधियम पर औद्योगिक क्रांति से प्रेरित उदारवादी नीतियों के क्रियान्वयन का प्रभाव भी देखने को मिलता है।
- इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
- भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका को असीमित अधिकार प्रदान किए गए। इसके साथ ही भारतीय कानूनों के पुनर्गठन तथा लिपिबद्ध करने हेतु एक **''विधि आयोग''** स्थापित किया गया।

1853 का चार्टर एक्ट

- इस अधिनियम द्वारा शासन की संसदीय प्रणाली, जैसे-कार्यपालिका व विधानपरिषद् का विचार प्रस्तुत किया गया। जिसमें बिधानपरिषद् ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करती थी।
- इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए नई विधानपरिषद् का गठन किया गया जिसे **भारतीय विधानपरिषद्** कहा गया। विधि सदस्य को अब गवर्नर जनरल के काउंसिल का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया।
- इस अधिनियम में भारतीय **सिविल सेवकों** की भर्ती एवं नियुक्ति हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस सम्बन्ध में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

1858 का चार्टर एक्ट

- यह अधिनियम 1858 की क्रांति के पश्चात् लाया गया था।
- इस अधिनियम का तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया।
- अब गवर्नर जनरल के पदनाम को परिवर्तित कर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में जाना गया।
- नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को भंग कर दिया गया तथा इसकी समस्त शक्तियाँ **'भारत सचिव'** (नव सृजित) को प्रदान की गयीं।
- भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यी विधानपरिषद् का गठन किया गया।

1861 का भारत परिषद् अधिनियम

- इस अधिनियम द्वारा पहली बार विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था की शुरुआत की गयी।
- इस अधिनियम के तहत् विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई।
- वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और पहली बार वायसराय को **अध्यादेश जारी करने** का अधिकार प्रदान किया गया। हालाँकि अध्यादेश की **अवधि मात्र 6 माह** की होती थी।

GS World Committed To Excellence

1892 का भारत परिषद् अधिनियम

इस अधिनियम के तहत् केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गयी। इसके अतिरिक्त विधान परिषद् के कार्यों में वृद्धि की गयी तथा उन्हें (विधानपरिषद् के भारतीय सदस्यों को) बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया।

1909 का भारत परिषद् अधिनियम

- यह अधिनियम **मार्ले-मिंटो सुधार** के नाम से भी जाना जाता है।
- इस अधिनियम के तहत् मुसलमानों के लिए **पृथक निर्वाचन** क्षेत्रों की स्थापना तथा **पृथक मताधिकार** की व्यवस्था कर, **सांप्रदायिक निर्वाचन** प्रणाली का शुभारंभ किया गया।
- लार्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया।
- इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रान्तीय विधानपरिषदों के आकार में अतिशय वृद्धि की गयी। केंद्रीय परिषदों की संख्या अब 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी।
- इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। जैसे-बजट पर चर्चा के दौरान **अनुपूरक प्रश्न** पूछने, बजट पर संकल्प रखने का भी अधिकार दिया गया।
- इसके अतिरिक्त दोनों स्तरों पर विधानपरिषदों में एक-एक भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गयी।

1919 का भारत शासन अधिनियम

इस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है।

- इस अधिनियम को **मॉण्टेग्यू चेम्सफोर्ड** सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
- सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान का विस्तार करते हुए न सिर्फ **मुस्लिमों, सिखों वरन ईसाइयों, यूरोपियों** और **आंग्ल-भारतीयों** के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गयी।
- इस अधिनियम के द्वारा **पहली बार भारत** में **प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली** तथा **द्विसदनीय व्यवस्था** की स्थापना की गयी।
- भारतीय विधानपरिषद् के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात राज्यसभा तथा लोकसभा का सृजन किया गया।
- भारतीय कार्यों की देख-रेख के लिए नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया) की नियुक्ति की गयी।
- इस अधिनियम द्वारा प्रान्तीय विषयों को दो पृथक भागों आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त किया गया।
- आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद् की सहायता से शासन करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर शासन गवर्नर के सानिध्य में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चलाया जाता था।
- केंद्रीय विषय के अन्तर्गत-विदेशी मामले, सुरक्षा, डाक-तार आदि होते थे, जबकि प्रान्तीय विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि, जल संभरण व कृषि आदि शामिल थे।

1935 का भारत शासन अधिनियम

भारतीय संविधान के उद्विकास के क्रम में 1935 का अधिनियम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। उस अधिनियम में **कुल 321 अनुच्छेद** और **10 अनुसूचियाँ** थी।

- इस अधिनियम के तहत भारत में एक फेडरल (संघीय) न्यायालय की स्थापना की गयी।
- इसी अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गयी। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। केन्द्रीय या संघीय सूची में 59 विषय राज्य सूची में (54 विषय) और समवर्ती सूची में 36 विषय थे।
- इस अधिनियम के तहत **प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अन्त कर दिया** गया। इन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया।
- इसके अतिरिक्त राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गयी। यह व्यवस्था 1937 से 1939 तक विद्यमान रही।
- इसके द्वारा **केन्द्र में द्वैधशासन व्यवस्था की स्थापना की** गयी। संघीय विषय को दो भागों में (संरक्षित एवं हस्तांतरित) में विभाजित किया गया।
- इसके तहत् 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय (विधान सभा और विधान परिषद्) व्यवस्था तथा 5 राज्यों में एक सदनीय विधान मंडलों की व्यवस्था की गई।
- भारत राज्य सचिव की परिषद् समाप्त कर दी गई एवं संघीय प्राधिकरण की स्थापना की गयी।

GS World Committed To Excellence

भारतीय स्वाधीनता अधिनियम-1947

यह अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था जिसे 18 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद ने पास किया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है-

- इसने भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र व सम्प्रभु अधिराज्यों का सृजन किया।
- इसने भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया कि वे चाहें तो भारत अथवा पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले सकते हैं।
- इस अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि जब तक नया संविधान अस्तित्व में नहीं आ जाता है, तब तक दोनों राज्यों का शासन 1935 के अधिनियम द्वारा ही संचालित होगा।

क्रिप्स मिशन

द्वितीय विश्वयुद्ध जनित परिस्थितियों के मध्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 22 मार्च, 1942 ई. को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों से वार्ताकर युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने तथा उनसे भविष्य की संवैधानिक प्रगति के बारे में बात करना था।

क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान

- युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वे भारतीय संघ में बने रहें अथवा अलग हो जाएं, भारतीय संविधान के निर्माण होने तक ब्रिटिश सरकार भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी।
- इसके अतिरिक्त क्रिप्स मिशन में यह भी कहा गया था कि भारत को कॉमनवेल्थ में शामिल होने अथवा न होने का अधिकार होगा।

कैबिनेट मिशन योजना

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात ब्रिटेन के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी, 1946 ई. को कैबिनेट मिशन का गठन किया।

- सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. ऐलेक्जेंडर तथा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस को इस मिशन का सदस्य बनाया गया था।
- इस मिशन का उद्देश्य भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना संविधान निर्माण के तरीकों पर आम सहमति के लिए ब्रिटिश भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों और भारतीय राज्यों से बातचीत करना तथा भारत के मुख्य दलों की मदद से कार्यकारी परिषद् का गठन करना था।

नोट: कैबिनेट मिशन तथा भारतीय नेताओं के बीच वार्ता के लिए बैठक शिमला में आयोजित की गयी थी।

प्रमुख प्रावधान

कैबिनेट मिशन के प्रावधान में यह कहा गया कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एक संघ बने जिसके हाथ में सुरक्षा विदेशी मामले आदि से सम्बन्धित सभी मामले होंगे।

- संघ की कार्यकारिणी तथा एक विधायिका का प्रावधान
- एक संविधान सभा का निर्माण करना आदि।

स्मरणीय तथ्य

- ☞ *ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर सन् 1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट पारित किया गया।*
- ☞ *कंपनी शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान तथा गवर्नर जनरल के पद का सृजन 'रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773' द्वारा किया गया।*
- ☞ *सन् 1774 ई. में एक चार सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत् की गई।*
- ☞ *सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा लिमेंटर, चैम्बर्स एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया।*
- ☞ *पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।*
- ☞ *चार्टर एक्ट, 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गयी।*
- ☞ *भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया।*
- ☞ *चार्टर एक्ट, 1833 के द्वारा भारतीयों का प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी संभव हुई।*
- ☞ *1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के 'गवर्नर जनरल' को सम्पूर्ण 'भारत का गवर्नर जनरल' बना दिया गया।*
- ☞ *1853 का चार्टर ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन का अंतिम चार्टर था।*

GS World Committed To Excellence

- 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारतीय मामलों पर सीधे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया।
- शासन संचालन की शक्ति 15 सदस्यीय 'भारत परिषद्' का गठन कर उसे सौंप दिया गया।
- भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय के नाम से जाना जाने लगा।
- ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया द्वारा भारत के संबंध में महत्त्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की गई जिसे भारतीय शिक्षित वर्ग द्वारा अधिकारों का 'मैग्नाकार्टा' कहा गया।
- भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861 द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू की।
- शाही उपाधि अधिनियम, 1876 द्वारा 28 अप्रैल, 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया।
- सर अरूण्डेल समिति की रिपोर्ट पर 1909 ई. में पारित 'भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909' को 'मार्ले-मिन्टो सुधार अधिनियम' कहा गया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 को मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
- महिलाओं को मताधिकार, प्रांतों में द्वैध शासन, केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्था और हाई कमिश्नर की नियुक्ति, भारत सरकार अधिनियम, 1919 की प्रमुख विशेषताएँ थी।
- द्वैध शासन के जन्मदाता 'लियोनिल कार्टिस' को कहा जाता है।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
- वर्तमान भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला भारत सरकार अधिनियम, 1935 है।
- 4 अगस्त, 1935 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से 'अखिल भारतीय संघ' स्थापित कर 'संघीय शासन' की व्यवस्था प्रस्तुत की गयी।

GS World
Committed To Excellence

अध्याय
2

संविधान सभा एवं संविधान निर्माण

संविधान निर्माण की प्रक्रिया तथा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम

- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं ने लगातार एक संविधान सभा के निर्माण की माँग की।
- सर्वप्रथम 1919 में कांग्रेस द्वारा मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के विरोध के क्रम में आत्मनिर्णय सिद्धांत के आधार पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की माँग की गयी।
- फरवरी, 1922 ई. में महात्मा गाँधी ने भारतीयों द्वारा भारत के लिए अनुकूल संविधान निर्माण की माँग की।
- भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार मानवेन्द्र नाथ राय ने रखा।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1928 में संविधान निर्माण के लिए नेहरू समिति (मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में) का गठन किया गया था।
- 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान के गठन की माँग की गयी।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 1938 ई. में जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गयी संविधान सभा की माँग की।
- अन्ततः 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की माँग को स्वीकृति प्रदान की जो 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से जाना गया। तत्पश्चात 1942 के क्रिप्स मिशन व 1946 के कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन का प्रावधान था।
- 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के गठन की व्यवस्था की गई।

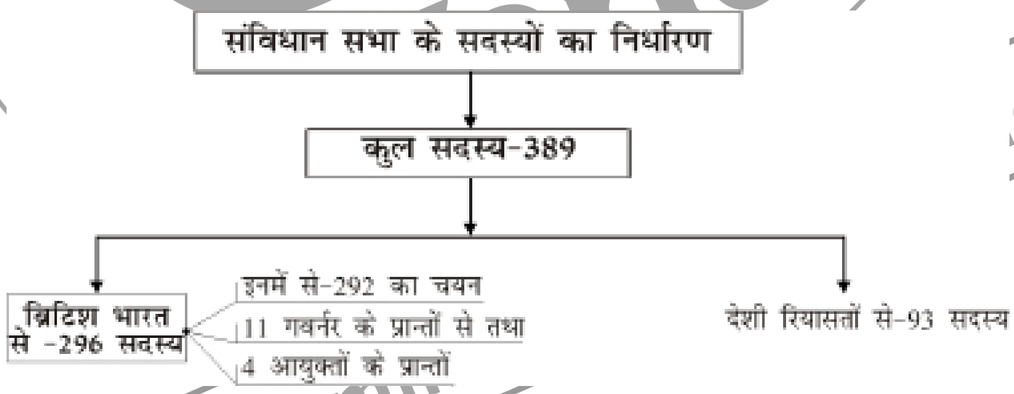

संविधान सभा की संरचना

प्रत्येक ब्रिटिश प्रान्त को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में सम्पन्न हुआ। इस चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त सीटों का विवरण इस प्रकार है:-

- इसमें कांग्रेस को कुल 208 सीटें मिली, जिनमें 3 मुस्लिम तथा 3 सिख भी निर्वाचित हुए थे।
- मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 सीटों पर विजय प्राप्त की जिनमें सर्वाधिक 32 सीटें बंगाल प्रान्त में प्राप्त की थी।
- इसके अतिरिक्त 8 निर्दलीय, 1 कृषक प्रजादल, 1 साम्यवाद, 1 अनुसूचित जाति परिसंघ तथा 1 सिख (कांग्रेस से पृथक) भी निर्वाचित हुए।

नोट: यद्यपि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया फिर भी इसमें सभी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे।

- 20 नवम्बर, 1946 ई. में वायसराय ने निर्वाचित सदस्यों को आमंत्रित किया और संविधान सभा की प्रथम बैठक आहूत करने का निर्णय लिया।
- संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 ई. को संपन्न हुई। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना

गया। इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था।

- मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का माँग करते हुए बैठक का बहिष्कार किया।
- 11 दिसम्बर, 1946 ई. को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तथा एच.सी.मुखर्जी को क्रमश: संविधान सभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना गया।
- 13 दिसम्बर, 1946 ई. को जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढाँचे एवं दर्शन की स्पष्ट झलक थी।
- 22 जनवरी, 1947 को संविधान ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
- 3 जून, 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत् बंगाल व पंजाब में पुन: चुनाव कराया गया। अब बंगाल में 21 सीटें तथा पंजाब में 16 सीटें रह गयीं।

संविधान का निर्माण

संविधान सभा ने संविधान निर्माण के परिप्रेक्ष में विभिन्न समितियों का गठन किया। इनमें 8 प्रमुख समितियाँ तथा उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं:-

क्रम	**समितियाँ**	**अध्यक्ष**
1.	संघीय संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू
2.	संघीय शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
3.	प्रारूप समिति	डा. भीमराव अम्बेडकर
4.	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार बल्लभ भाई पटेल
5.	प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
6.	संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
7.	मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति	सरदार बल्लभ भाई पटेल
8.	राज्यों के लिए समिति	जवाहर लाल नेहरू
इनके अलावा कुछ छोटी समितियाँ थीं:-		
1.	राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति	अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
2.	संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति	अध्यक्ष जी.वी मावलंकर
3.	सदन समिति	अध्यक्ष बी.पी. सीतारमैय्या

प्रारूप समिति

प्रारूप समिति सभी समितियों में सबसे महत्त्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त, 1947 को हुआ था। इस समिति पर संविधान का प्रारूप निर्मित करने का उत्तरदायित्व था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अन्य सदस्यों का विवरण इस प्रकार है-

1. के.एम.मुंशी - बम्बई से निर्वाचित
2. एन.गोपालास्वामी आयंगर
3. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर
4. सैयद मुहम्मद सादुल्ला (असम से निर्वाचित)
5. एन. माधव राव
6. टी.टी. कृष्णामचारी- (ये डी.पी. खेतान के स्थान पर नियुक्त हुए थे)

30 अगस्त, 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। विभिन्न प्रस्तावों और सुझावों के पश्चात भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया तथा इसका प्रथम वाचन (फरवरी, 1948 में) हुआ। इसका कुल 3 वाचन किया गया।

- प्रारूप समिति को प्रारूप तैयार करने में कुल 6 माह का समय लगा तथा इस पर चर्चा के लिए कुल 141 बैठकें आहूत की गयीं।
- 4 नवम्बर, 1948 को अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष तैयार प्रारूप को पेश किया।
- चर्चा परिचर्चा के अनेक दौर से गुजरते हुए 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप को पारित कर दिया गया।
- सभा में कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
- अंतिम रूप से अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना सहित 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं।

GS World Committed To Excellence

- संविधान के कुछ अनुच्छेदों में से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही 26 नवंबर, 1949 को लागू हो गए। संविधान के शेष भाग 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए।
- संविधान सभा द्वारा किए गये कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय
- मई, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया।
- इसके अतिरिक्त 24 जनवरी, 1950 को ही डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने गये।

स्मरणीय तथ्य

☞ *ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की एक तीन सदस्यीय मिशन जिसके सदस्य लॉर्ड पैथिक लारेन्स, ए. वी. अलेक्जेण्डर एवं स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, गठित किया गया।*

☞ *कैबिनेट मिशन पैथिक लारेन्स की अध्यक्षता में सन् 1946 ई. में भारत आया।*

☞ *वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया।*

☞ *भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के अंतर्गत किया गया था।*

☞ *संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित थी जिसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों के, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से एवं 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से चुने जाने थे।*

☞ *संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।*

☞ *11 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया।*

☞ *3 जून, 1947 में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन होना था।*

☞ *18 जुलाई, 1947 ई. को यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।*

☞ *माउंटबेटन योजना के अनुसार, भारत तथा पाकिस्तान दो डोमिनियन राज्यों की स्थापना की गयी।*

☞ *संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया।*

☞ *संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं संवैधानिक सलाहकार बी. एन. राव को बनाया गया।*

☞ *झण्डा समिति एवं रियासत समिति का अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एवं प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया।*

☞ *भारतीय संविधान, संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 ई. को अंगीकृत किया गया।*

☞ *संविधान सभा के तीन वाचन में प्रथम 4 नवम्बर, 1948 एवं अंतिम 14 नवम्बर, 1949 को हुआ था।*

☞ *ध्यातव्य है कि 26 नवम्बर, 1949 ई. भारतीय संविधान को अंगीकार करने तथा 26 जनवरी, 1950 ई. संविधान के पूर्णतः लागू करने की तिथि है।*

☞ *संविधान सभा में व्यस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगित करने की बात मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कही थी।*

GS World
Committed To Excellence

अध्याय 3

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। भारत का संविधान भारत की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप स्वरूप धारण किए हुए है। भारतीय संविधान में भले ही अनेक उपबन्ध विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए हैं फिर भी कई ऐसे तत्व हैं जो इसे अन्य देशों के संविधान से भिन्न पहचान प्रदान करते हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- विशाल संविधान (विश्व का सबसे बड़ा)
  मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग थे।, वर्तमान में (2019) में एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद (25 भाग)-12 अनुसूचियाँ थीं।
- संसदीय सरकार (वेस्टमिनिस्टर पर आधारित)
- नम्यता तथा कठोरता का अनोखा मिश्रण
- मूल अधिकारों की व्यवस्था
- एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका
- एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था
- नीति-निदेशक सिद्धांत
- मौलिक कर्त्तव्य
- संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन
- धर्मनिरपेक्ष राज्य आदि

प्रस्तावना से सम्बन्धित प्रमुख तथ्य

प्रस्तावना अथवा उद्देशिका की संकल्पना की प्रथम झलक अमेरिकी संविधान में देखने को मिलती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इसकी महत्ता को समझते हुए संविधान में इसे समाहित कर लिया।

- 13 दिसम्बर, 1946 ई. को जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना प्रस्ताव लाया गया, जिस पर संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 ई. को स्वीकृत प्रदान की।
- प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, साथ ही इसमें कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद-368 के तहत् ही किए जा सकते हैं।
- प्रस्तावना में अभी तक एक मात्र संशोधन जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से किया गया है। इस संशोधन के तहत् प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखण्डता शब्द जोड़े गए।
- बेरुबाड़ी वाद (1960) में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया।
- केशवानंद वाद (1973) में प्रस्तावना को संविधान भाग स्वीकार किया गया।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया।
- एल.आई.सी. ऑफ इंडिया वाद (1995) में प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना गया।
- प्रस्तावना गैर-न्यायिक है अर्थात् न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है।
- प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति (1789-99) से लिया गया है।

प्रस्तावना के मूल्य तत्व

- संविधान के अधिकार का स्रोत:- प्रस्तावना के अनुसार संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिगृहित करती है।
- भारत की प्रकृति:- यानी भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक देश है।
- संविधान का उद्देश्य:- न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं।

GS World Committed To Excellence

- संविधान के लागू होने की तिथि:- यह 26 नवंबर, 1949 की तिथि को उल्लेखित करती है।

स्मरणीय तथ्य

☞ *संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया।*

☞ *विधि का शासन, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधि निर्माण एवं लोक सभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटिश संविधान से प्रेरित हैं।*

☞ *मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है।*

☞ *राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरिश संविधान से लिया गया है।*

☞ *समवर्ती सूची, केन्द्र-राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन तथा प्रस्तावना की भाषा आस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।*

☞ *आपात उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से, मूल कर्त्तव्य रूसी संविधान से तथा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस के संविधान से लिया गया है।*

☞ *संघीय शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत तथा सशक्त केन्द्र कनाडाई संविधान से लिया गया है।*

☞ *13 दिसम्बर, 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत एवं संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतत: भारतीय संविधान की उद्देशिका बना।*

☞ *42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा उद्देशिका में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' तथा 'अखण्डता' शब्द जोड़े गए।*

☞ *उद्देशिका को 'भारतीय संविधान की आत्मा' कहा जाता है जबकि के. एम. मुंशी ने इसे 'राजनीतिक जन्मपत्री' कहा है।*

☞ *भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है क्योंकि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से) होता है, वह वंशानुगत नहीं होता।*

☞ *उद्देशिका के अनुसार, भारत एक 'धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र' है अर्थात् भारत में राज्य को कोई धर्म नहीं है।*

☞ *भारतीय संविधान की उद्देशिका में तीन प्रकार के न्याय- सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, चार प्रकार की उपासना- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है।*

☞ *राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व 'संप्रभुता' को कहा जाता है।*

☞ *आर्थिक न्याय का उपबंध उद्देशिका के अलावा नीति निदेशक तत्वों में भी किया गया है।*

☞ *भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।*

☞ *शून्य काल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है।*

☞ *ग्रेनविल आस्टिन ने कहा, 'संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था।'*

☞ *भारत का राष्ट्रपति इंग्लैण्ड के सम्राट के समकक्ष होता है।*

☞ *भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है।*

GS World
Committed To Excellence

QUICK REVISION (सारणी द्वारा)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना			
क्रम	**प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द**	**प्रयुक्त शब्दों का विश्लेषण**	**अन्य महत्वपूर्ण तथ्य**
1.	हम भारत के लोग	संविधान भारत के लोगों के नाम से जारी हुआ है। ये लोगों के प्रतिनिधि ही थे, जिन्होंने संविधान तैयार किया इसका अर्थ यह भी है कि शक्ति का अंतिम स्रोत जनता ही है।	संविधान का निर्माण ''संविधान सभा'' ने किया था जिसे भारतीय जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु इसका निर्वाचन परोक्ष रूप से भारतीय प्रांतों की विधान सभाओं ने किया था।
2.	संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न	भारत वर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्णतया मुक्त है अर्थात् भारतीय जनता किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है।	
3.	समाजवादी	आर्थिक और सामाजिक समानता पर आधारित समाज की इस विचारधारा को समाजवाद कहा जाता है।	42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में शामिल।
4.	पंथनिरपेक्ष	धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव तथा जहां सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए, वही पंथनिरपेक्ष है।	42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में शामिल।
5.	लोकतंत्र	ऐसी व्यवस्था जहाँ सरकार जनता द्वारा निर्वाचित है तथा जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। एक निश्चित अंतराल के बाद निर्वाचन होता है।	
6.	गणराज्य	ऐसी व्यवस्था जहाँ *''राज्य के प्रमुख''* को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है अनुवांशिकता के आधार पर नहीं।	
7.	सामाजिक न्याय	जहाँ जाति, मत, लिंग, जन्म स्थान, धर्म और भाषा आदि में से किसी के भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए।	
8.	आर्थिक न्याय	समाज में सभी को समान स्थान/अवसर प्राप्त हो।	
9.	राजनैतिक न्याय	जहाँ सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार प्राप्त	
10.	विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता	सभी नागरिकों को समान रूप से इच्छानुसार धर्म पालन करने तथा अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने की छूट हो।	
11.	प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता	सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने तथा बिना किसी विघ्न बाधा के अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो।	
12.	व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का	भारत में बंधुता की भावना का आधार व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए न कि समाज में उसकी स्थिति। इस प्रकार राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार भी बंधुता की भावना होनी चाहिए।	अखंडता-42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में शामिल।

संविधान की अनुसूचियाँ	
क्रम संख्या	**विषय**
प्रथम अनुसूची	1. भारत में शामिल राज्यों के नाम व संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद-1 से 4)
द्वितीय अनुसूची	1. भारत का राष्ट्रपति (विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन का उल्लेख)
	2. राज्यों के राज्यपाल
	3. लोकसभा अध्यक्ष
	4. राज्यसभा के सभापति व उपसभापति

GS World Committed To Excellence

द्वितीय अनुसूची	5. राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
	6. राज्य विधान परिषदों के सभापति व उपसभापति
	7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
	8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
	9. नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
तृतीय अनुसूची	**विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख**
	1. संघ के मंत्री
	2. संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी
	3. संसद के सदस्य
	4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
	5. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
	6. राज्यमंत्री
	7. राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
	8. राज्य विधान मंडल के सदस्य
	9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
चतुर्थ अनुसूची	राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए राज्य सभा में सीटों का आवंटन
पाँचवीं अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख। (अनुच्छेद-244 एवं 275)
सातवीं अनुसूची	केन्द्र-राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची
आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ मूलरूप में-14 वर्तमान में 22
नवीं अनुसूची	संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम-1951 में शामिल किया गया।
	इसमें राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद-31(2)
	इसमें 300 अधिनियमों (अधिकांश भूमि सुधार संबंधी) का वर्णन है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती
दसवीं अनुसूची	संविधान में इसे 52 वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दल-बदल से संबंधी प्रावधान
ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायत शक्तियाँ प्राधिकरण व जिम्मेदारियाँ अनुच्छेद-243 (6)
बारहवीं अनुसूची	नगरपालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार व उत्तरदायित्व, 18 विषय, इसे 1992 में जोड़ा गया।

भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत

स्रोत	लिए गए प्रमुख प्रावधान
1935 का भारत शासन अधिनियम	संघीय न्यायपालिका, संघीय तंत्र, आपातकाल की घोषणा, शक्ति विभाजन की तीन सूचियाँ राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ
ब्रिटिश संविधान	संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख
अमेरिका का संविधान	न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, तीनों सेनाओं के कमांडर के रूप में राष्ट्रपति
ऑस्ट्रेलिया का संविधान	सहयोगात्मक संघवाद, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य तथा पारस्परिक संपर्क
कनाडा का संविधान	संघात्मक प्रणाली, केन्द्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, राज्यपाल का पद (राज्यपाल का कार्यालय-1935 का एक एक्ट)
पूर्व सोवियत संघ का संविधान	मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श
जापान का संविधान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
आयरलैण्ड का संविधान	राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामांकन।
फ्रांस का संविधान	गणतंत्रात्मक प्रणाली, समता और बन्धुता का आदर्श, प्रस्तावना में स्वतंत्रता
दक्षिण अफ्रीका का संविधान	संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
जर्मनी का वाइमर संविधान	आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन

GS World Committed to Excellence

अध्याय 4

संघ एवं उसका क्षेत्र

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है।

- अनुच्छेद-1 में भारत अर्थात इंडिया नाम का वर्णन किया गया है तथा इसमें भारत को ''राज्यों का संघ'' कहा गया।
- भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से कई मायनों में भिन्न है। जैसे-अमेरिकी में केंद्र व राज्य दोनों के अलग-अलग संविधान व दोहरी नागरिकता आदि।
- जबकि भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान तथा एकल नागरिकता है।
- अनुच्छेद-1 तहत् भारतीय क्षेत्र को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है:- राज्यों का क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा अधिग्रहीत क्षेत्र या भविष्य में अधिग्रहीत किए जाने वाले क्षेत्र।
- भारत एक संप्रभुता सम्पन्न राज्य है। फलत: यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत् किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है।

अनुच्छेद-2 संसद को दो तरह की शक्ति प्रदान करता है- प्रथम नए राज्यों को गठित करने की शक्ति तथा द्वितीय-नये राज्यों अथवा क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति।

अनुच्छेद-3:- संसद को नये राज्य क्षेत्र के निर्माण पुनर्गठन सम्बन्धी शक्ति देता है, किन्तु भारतीय संविधान संसद को भारत के किसी भू-भाग को किसी अन्य देश को हस्तांतरित करने की शक्ति नहीं देता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या बेरूबाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने की।

इसके लिए अनुच्छेद-368 के तहत् संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

इस प्रक्रिया के तहत् 9वें संविधान संशोधन अधिनियम (1960) द्वारा पूर्वी बंगाल क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित किया गया। 100 वें संविधान संशोधन अधिनियम (2015) द्वारा भारत ने बांग्लादेश को कुछ भूमि हस्तांतरित की।

भारतीय राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों का उद्भव

भारत की आजादी के समय भारतीय संघ के गठन को लेकर अनेक गतिरोध थे। ब्रिटिश प्रांत तथा 552 देशी रियासतों में से अधिकांश (549) का भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। परन्तु हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

हालाँकि आगे चलकर फरवरी, 1948 में जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़, सितम्बर, 1948 में हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया।

भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन

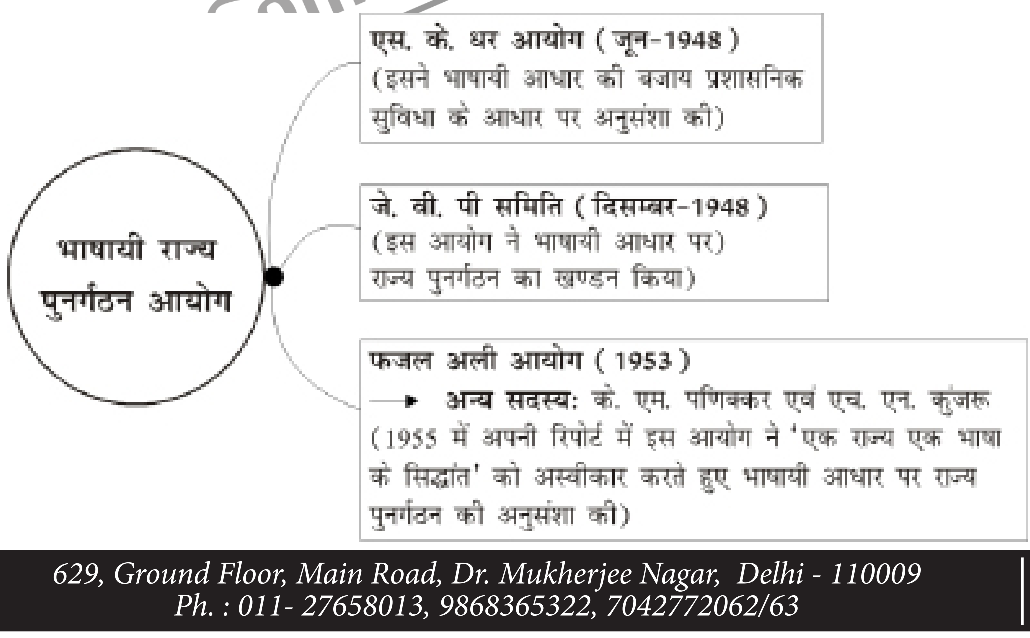

GS World Committed To Excellence

स्वतंत्रता के पश्चात् विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की माँग की जाने लगी।

- फलतः भारत सरकार को भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समस्या का निराकरण करने के लिए विभिन्न आयोग का गठन किया।
- वर्ष 1953 में पोट्टी श्रीरामूलु (तेलुगू भाषी अलग राज्य की माँग को लेकर भूख हड़ताल) की मृत्यु के फलस्वरूप फैली अराजकता ने सरकार को भाषायी आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए विवश होना पड़ा। आन्ध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था।

आगे चलकर 1960 में महाराष्ट्र व गुजरात का भाषायी आधार पर विभाजन कर अलग-अलग राज्य के रूप में गठन किया गया।

पूर्वोत्तर राज्यों का वर्तमान स्वरूप

जब भारत 1947 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ तब पूर्वोत्तर में केवल तीन प्रकार के राज्य क्षेत्र मौजूद थे। जहाँ एक ओर मणिपुर और त्रिपुरा देशी रियासते थी। वहीं बहुत बड़े भू-भाग के रूप में असम प्रांत प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासित राज्य हुआ करता था। इसकी राजधानी शिलांग (मेघालय की वर्तमान राजधानी) थी।

स्वतंत्रता के बाद असम के मूल क्षेत्र के अतिरिक्त जातीय और भाषाई तर्ज पर राज्यों का पुनर्गठन समय-समय पर किया गया। वर्ष 1963 में नागालैंड अलग राज्य बना, नागालैंड की तर्ज पर वर्ष 1972 में मेघालय भी एक राज्य बन गया। मिजोरम 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ उसे भी राज्य का दर्जा हासिल हुआ।

नागालैंड

भारत की आजादी के दौरान नागालैंड असम के अंतर्गत था लेकिन नागा लोग अपना विकास चाहते थे। इसी कारण से वे किसी केन्द्रीय सरकार से जुड़ना चाहते थे। वर्ष 1955 में भारत सरकार ने भारतीय सेना की एक टुकड़ी नागालैंड भेजी और वर्ष 1957 में भारत सरकार और नागा लोगों के बीच विलय की बातचीत शुरू हुई, जिसके अंतर्गत नागालैंड 1 दिसम्बर, 1963 को भारत का 16वाँ राज्य बना। नागालैंड राज्य का गठन नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। हालाँकि 1961 तक नागालैंड असम के राज्यपाल के नियंत्रण में शासित होता था।

मेघालय

मेघालय का गठन असम राज्य के दो बड़े जिलों संयुक्त खासी हिल्स एवं जयन्तिया हिल्स को असम से अलग कर 21 जनवरी, 1972 को किया गया था। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पूर्व 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1970 में अर्ध-स्वायत्त दर्जा दिया गया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के अधीन आने से पूर्व गारो, खासी एवं जयन्तिया जनजातियों के अपने राज्य हुआ करते थे। कालान्तर में ब्रिटिश ने 1935 में तत्कालीन मेघालय को असम के अधीन कर दिया था। तब इस क्षेत्र को ब्रिटिश राज के साथ एक सन्धि के तहत अर्ध-स्वतंत्र दर्जा मिला हुआ था। 16 अक्तूबर, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन होने पर मेघालय नवगठित प्रान्त पूर्वी बंगाल एवं असम का भाग बना। हालाँकि इस विभाजन को 1912 में वापस पलट दिये जाने पर मेघालय असम का पुनः भाग बन गया।

1947 में स्वतंत्रता के समय, वर्तमान मेघालय में असम के दो जिले थे और यह क्षेत्र असम राज्य के अधीन होते हुए भी सीमित स्वायत्त क्षेत्र था। 1960 में एक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग उठने लगी। 1969 के असम पुनर्संगठन (मेघालय) अधिनियम के अन्तर्गत मेघालय को स्वायत्त राज्य बनाया गया। यह अधिनियम 2 अप्रैल, 1970 को प्रभाव में आया और इस तरह असम से मेघालय नाम के एक स्वायत्त राज्य का जन्म हुआ।

मिजोरम

फरवरी, 1987 को यह भारत का 23वाँ राज्य बना। 1972 में केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले तक यह असम का एक जिला था। 1898 में एक जिला बना दिया गया जिसका नाम लुशाई हिल्स जिला था और यह असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया।

1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिजोरम केंद्रशासित प्रदेश बन गया। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रट के बीच 1986 में हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को 'यंडाबू संधि' होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता हैं। वर्ष 1962 से पहले इस राज्य को नार्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) के नाम से जाना जाता था।

GS World Committed To Excellence

संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था ,परंतु सामरिक महत्त्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आ गया था। वर्ष 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम 'अरुणाचल प्रदेश' किया गया। इस सब के बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वाँ राज्य बनाया गया।

त्रिपुरा

त्रिपुरा का बड़ा पुराना और लंबा इतिहास है। इसकी अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति है। इसके इतिहास को त्रिपुरा नरेश के बारे में 'राजमाला' गाथाओं तथा मुसलमान इतिहासकारों के वर्णनों से जाना जा सकता है। महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को 'फा' उपनाम से पुकारा जाता था जिसका अर्थ 'पिता' होता है। 19वीं शताब्दी में महाराजा वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा में नए युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने अपने प्रशासनिक ढाँचे को ब्रिटिश भारत के नमूने पर बनाया और कई सुधार लागू किए। उनके उत्तराधिकारियों ने 15 अक्तूबर, 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया। इसके बाद त्रिपुरा भारत संघ में शामिल हो गया। शुरू में यह 'भाग-ग' के अंतर्गत आने वाला राज्य था और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह केंद्रशासित प्रदेश बना। 1972 में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया।

मणिपुर

1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर छोड़ा तब से मणिपुर का शासन महाराजा बोधचन्द्र के कन्धों पर पड़ा। 21 सितम्बर, 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर, 1949 से मणिपुर भारत का अंग बना। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग 'ग' के राज्य के रूप में शामिल हुआ। बाद में इसके स्थान पर एक प्रादेशिक परिषद गठित की गई जिसमें 30 चयनित तथा दो मनोनीत सदस्य थे। इसके बाद 1962 में केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत 30 चयनित तथा तीन मनोनीत सदस्यों की एक विधानसभा स्थापित की गई। 19 दिसंबर, 1969 से प्रशासक का दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़ाकर उपराज्यपाल कर दिया गया। 21 जनवरी, 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।

सिक्किम

1947 में एक लोकप्रिय मत द्वारा सिक्किम के भारत में विलय को अस्वीकार कर दिया गया और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया। इसके तहत् भारत सिक्किम का संरक्षक हुआ। सिक्किम के विदेशी, राजनयिक अथवा सम्पर्क संबन्धी विषयों की जिम्मेदारी भारत ने संभाल ली। वर्ष 1955 में एक राज्य परिषद् स्थापित की गई जिसके अधीन चोग्याल को एक संवैधानिक सरकार बनाने की अनुमति दी गई। इस दौरान सिक्किम नेशनल कांग्रेस द्वारा पुनः मतदान और नेपालियों को अधिक प्रतिनिधित्व की माँग के चलते राज्य में गड़बड़ी की स्थिति पैदा हो गई। 1973 में राजभवन के सामने हुए दंगों के कारण भारत सरकार से सिक्किम को संरक्षण प्रदान करने का औपचारिक अनुरोध किया गया। चोग्याल राजवंश सिक्किम में अत्यधिक अलोकप्रिय साबित हो रहा था। सिक्किम पूर्ण रूप से बाहरी दुनिया के लिये बंद था और बाह्य विश्व को सिक्किम के बारे में बहुत कम जानकारी थी।

भारतीय प्रधानमंत्री नें 1975 में भारतीय संसद से यह अनुरोध किया कि सिक्किम को भारत का एक राज्य स्वीकार कर उसे भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। अप्रैल 1975 में भारतीय सेना सिक्किम में प्रविष्ट हुई और राजमहल के पहरेदारों को नि:शस्त्र करने के पश्चात गंगटोक को अपने कब्जे में ले लिया। दो दिनों के भीतर सम्पूर्ण सिक्किम राज्य भारत सरकार के नियंत्रण में था। सिक्किम को भारतीय गणराज्य मे सम्मिलित करने के प्रश्न पर हुए जनमत संग्रह का सिक्किम की 97.5 प्रतिशत जनता ने समर्थन किया। कुछ ही सप्ताह के उपरांत 16 मई, 1975 को 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बन गया और सिक्किम में राजशाही शासन का अंत हुआ।

संघ एवं इसके क्षेत्रों से सम्बद्ध	
अनुच्छेद	**विषय**
1	संघ क्षेत्र का नाम
2	नये राज्यों का गठन एवं नामांकन
3	संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन
4.	पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुच्छेद-2 तथा-3 के द्वारा बनाई गई विधियाँ

भारत में जोड़े गये नए राज्य एवं परिवर्तित नाम			
राज्य	**तिथि**	**राज्य**	**तिथि**
आन्ध्र प्रदेश	1953	मेघालय	1969
केरल	1956	त्रिपुरा	1971
कर्नाटक	1956	लक्षद्वीप	1973
गुजरात तथा महाराष्ट्र	1960	सिक्किम (22वाँ राज्य)	1975
नगालैंड	1962	मिजोरम	1986
हरियाणा	1966	अरूणाचल प्रदेश	1987
तमिलनाडु (पूर्व नाम मद्रास)	1968	गोवा (22वाँ राज्य)	1987
हिमाचल प्रदेश	1968	उत्तराखण्ड	2000
मणिपुर	1971	झारखण्ड	2000
छत्तीसगढ़	2000	तेलंगाना	2017

स्मरणीय तथ्य

- *संविधान के अनुच्छेद-1 के अनुसार, 'भारत राज्यों का संघ है।'*
- *भारतीय संघ में एक नये राज्य के सृजन हेतु प्रथम अनुसूची को संशोधित करना पड़ता है।*
- *भारत में संघीय राज्यों का प्रशासन 'राष्ट्रपति' द्वारा किया जाता है।*
- *भाषायी आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्रप्रदेश था जिसका गठन 1953 में किया गया।*
- *1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित हुआ।*
- *राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की संस्तुतियों के आधार पर 1 नवम्बर, 1956 में, 14 राज्यों एवं 5 केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।*
- *राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में क्षेत्रीय परिषदों के गठन का सुझाव दिया गया है।*
- *क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केन्द्रीय मंत्री होता है तथा राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं।*
- *31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख देश के दो नए केंद्रशासित प्रदेश बन गये। इसके साथ ही भारत में अब कुल 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, लेकिन दमन-दीव और दादरा-नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित बना दिया गया है। जिससे अब केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या घटकर आठ हो गई है।*

1956 में भारतीय क्षेत्र	
राज्य	**संघशासित क्षेत्र**
1. आंध्र प्रदेश	1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
2. असम	2. दिल्ली
3. बिहार	3. हिमाचल प्रदेश
4. बंबई	4. लकादीव, निकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह
5. जम्मू एवं कश्मीर	5. मणिपुर
6. केरल	6. त्रिपुरा
7. मध्य प्रदेश	
8. मद्रास	
9. मैसूर	
10. उड़ीसा	
11. पंजाब	
12. राजस्थान	
13. उत्तर प्रदेश	
14. पश्चिम बंगाल	

GS World Committed To Excellence

राज्य	संघशासित क्षेत्र
1. उत्तर प्रदेश	1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
2. अरुणाचल प्रदेश	2. चंडीगढ़
3. असम	3. लक्षद्वीप
4. बिहार	4. पुडुचेरी
5. छत्तीसगढ़	5. दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
6. गोवा	6. जम्मू एवं कश्मीर
7. गुजरात	7. लद्दाख
8. हरियाणा	8. दादरा नागर हवेली एवं दमन व दीव
9. हिमाचल प्रदेश	
10. झारखंड	
11. कर्नाटक	
12. केरल	
13. मध्य प्रदेश	
14. महाराष्ट्र	
15. मणिपुर	
16. मेघालय	
17. मिजोरम	
18. नागालैंड	
19. उड़ीसा	
20. पंजाब	
21. राजस्थान	
22. सिक्किम	
23. तमिलनाडु	
24. तेलंगाना	
25. त्रिपुरा	
26. उत्तराखंड	
27. उत्तर प्रदेश	
28. पश्चिम बंगाल	

GS World Committed To Excellence

अध्याय
5

मूल अधिकार

सामान्यत: संविधान में सम्मिलित तथा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार मानव के वे नैसर्गिक अधिकार हैं जो मानव को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम वातावरण उपलब्ध कराते हैं।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संकल्पना अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गयी है। इनमें प्रत्येक नागरिक के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:-

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद-14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-19-22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद- 23-24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-25-28)
5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद-29-30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद-32)

नोट: संविधान में मूल रूप से सात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे किन्तु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे साधारण विधिक अधिकार के रूप में संविधान के अनु. 300(क) में शामिल किया गया है।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं

- कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 19 आदि, जबकि कुछ अनुच्छेद सभी नागरिकों (विदेशियों को भी) को दिए गए हैं जैसे अनु-14 विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण, अनु-20, अनु. 21, 22, 23 आदि।
- मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं, ताकि व्यक्तिगत अधिकारों व जनता के अधिकारों के मध्य संतुलन कायम किया जा सके।
- कुछ विशेष परिस्थितियों (राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान) इनका निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर।
- मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता है।
- कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक विशेषताओं से संयुक्त हैं क्योंकि ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, जैसे अनुच्छेद 15 में वर्णित मूलाधिकार।
- कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक हैं, जो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं जैसे अनुच्छेद-19 में निहित मौलिक अधिकार।
- मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गयी है।
- मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में व्यक्ति सीधे उच्चतम् न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
- इन अधिकारों के क्रियान्वयन पर अनुच्छेद-31 (सम्पत्ति के अधिग्रहण संबंधी कानून की रक्षा) अनुच्छेद 31(ख) नवीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानूनों का विधिमान्यीकरण एवं अनुच्छेद 31(C) (नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए कानून) द्वारा सीमाएँ आरोपित की गयी है।
- ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सैन्य कानून अथवा सैन्य शासन (विशेष परिस्थितियों में) लागू या प्रचलन में हो (अनुच्छेद-34) तो वहाँ पर मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अल्पीकरण अथवा रद्द किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए संसद (मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु) कानून (अनुच्छेद-35) बना सकती है।

GS World Committed To Excellence

भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार

1. नागरिकों के मध्य केवल मूल वंश जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध (अनुच्छेद-15)
2. राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समता का अधिकार (अनुच्छेद-16)
3. वाक् स्वतंत्रता, निर्बाध विचरण, निवास आदि विषयक अधिकार (अनुच्छेद-19)
4. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद-29)
5. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रसार करने सम्बन्धी अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार (अनुच्छेद-30)

नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों (शत्रु देश का न हो) को प्राप्त मौलिक अधिकार

1. विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद-14)
2. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद-20)
3. प्राण एवं दैहिक सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद-21)
4. बेसिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद-21क)
5. कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण संबंधी अधिकार (अनुच्छेद-22)
6. बलात् श्रम एवं मानव तस्करी के विरुद्ध प्रतिषेध (अनुच्छेद-23)
7. कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद-24)
8. धार्मिक प्रसार के प्रयास की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-23)
9. धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-26)
10. धर्म को प्रोत्साहन देने हेतु कर से छूट (अनुच्छेद-27)
11. कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-28)

समता का अधिकार (अनुच्छेद-14-18)

- अनुच्छेद-14 के तहत् प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है या विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है।
- अनुच्छेद-15(1) में यह निहित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा।
- अनुच्छेद-15(2)(क) में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म मूल वंश, जाति, लिंग जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक भोजनालयों होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या राज्य द्वारा पोषित सर्वसाधारण के कुओं, तलाबों, स्नानगृहों, सार्वजनिक समागम के स्थानों या सड़कों के उपयोग के अयोग्य नहीं समझा जाएगा।
- अनुच्छेद-15(3)के अनुसार राज्य बालकों और स्त्रियों के लिए और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास के लिए विशेष उपबन्ध/कानून बना सकेगा।
- अनुच्छेद-16 के तहत् लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान है। परन्तु इस प्रावधान के तीन अपवाद हैं-
    1. संसद किसी राज्य के अधीन सार्वजनिक रोजगार के सम्बन्ध में (जिसमें निवास की जरूरत हो) आवश्यक शर्त आरोपित कर सकती है।
    2. राज्य पिछड़े वर्गों (जिनका राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो) के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।
    3. राज्य विधि के तहत् धार्मिक आधार पर भी विशेष उपबन्ध कर सकता है।
- अनुच्छेद-17 के तहत् अस्पृश्यता के समाप्ति की व्यवस्था की गयी है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य नहीं माना जाएगा।

हालाँकि इस अधिनियम में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया और न ही कोई ठोस दंडनीय प्रावधान किए गए है। फलतः जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। साथ ही 6 माह के कारावास या 500 रुपए का दंड अथवा दोनों शामिल है।

1955 के तहत छुआछूत में संलिप्त (या दोषी करार) व्यक्ति संसद या राज्य विधान मंडल के चुनाव लड़ने हेतु अर्हय नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-17 के तहत अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य माना है।

अनुच्छेद-18 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, साथ ही भारत सरकार के नियोजन में कार्यरत विदेशी भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी उपाधि को धारण नहीं कर सकते।

GS World Committed To Excellence

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-19 से 22)

भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए अनु-19 के तहत् 6 अधिकारों या स्वतंत्रताओं को संहिताबद्ध किया गया है।

- विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्ण और अस्त्र-शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता
- संस्था एवं संघ बनाने का अधिकार
- अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता
- निवास की स्वतंत्रता
- कोई भी व्यापार या उपजीविका की स्वतंत्रता अनुच्छेद-19 में निहित 6 अधिकारों पर राज्य द्वारा युक्ति युक्त निर्बन्धन लगाया जा सकता है।
- राज्य की सुरक्षा सम्प्रभुता एवं अखंण्डता के संबंध में
- सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में
- न्यायालय की अवमानना, अपराधों की दुष्प्रेषण के सम्बन्ध में तथा मान-हानि आदि के संबंध में

यदि उपरोक्त निर्बन्धनों पर विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके अभाव में सामाजिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परन्तु यह भी आशंका थी कि कहीं राज्य द्वारा इनका (निर्बन्धनों का) दुरुपयोग न हो। ऐसे में युक्तियुक्त के आधार पर निर्णय का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया।

विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

यह अधिकार अनुच्छेद-19 (क) के तहत् प्रदान किया गया है। इसके द्वारा नागरिकों को अभिव्यक्ति दर्शाने (लिखित या मौखिक) मत देने आदि की व्यवस्था की गयी है। समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा बदलती परिदृश्यों के अनुरूप विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया।

- प्रेस की स्वतंत्रता।
- सरकारी उपक्रमों की क्रियाविधि सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
- विरोध एवं प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन हड़ताल का नहीं।
- शांतिपूर्ण वातावरण में रहने का अधिकार।
- फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार।
- स्वयं के विचारों को प्रचारित करने का अधिकार
- त्रिपुरा हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में सोशल मीडिया पोस्टिंग को एक मौलिक अधिकार माना है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरनेट को मौलिक अधिकार माना है।

हालाँकि भारत की सुरक्षा, एकता एवं सम्प्रभुता न्यायालय की अवमानना व नैतिकता की स्थापना को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता -अनुच्छेद19(1)(क)

- इसके तहत अस्त्र-शस्त्र रहित शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है।
- इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सम्मेलनों में भाग लेने व प्रदर्शन करने का अधिकार भी शामिल है।
- हालांकि इन पर मानव जीवन के लिए खतरा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (दंगा इत्यादि) इत्यादि के आधार पर आपराधिक व्यवस्था की धारा-144 के तहत प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है।

संस्था एवं संघ बनाने का अधिकार (अनुच्छेद-19(1)(ग)

इसके तहत् राजनीतिक दल, साझा फर्म, संगठन व व्यापारिक संघ इत्यादि बनाने अथवा स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

नोट: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम-2011 के तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। संस्था एवं संघ बनाने का अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

अबाध संचरण का अधिकार (अनुच्छेद-19(1)(क)

इस अधिकार के तहत् व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में एक-स्थान से दूसरे स्थान में सर्वत्र अबाध विचरण कर सकता है।

निवास का अधिकार (अनु. 19(1) (ड़)

GS World Committed To Excellence

इसके तहत् प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भू-भाग में बसने का अथवा निवास (स्थायी/अस्थायी) करने का अधिकार है।

नोट: न्यायालय द्वारा सार्वजनिक नैतिकता आदि के आधार पर कुछ लोगों (वेश्या या पेशेवर अपराधी) के विचरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

व्यवसाय या आजीविका की स्वतंत्रता

सभी नागरिकों को व्यवसाय करने, पेशा चुनने तथा व्यापार प्रारम्भ करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (अनु-20)

इसके तहत् कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो। उसे उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता जितने की अपराध किए जाने के समय प्रचलित कानून के अनुसार थी।

- इसके अतिरिक्त एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्ड नहीं जा सकता।
- किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हालांकि यदि वह स्वेच्छा से उपस्थित होता है तो ऐसा करने से उसे वंचित नहीं किया जाएगा।

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता-अनुच्छेद-21

इसके तहत् किसी नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद-21 के तहत प्रदत स्वतंत्रता के अर्थ को न्यायपालिका ने अपने विभिन्न निर्णयों द्वारा विस्तृत स्वरूप प्रदान किया है।

इस दृष्टि से मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978 सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसी वाद में पहली बार न्यायालय वैयक्तिक स्वतंत्रता में वे समस्त तत्व निहित हैं जो मानव को पूर्ण बनाने में सक्षम हैं।

इसके अलावा न्यायालय ने **मेहता बनाम केरल राज्य वाद (Verdict)** में पर्यावरण संरक्षण को मौलिक अधिकार घोषित किया। न्यायालय के निर्णयानुसार सार्वजनिक उपयोग में आने वाले संसाधनों को व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं बनाया जा सकता, साथ ही ऐसे संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। राज्य द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। आर्थिक विकास हेतु आवश्यक उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ पर्यावरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अनु-21 के सन्दर्भ में विभिन्न निर्णय इस प्रकार हैं-

- कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है।
- मानव को शुद्ध वायु का अधिकार (मेहता बनाम केरल राज्य)
- सूचना का अधिकार जीवन की स्वतंत्रता में शामिल
- अच्छी नींद का अधिकार (रामदेव बनाम दिल्ली पुलिस 2012)
- फोन टेपिंग (सुरक्षा कारणों के अतिरिक्त अनुच्छेद-21 का उल्लंघन (नीरा राडिया बनाम रतन टाटा वाद)
- देर से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार
- 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य)
- निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
- जीवन रक्षा का अधिकार
- स्वास्थ्य का अधिकार
- अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार
- हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
- सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा का अधिकार
- सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार
- विदेश जाने का अधिकार (सतवंत सिंह बनाम भारत संघ)
- निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
- बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार
- त्वरित सुनवाई का अधिकार
- निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार माना है। (जस्टिस के.एस. पुटट्स्वामी बनाम भारत संघ वाद)

GS World Committed To Excellence

शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद-21क में घोषित किया गया है कि राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी।

निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण (अनुच्छेद-22)

- अनुच्छेद-22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है।
- इस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो यथा शीघ्र उसे उन कारणों से परिचित कराया जाना चाहिए जिनके आधार पर उसे हिरासत में लिया गया है।
- अनुच्छेद-22 को दो भागों में विभक्त किया गया है:- प्रथम साधारण कानून से संबंधित मामले दूसरा निवारक हिरासत के मामले में लिखित अधिकार प्राप्त है।
- उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- हिरासत में लिये गये व्यक्ति को 24 घण्टे के भीतर निकटतम दण्डाधिकारी के समक्ष पेश होने का अधिकार।
- यदि दण्डाधिकारी ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखने का कोई आदेश नहीं देता है तो उसे अविलंब रिहा कर देना होगा।

नोट: यह अधिकार (सुरक्षा कवच) विदेशी व्यक्ति तथा निवारक कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं प्रदान किए गए हैं।

द्वितीय निवारक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:-

- ऐसे व्यक्ति को केवल तीन माह तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक निरुद्ध किया जाता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड को उचित कारण बताना पड़ता है। सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं।
- इस प्रकार से गिरफ्तार व्यक्ति को यथा शीघ्र निरोध के आधार को बताना आवश्यक है, किंतु यदि मामला लोकहित के विरुद्ध है तो उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं है।
- गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के यथा शीघ्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

नोट: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया है। हलांकि मूल अवधि 3 माह अब भी जारी है।

- संविधान में हिरासत में मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद तथा विधान मंडल के बीच विभक्त किया गया है।
- निवारक निरोध, रक्षा, विदेश मामलों और भारत की सुरक्षा संबंधी विशेष अधिकार संसद में निहित हैं।
- ध्यातब्य है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने व सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने आदि के अन्तर्गत मामलों में हिरासत सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार संसद व विधान मण्डल दोनो को है।

संसद द्वारा बनाए गए प्रमुख निवारक कानून

- सर्वप्रथम भारतीय संसद ने निवारक निरोध अधिनियम (Preventive Detention Act) 1950 पारित किया गया, जो 1969 में समाप्त कर दिया गया।
- आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA)-1971 लाया गया।
- आर्थिक अपराधों के लिए अनुपूरक के रूप में संसद ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारक अधिनियम-(COFEPOSA)-1974 पारित किया।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)-1980।
- चोर बाजारी निवारण व आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम-1980
- आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (Terorirt and Disruptive Activities (Prevention) ACT-TADA-1985, यह 1995 में समाप्त हो गया।
- आतंकवाद निवारक अधिनियम **(POTA) 2002,** हालाँकि 2004 में इसे भी समाप्त कर दिया गया।
- राज्य सरकारें भी समय-समय पर निवारक कानून बनाती रहीं हैं- महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रक अधिनियम (MACOCA) 1999 तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रक अधिनियम **2017 (UPCOCA)** राज्य निवारक कानून के अन्तर्गत बनाए गए हैं।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23-24)

- अनुच्छेद-23 के तहत् मानव दुर्व्यापार एवं बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के बलात् श्रम को निषिद्ध किया गया है।

- अनुच्छेद-24 इसके तहत बाल श्रम को प्रतिबन्धित किया गया है। अनुच्छेद-24 में यह उपबन्ध है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने खान अथवा संकटपूर्ण कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।
- इस संबंध में सरकार ने समय समय पर विभिन्न अधिनियमों द्वारा बाल श्रम को नियंत्रित तथा प्रतिबंधित करने के प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1986 का बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम इस सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण कानून माना जाता है। बाल श्रम अधिनियम-2005-बाल अपराधों तथा बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का एक कारगर कदम साबित हुआ है।
- ऐसा ही एक प्रयास सरकार द्वारा 2006 में किया गया। जिसके तहत् 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को घरेलू नौकर रखने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (होटल, रेस्तरां, दुकानों आदि) में नियोजित करने पर दण्डात्मक कार्यवाई के निर्देश दिए गए।
- अगस्त-2012 में सरकार ने बालश्रम अधिनियम, 1986 में कई महत्त्वपूर्ण संशोधन किए। इसके तहत् 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में रोजगार देने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया।
- हाल ही में संसद द्वारा बाल श्रम संशोधन अधिनियम-2016 पारित किया गया है। इसके तहत् 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़कर किसी भी प्रकार के व्यवसाय (संगठित या असंगठित) में रोजगार देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28)

- भारतीय संविधान में नागरिकों को अबाध रूप से स्वयं के धर्म के आचरण की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है।
- अनुच्छेद-25 के अनुसार लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्त:करण की स्वतंत्रता का एवं धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार होगा। किंतु राज्य को यह अधिकार होगा कि वह अनु. 25 से सम्बन्धित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या सामाजिक कल्याण और लोक व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक प्रतिबन्ध लगा सकती है।
- अनुच्छेद-26 के तहत् धार्मिक कार्यों के प्रबन्धन की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके पोषण आदि के विषय में प्रबन्धन करने का अधिकार शामिल है।
- अनुच्छेद-27 के तहत् धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता प्रदान की गयी है अर्थात किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी एकत्रित सम्पत्ति से किसी धर्म विशेष का पोषण किया जाता है।
- अनुच्छेद-28 के अनुसार राज्य निधि से पूर्णत: परिपोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

ध्यातव्य है कि उपरोक्त उपबन्धों का उद्देश्य देश में एक पंथ-निरपेक्ष राज्यव्यवस्था की स्थापना करना है। हालांकि पंथ निरपेक्षता की यह भावना मूलरूप में अन्य देशों में प्रचलित पंथ निरपेक्षता की अवधारणा से भिन्न है। सामान्यत: इसका अर्थ यह है कि भारत में न तो राज्य का कोई धर्म है और न ही राज्य धर्म विरुद्ध।

संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनु. 27-30)

अनुच्छेद-29 के अन्तर्गत भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा बोली, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धर्म, मूल- वंश जाति तथा लिंग के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-30- के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों (धार्मिक या भाषाई) को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं-

- अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने तथा उनका प्रबन्धन करने की स्वतंत्रता।
- राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करने में इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि किसी शिक्षण संस्था का प्रबन्धन किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा किया जा रहा है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद-32)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मूल अधिकार के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति देता है। डॉ भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को 'संविधान की आत्मा' कहा है।

नोट: संविधान में अनुच्छेद-32 के तहत् केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। अन्य (गैर मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार व लौकिक अधिकार) अधिकारों की नहीं।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या हनन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद-32 के तहत उच्चतम् न्यायालय और अनुच्छेद-226 के तहत उच्च न्यायालय में वाद दायर कर सकता है।

GS World Committed To Excellence

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus)

इसका शाब्दिक अर्थ 'खुद को प्रस्तुत किया जाय' होता है। यह रिट तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को विधि के विरुद्ध हिरासत में रखा जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय सम्बन्धित अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करे तथा कारणों को स्पष्ट करे जिसके तहत् उसको बंदी बनाया गया था। यदि न्यायिक जाँच में सम्बन्धित अधिकारी विधि सम्मत कारणों को स्पष्ट नहीं कर पाता तो वह उसे (बंदी को)मुक्त करने का आदेश देता है।

ध्यान देने योग्य तथ्य यह हैं कि जब गिरफ्तारी विधि सम्मत हो या कार्यवाही विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत् हुई हो तथा हिरासत न्यायालय के न्यायक्षेत्र से बाहर हुई हो तो यह रिट जारी नहीं की जा सकती।

नोट: बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है।

परमादेश (Mandamus)

इसका शाब्दिक अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'। जब कोई सार्वजनिक इकाई, अधीनस्थ न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करते या फिर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर कार्य करते हैं तो उच्चतम् न्यायालय यह आदेश देता है कि वे अपने कर्तव्य का पालन अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर करें।

प्रतिषेध (Prohibition)

जब किसी न्यायालय अथवा अधिकरण किसी मामले पर विचारार्थ हो तो इस रिट द्वारा उच्चतम न्यायालय उसे आदेश देता है कि वह उक्त प्रकरण पर विचार रोक दे।

उत्प्रेषण (Certiorari)

उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ अधिक जानकारी प्राप्त करना है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित त्रुटियों के सुधार के लिए जारी किया जाता है। सामान्यत: उत्प्रेषण रिट न्यायिक भूलों को सुधारने हेतु जारी की जाती है।

अधिकार पृच्छा (Quo warranto)

इस रिट द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद या विशेषाधिकार के दावे की वैधता की परीक्षा की जाती है। इसके तहत न्यायालय उससे पूछता है कि वह किसी विधि के अनुसार पद धारण किए हुए है। यदि वह अनाधिकृत रूप से पद धारण किए हुए है तो न्यायालय उसे पदमुक्त होने का आदेश दे सकता है।

उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के रिट में अन्तर

उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है।

जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद-226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के साथ-साथ सामान्य कानूनी अधिकार की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता हैं।

उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, परन्तु उच्च न्यायालय मात्र स्वयं के न्यायिक क्षेत्र की विस्तृति तक ही रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार रिट जारी करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत है।

मौलिक अधिकारों का संशोधन:-

- **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य** मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के अनुच्छेद-368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
- न्यायालय के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम-1971 द्वारा अनुच्छेद-13 में खण्ड (4) जोड़कर यह प्रावधान किया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद-13 से प्रभावित नहीं होता।

नोट:

- अनुच्छेद-13 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हों।
- **केशवानन्द भारतीय बनाम केरल राज्य मामले में** उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम-1971 को प्रभाव से निलंबित कर दिया तथा यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।

GS World Committed To Excellence

स्मरणीय तथ्य

- मूल अधिकार की अवधारणा का विकास ब्रिटेन में हुआ था।
- मूल अधिकारों का प्रावधान सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में किया गया।
- भारत में मूल अधिकारों की माँग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 ई. में की गई।
- भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के एवं वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
- 'न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार' उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद-32 एवं उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद-226 के द्वारा किया गया है।
- 'आच्छादन का सिद्धांत' उच्चतम न्यायालय ने भिखाजी बनाम मध्यप्रदेश वाद में दिया था।
- अनुच्छेद-14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है।
- अनुच्छेद-14 भारत में सभी व्यक्तियों को विधिक समता एवं समान विधिक संरक्षण प्रदान करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-16 सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की समानता का उपबंध करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-18 उपाधियों का अंत करता है।
- अनुच्छेद-19(1)(क) के तहत् 'प्रेस की स्वतंत्रता' सुनिश्चित की गयी है।
- 'मेमो डिबेट विस वेक्जरी' का सिद्धांत दोहरे दण्ड के सिद्धांत से संबंधित है।
- आत्म अभिशंसन के सिद्धांत का संबंध अनुच्छेद-20(3) में वर्णित उपबंध से है।
- फोन टेप करना अनुच्छेद-21 के तहत् दैहिक स्वतंत्रता में वर्णित एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण है।
- 'शिक्षा के अधिकार' अनुच्छेद-21(क), को 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी कर दिया गया है।
- धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार (अनुच्छेद-25) मानववाद के अधीन नहीं है।
- संविधान का अनुच्छेद-26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जबकि अनुच्छेद-28 शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता से जुड़ा है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-30 के तहत् सिर्फ धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गयी है।
- कार्यवाही लंबित होने की दशा में 'प्रतिषेध' रिट जारी की जाती है।
- किसी लोक सेवक द्वारा आज्ञापरक कर्त्तव्य न पूरी करने पर भी परमादेश रिट जारी की जाती है।
- भीखाजी बनाम मध्यप्रदेश वाद में उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत दिया था।
- चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है।
- देवासन बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा बनाए गए अग्रनयन सिद्धांत को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- चम्पाकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य वाद 1951 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भेदभाव के विरूद्ध अधिकार को संशोधित किया गया।
- विदेश जाने के अधिकार को मेनका गाँधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-21 के तहत् मूल अधिकार माना।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों के संशोधन पर रोक लगा दी।
- बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए यह स्पष्ट किया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
- मोहिनी जैन वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद-21 के अंतर्गत मूल अधिकार माना।

GS World Committed To Excellence

अध्याय 6

नागरिकता

भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इकहरी नागरिकता की संकल्पना ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गयी है। भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता सम्बन्धी उपबन्धों का वर्णन है।

भारतीय संविधान के लागू होने के समय नागरिकता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का अनुपालन किया गया-

अधिवास द्वारा नागरिकता

- वह भारत में जन्मा हो।
- उसके माता-पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो।
- संविधान के प्रारम्भ होने के ठीक पांच वर्षों तक भारत में साधारण तौर पर निवासी के रूप में रहा हो।

पाकिस्तान से आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता

संविधान के अनुच्छेद-6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों को दो आधार पर नागरिकता प्रदान करने का विधान करता है।

- 19 जुलाई, 1948 से **पहले पाकिस्तान** से भारत में आए प्रवासी व्यक्तियों को।
- 19 जुलाई, 1948 के **पश्चात् पाकिस्तान** से भारत आए व्यक्तियों को।

19 जुलाई, 1948 को आधार वर्ष बनाए जाने का कारण इस तिथि के पश्चात् दोनों देशों की जनता के आने-जाने हेतु परिमिट सिस्टम को लागू किया जाना था।

नागरिकता अधिनियम, 1955

इस अधिनियम में नागरिकता की प्राप्ति तथा समाप्ति से सम्बन्धित उपबन्ध निहित हैं। 1955 के अधिनियम में अब तक चार बार 1986, 1992, 2003 तथा 2005 में संशोधन किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम-1955 के तहत निम्न चार प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है-

- जन्म द्वारा (26 जनवरी, 1950 को या पश्चात जन्मा हो)
- रजिस्ट्रीकरण/पंजीकरण द्वारा
- देशीकरण द्वारा:- जब किसी विदेशी का देशीकरण के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है तो वह भारत का नागरिक बन जाता है।
- राज्य क्षेत्र (विदेशी) के सम्मिलित किए जाने पर

नागरिकता की समाप्ति

- नागरिकता का त्याग करने पर
- दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर
- नागरिकता से वंचित किया जाना

एन.आर.आई. (नॉन रेसिडेंट इंडियन)

ऐसे भारतीय नागरिक जोकि सामान्यत: भारत से बाहर रह रहा है तथा जिसके पास भारत का पासपोर्ट है। वह भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत्त सभी लाभों के लिए अधिकृत होता है।

एनआरआई को भारत भ्रमण के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है।

भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति (Persons of Indian Origin card)

सितंबर, 2000 में भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) ने भारतीय डायस्पोरा पर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ रचनात्मक

GS World Committed To Excellence

संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया।

समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2002 में सौंपी। इसने नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों (Persons of India Origin, PIOs) को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों के रहने वालों को ही। उसी अनुसार नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों के पीआईओ, यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए।

बाद में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के (अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश) प्रावधान किए गए, जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के तहत दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों।

पुनः नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता (OCI) संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया। 'भारतीय विदेशी नागरिकता कार्डहोल्डर' (Overseas Citizen of India Cardholder) के नाम से एक नई योजना शुरू की है जिसमें पीआईओ कार्ड स्कीम तथा ओसीआई कार्ड स्कीम को मिला (विलयित) दिया गया है।

पीआईओ कार्ड स्कीम को 19.08.2002 में शुरू किया गया था दोनों स्कीमें साथ-साथ चल रही थीं, वैसे ओसीआई स्कीम अधिक लोकप्रिय थी। आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों का भ्रम दूर कर उन्हें अधिक सुविधाएं को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रण किया, जिसमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया गया। पीआईओ स्कीम 9.12.2015 के प्रभाव से रद्द कर दी गयी और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू पीआईओ कार्डधारक 9.12.2015 से ओसीआई कार्डधारक माना लिए जाएंगे।

प्रवासी भारतीय नागरिक (Overseas citizenship of India)

नागरिकता अधिनियम, 1955 के खंड 7(N) के अधीन भारत के प्रवासी भारतीय के रूप में पंजीकृत लोगों, को प्रवासी भारतीय नागरिक कहा जाता है।

ऐसे विदेशी नागरिक जो 26 जनरवी, 1950 को भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता हो अथवा 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक रहा था, साथ ही 15 अगस्त, 1947 के बाद शामिल भारत के किसी भूभाग का निवासी हो और उसके बच्चे पोते-पोती भारत के अप्रवासी नागरिक के रूप में (यदि उन्हे वह देश जिसके वे वर्तमान नागरिक है, दोहरी नागरिकता की अनुमति देता हो) पंजीकरण के पात्र हैं।

ध्यातव्य है कि पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के ऐसे नागरिक प्रवासी भारतीय नागरिक (PIO) के लिए पात्र होगा/होगी।

नागरिकता संशोधन विधेयक-2015

भारत सरकार ने वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नागरिकता अधिनियम, 1955 में कुछ संशोधन किए हैं। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 6 जरवरी, 2015 से लागू कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है-

- भारतीय नागरिकता के लिए लगातार एक वर्ष तक रहना अनिवार्य परन्तु विशेष परिस्थितियों में छूट।
- ओसीआई बच्चों का प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण को उदार बनाया जाएगा।
- ऐसे नागरिकों के बच्चों या अगली पीढ़ी के लिए भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा।
- धारा 7(A) के अधीन प्रवासी भारतीय के रूप में दर्ज ऐसे पति या पत्नी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा और जिनकी शादी दो वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत रही हो।

नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019

- यह विधेयक नागरिकता अधिनियम-1955 में संशोधन करता है जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, इसाई और पारसी, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले प्रवेश किया है, को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
- उपरोक्त तीन देशों के छः धर्मों के व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की अनिवार्यता का शर्त को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।
- इन प्रवासियों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 में भी छूट प्रदान करनी होगी।

स्मरणीय तथ्कय

GS World Committed To Excellence

- *भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद-5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित उपबंध है।*
- *भारतीय संविधान के अनुसार, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है।*
- *भारतीय संविधान के अनुसार, भारत की नागरिकता जन्म से, वंशानुगत परंपरागत से, देशीयकरण से, भूमि अर्जन से एवं पंजीकरण द्वारा प्रदान की जाती है।*

नागरिकता से सम्बन्धित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	**विषय**
अनुच्छेद 5	नागरिकता
अनुच्छेद 6	पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 7	पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 8	भारत से बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 9	दूसरे देशों की स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिकता की समाप्ति
अनुच्छेद 10	नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद 11	संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

GS World
Committed To Excellence

अध्याय **7**

राज्य के नीति निदेशक तत्व

किसी भी सम्प्रभु राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों की महती भूमिका होती हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व लोकतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। भारतीय संविधान विश्व के उन चुने हुए संविधानों में से एक है, जिनमें इस प्रकार की व्यवस्था संविधान के महत्वपूर्ण अंग के रूप में विद्यमान है।

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समावेश भाग-4 में अनुच्छेद-36-51 तक किया गया हैं। नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा आयरलैण्ड के संविधान से ग्रहण किया गया है।

नीति निदेशक तत्वों की उपयोगिता

- इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं, जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है।
- नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
- नीति निदेशक तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक के समान है। ये तत्व न्यायिक समीक्षा में सहायक होते हैं।
- नीति निदेशक तत्व राज्य द्वारा जनहित के उद्देश्य से किये गए कार्यों के उत्प्रेरण स्रोत है।

नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति

- अनुच्छेद-37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाये जा सकते अर्थात ये गैर-न्यायोचित हैं।
- ये तत्व वैधानिक न होकर राजनैतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिकता पर आधारित हैं।
- निदेशक तत्व न तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पर लागू करते हैं और न जनता हेतु कर्त्तव्य। वे राज्य के लिए मात्र ऐसे सामान्य निर्देश है कि राज्य कानून निर्माण में इन आदर्शों का पालन करें।

नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण

संविधान के अनुच्छेद-36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यदि इन निदेशक तत्वों पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होता है कि ये राजनीतिक सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति से परिपोषित हैं।

राजनैतिक नीतियों से संबद्ध निदेशक तत्व:-

- राज्य सशक्त ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। (अनुच्छेद-40)
- राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता निर्मित करने का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद-44)
- न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण (अनुच्छेद-50)
- राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने के लिए प्रयास करेगा। (अनुच्छेद-51)

यहाँ राजनैतिक निदेशक तत्वों से अभिप्राय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, समस्त नागरिक बिना किसी भेदभाव के शासित हो तथा जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण तथा सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों।

सामाजिक अथवा समाजवादी सिद्धांत

ये नीति निदेशक तत्व समाजवादी लोकतांत्रिक अवधारणा पर आधारित है, जिनका लक्ष्य समाज के दुर्बल वर्गो-यथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना है।

- अनुच्छेद-38 के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा-जिसमें आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त किया जाएगा।
- अनुच्छेद-39 के अनुसार राज्य पुरूष तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन सभी नागरिकों के लिए

GS World Committed To Excellence

जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन सृजित करेगा तथा सामूहिक हित से अभिप्रेरित होकर भौतिक संसाधनों का समवितरण व धन के संकेन्द्रण को रोकने का प्रयास करेगा।

- अनुच्छेद-39 (A)- के तहत राज्य समान न्याय एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा।
- अनुच्छेद-41 के तहत नीति निदेशक तत्वों में यह उपबन्ध है कि राज्य कुछ मामलों में काम शिक्षा व नि:शक्तता की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करेगा।
- अनुच्छेद-42 के तहत राज्य न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता का प्रबन्ध करेगा।
- अनुच्छेद-43 के तहत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करेगा, जिसमें आय के सभी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी व शिष्ट जीवन स्तर आदि के अवसर मुहैय्या कराएगा।
- अनुच्छेद-47 के अनुसार राज्य पोषण स्तर को बढ़ाने, जीवन स्तर में अभिवृद्धि करने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति सुदृढ़ करने सम्बधी उपाय करेगा।

गाँधीवादी सिद्धांत

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान जिन गाँधीवादी अवधारणाओं व मान्यताओं की परिकल्पना एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए की गयी थी। उन्हें साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में उचित स्थान दिया।

ग्राम पंचायतों के गठन अनुच्छेद-40, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन (अनुच्छेद 43 (B)), ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन (अनुच्छेद-43), कमजोर वर्गों के आर्थिक व शैक्षिक उत्थान का परिवर्धन (अनुच्छेद 46), मादक पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबन्ध (अनु-47) और दुधारू पशुओं के बलि पर रोक आदि में गाँधीवादी सिद्धांतों का स्पष्ट झलक मिलती है।

आर्थिक नीतियों से संबद्ध निदेशक तत्व

आर्थिक निदेशक तत्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता हैं जिसमें आर्थिक संसाधनों का केंद्रीयकरण न हो, आर्थिक व्यवस्था सामूहिक हित पर आधारित हो, जहाँ सभी व्यक्तियों को काम पाने का निर्वाह मूलक मजदूरी पाने, व्यवस्था प्रबन्धन में भागीदारी आदि के अवसर प्राप्त हो।

उदार बौद्धिक सिद्धांत

संविधान निर्माताओं ने एक उदारवादी राज्य की परिकल्पना की थी। ऐसे उदारवादी मनोवृत्ति पर आधारित निदेशक तत्वों का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है।

- अनुच्छेद-44 के तहत परिकल्पना की गयी थी कि सम्पूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण किया जाएगा।
- अनुच्छेद-45 के तहत राज्य से अपेक्षा की गयी थी कि वह 14 वर्ष तक आयु पूरी करने तक सभी बालकों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। (अब 0.6 वर्ष तक के बच्चों के लिए)
- अनुच्छेद-48 के तहत राज्य कृषि एवं पशुपालन के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों को विकसित करेगा।
- अनुच्छेद-48 (A) के तहत राज्य पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की संरक्षण व संवर्धन का उपाय करेगा।
- अनुच्छेद-49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा।
- अनुच्छेद-50 के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है कि राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।
- अनुच्छेद-51 के तहत राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए तथा देशों के बीच सम्मानपूर्वक सम्बन्धों को बनाए रखने की अपेक्षा की गयी है।

मौलिक अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व में भेद

- मौलिक अधिकार राज्य की नकारात्मक भूमिका का वर्णन करते हैं तथा राज्य को विशेष कृत्य करने से रोकते हैं, जबकि निदेशक तत्व राज्य की सकारात्मक भूमिका/दायित्व का वर्णन करते हैं तथा राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह जनकल्याण हेतु विशिष्ट प्रयास करें।
- मौलिक अधिकार देश में राजनैतिक जनतंत्र स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जबकि निदेशक तत्वों का उद्देश्य सामा. जिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
- मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, जबकि निदेशक तत्व सामुदायिक कल्याण से अभिप्रेरित हैं।
- मौलिक अधिकारों का क्षेत्र सीमित है जबकि निदेशक तत्वों का क्षेत्र काफी विस्तृत है।
- मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं, परंतु नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है।
- मौलिक अधिकार स्वत: लागू है, जबकि निदेशक तत्वों को लागू कराने के लिए विधि बनाने की आवश्यकता होती है।

GS World Committed To Excellence

नीति निदेशक तत्वों से सम्बन्धित प्रमुख वाद

संविधान के लागू होने के प्रारम्भिक दिनों से ही नीति निदेशक तत्वों की उपयोगिता व मौलिक अधिकार तथा निदेशक तत्व में से किसे श्रेष्ठ माना जाय आदि को लेकर गतिरोध उत्पन्न होते रहे हैं। ऐसे में न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों द्वारा इनका निराकरण किया है।

- **मद्रास बनाम चम्पकम वाद (1951)** इस वाद ने माना कि यदि मौलिक अधिकारों तथा निदेशक तत्वों को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो मौलिक अधिकारों को वरीयता प्रदान की जाएगी।
- **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य-1967** में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि किसी भी संशोधन द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि सरकार द्वारा लाए गए 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकारों में संशोधन करते हुए अन्य सुधारों को न्यायिक पुनरीक्षण से मुक्त करने हेतु 9वीं अनुसूची में डाल दिया था।

स्मरणीय तथ्य

- ☞ *राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है।*
- ☞ *नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुसार, नीति निदेशक सिद्धांत देश के शासन के लिए आधारभूत तत्व है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-39(क) के अनुसार, राज्य स्त्री और पुरूष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के लिए निर्देश दिया गया है।*
- ☞ *सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद-43 के तहत् निर्देशित है।*
- ☞ *नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत् अनुच्छेद-44 समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है।*
- ☞ *अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निदेशक सिद्धांतों का विवरण अनुच्छेद-51 में वर्णित है।*
- ☞ *42वें संविधान संशोधन द्वारा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता (अनु.-39क), उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी (अनु.-43क), पर्यावरण संरक्षण (अनु.-48क) तथा शोषण से बच्चों एवं व्यस्कों की सुरक्षा (अनु. -39च) को जोड़ा गया है।*
- ☞ *प्रौढ़ शिक्षा, सूचना का अधिकार नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आते।*

भारतीय संविधान में नीति-निदेशक तत्वों से सम्बन्धित अनुच्छेद

- अनुच्छेद-36 परिभाषा
- अनुच्छेद-37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना
- अनुच्छेद-38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए
- अनुच्छेद-39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व
- अनुच्छेद-39(क) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
- अनुच्छेद-40 ग्राम पंचायतों का गठन
- अनुच्छेद-41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
- अनुच्छेद-42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध
- अनुच्छेद-43(क) उद्योगों के प्रबन्धन में कर्मकारों का भाग लेना
- अनुच्छेद-44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता
- अनुच्छेद-45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध
- अनुच्छेद-46 SC/ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थसंबंधी हितों की अभिवृद्धि
- अनुच्छेद-47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोकस्वास्थ्य को सुधारना राज्य का कर्त्तव्य
- अनुच्छेद-48 कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक आधार पर संगठन
- अनुच्छेद-48(क) पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा
- अनुच्छेद-49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
- अनुच्छेद-50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
- अनुच्छेद-51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

GS World Committed To Excellence

अध्याय 8

मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties)

भारतीय संविधान विश्व के उन चुनिंदा संविधानों में से एक है जहाँ पर मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों को भी समाहित किया गया है। हालांकि मूल संविधान में संविधान निर्माताओं ने इन्हें शामिल नहीं किया था, परन्तु उन्होने नीति निदेशक तत्वों के रूप में राज्य के कर्तव्यों को शामिल किया है। 1976 में भारतीय संसद में नागरिक कर्तव्यों को लेकर मांग की गयी। फलत: सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।

मौलिक कर्त्तव्य संविधान के भाग-4क में अनुच्छेद-51क में वर्णित है, एवं मौलिक कर्त्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सो. वियत संघ रूस के संविधान से ग्रहण किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्त्तव्यों को शामिल किया गया था, परन्तु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा 11वाँ मौलिक कर्त्तव्य जोड़ा गया। प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह

(A). संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

(B). स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं रखें और उनका पालन करें।

(C). भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें।

(D). देश की रक्षा करें और आहवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

(E). भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं।

(F). हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।

(G). प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।

(H). वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

(I). सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें।

(J). व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(K). इसके अनुसार अभिभावकों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे अपने छ: वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।

मौलिक कर्त्तव्यों की उपयोगिता

मौलिक कर्त्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के मौलिक दायित्वों तथा सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- *मौलिक कर्त्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया।*
- *भारतीय संविधान में भाग-4(क) (अनु.-51क) जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्त्तव्यों का समावेश किया गया जो वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्त्तव्य तक पहुँचा है।*
- *राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा करना, लोक चुनाव में मतदान करना आदि मौलिक कर्त्तव्यों की श्रेणी में नहीं आते।*
- *42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्त्तव्य के नाम से जाना जाता है।*
- *ध्यातव्य है कि स्वर्णसिंह समिति ने 8 मूल कर्त्तव्यों की संस्तुति की थी।*

GS World Committed To Excellence

अध्याय 9

संविधान संशोधन

भारतीय संविधान में समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। ये संशोधन बदलती परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा सामाजिक गतिशीलता आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए गए हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने को 'संशोधन' कहा जाता है।

संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख लिखित संविधान का आवश्यक अंग माना गया है। संविधानविद् गार्नर के शब्दों में "कोई भी लिखित संविधान इस प्रकार के उपबन्धों के बिना अपूर्ण हैं।" भारत के संविधान निर्माताओं को भविष्य में बदलती भारत की परिस्थितियों का पूरा आभास था। अत: उन्होने न ही संविधान को बहुत कठोर बनाया और न ही बहुत लचीला। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर अनुच्छेद-368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को दी गई।

भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है परन्तु हमारे संविधान को थोड़ा कठोर एवं थोड़ा लचीला बनाया गया है। जैसा कि भारतीय संविधान को एक जीवित दस्तावेज के रूप में व्याख्यायित किया गया है। अत: उसमें परिवर्तन अन्तर्निहित है।

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन संविधान के **भाग-20** में **अनुच्छेद-368** के अन्तर्गत निहित है। संविधान में संशोधन के लिए तीन प्रक्रिया अपनायी जाती है-

A. साधारण बहुमत द्वारा संशोधन

B. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन

C. विशेष बहुमत तथा राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से होने वाला संशोधन

A. साधारण बहुमत द्वारा संशोधन

संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें आसानी से या सरल प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों के लिए संसद में उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है।

1. नए राज्यों का प्रवेश या पुनर्निर्माण, नामकरण अथवा सीमांकन
2. राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति
3. राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए वेतन, भत्ते तथा अन्य परिलब्धियाँ।
4. संसदीय प्रक्रिया के संचालन के लिए कोरम व गणपूर्ति
5. नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति
6. संसद एवं विधानमंडल के लिए निर्वाचन
7. पांचवीं एवं छठी अनुसूची में सम्मिलित SC/ST एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
8. संसद में अंग्रेजी भाषा
9. राजभाषा का प्रयोग
10. निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण
11. केन्द्र शासित प्रदेश आदि।

B. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन

इस प्रकार के संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनो के कुल सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत (उपस्थित तथा मतदान देने वाले) की आवश्यकता होती है। ध्यातव्य है कि संविधान के ज्यादातर उपबन्धों का संशोधन इसी प्रक्रिया के तहत किया जाता है।

नोट: राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान करता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान कर सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, परन्तु अनु-368 के अधीन संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है।

GS World Committed To Excellence

(C) विशेष बहुमत तथा राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से होने वाला संशोधन

ऐसे संशोधन में संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडल का भी समर्थन प्राप्त करना भी होता है।

नोट: किसी भी अनुच्छेद में संशोधन के लिए इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी साधारण विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है।

इस संशोधन प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है-

1. राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया (अनुच्छेद-54-55)
2. संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार (अनुच्छेद-73)
3. राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार (अनुच्छेद-165)
4. उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय
5. केन्द्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन (भाग-IX)
6. सातवीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय
7. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
8. संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया (अनुच्छेद-368)

स्मरणीय तथ्य

- ☞ *भारतीय संविधान के भाग-20 में अनुच्छेद-368 के तहत् संविधान संशोधन का उपबंध किया गया है।*
- ☞ *भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका संविधान से प्रेरित है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है।*
- ☞ *संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत से अभिप्राय सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि संविधान संशोधन विधेयक पर यदि दोनों सदनों में मतभेद है तो अनुच्छेद-108 के तहत् संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि यदि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को यदि राज्यसभा अस्वीकार कर दे, तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त समझा जाता है।*
- ☞ *भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन सन् 1951 में भूमि सुधार विधियों से संबंधित था।*
- ☞ *भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन में ही 9वीं अनुसूची में दो नये अनुच्छेद-31(क) तथा 31(ख) जोड़े गए।*
- ☞ *भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत को विशेष बहुमत कहा जाता है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि संविधान के अधिकतम संशोधन विशेष बहुमत प्रक्रिया से किए जाते हैं।*
- ☞ *सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ वाद में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया।*
- ☞ *गोलकनाथ वाद में ही उच्चतम न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि 'मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह उसे अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं।'*
- ☞ *उच्चतम न्यायालय में 'आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत' केशवानंद भारती वाद में दिया।*
- ☞ *सामान्यतम संविधान के आधारभूत ढाँचे का अर्थ ऐसे उपबंधों से लगाया जाता है जो संविधान के मूल स्वरूप या भावना को निर्मित करते हैं।*
- ☞ *भारतीय संविधान का 93वाँ संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण जारी रखने से संबंधित है।*
- ☞ *भारतीय संविधान का 7वाँ एवं 31वाँ संविधान संशोधन लोकसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हेतु किया गया।*
- ☞ *भारतीय संविधान का 79वाँ संविधान संशोधन लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है।*
- ☞ *भारतीय संविधान का 2015 में 100वाँ संविधान संशोधन भारत-बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से जबकि 2016 में 101वाँ संविधान संशोधन जी.एस.टी. कर प्रणाली लागू करने से संबंधित है।*

अध्याय 10

संसदीय व्यवस्था

संसदीय व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका अर्थात संसद से प्राप्त करती है। इस प्रकार की संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है।

अध्यक्षीय शासन प्रणाली में प्राय: राज्य का अध्यक्ष सरकार अर्थात् कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त नहीं करती है।

सरकार के तीन स्तम्भ →
- **कार्यपालिका**–कानून का निर्माण करने वाली संस्था
- **विधायिका**–कानून का पालन करने वाली संस्था
- **न्यायपालिका**–न्याय सुनिश्चित करने वाली संस्था

भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था को अपनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण औप. निवेशिक शासन के दौरान 1919 और 1935 जैसे अधिनियमों के माध्यम से संसदीय व्यवस्था से परिचित होना माना जाता है। इस अनुभव से हमें संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यपालिका को जन-प्रतिनिधित्व के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएँ है जो निश्चित करती है कि कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद-74 और 75 के तहत संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र तथा अनुच्छेद 163 और 164 के तहत राज्यों के मध्य कार्यपालिका शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संसदीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण या विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है-

- इस व्यवस्था में राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है। शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, परन्तु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती हैं।
- राष्ट्रपति नामित कार्यकारी है।
- प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी है।
- बहुमत आधारित इस व्यवस्था में संख्या (बहुमत) के आधार पर सरकार का गठन होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जीतने वाले दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है।
- इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- इसमें लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सुदृढ़ होता है।

संसदीय व्यवस्था के गुण एवं दोष

गुण	दोष
1. उत्तरदायी सरकार	1. अस्थिर सरकार
2. व्यापक प्रतिनिधित्व	2. शक्ति पृथक्करण के विरूद्ध
3. निरंकुशता का प्रतिषेध	3. मंत्रिमंडल की निरंकुशता
4. वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था-बहुमत खोने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा विपक्षी दल को सरकार बनाने का आमंत्रण देना है।	4. नीतियों में अनिश्चितता
5. व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य	5. अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन

संसद

भारतीय संसद को संघ का विधान मंडल भी कहा जाता है। भारत की संसदीय प्रणाली **''वेस्टमिंस्टर मॉडल''** पर आधारित है। संसद सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केन्द्र स्थल है। **सर्वसम्मति, सदन में बहस, विरोध प्रदर्शन**

GS World
Committed To Excellence

जैसे क्रियाकलाप संसद को **जीवंत** बनाए रखते हैं।

संविधान के भाग-IV में अनुच्छेद-79 से 122 तक संसद के गठन, स्वरूप, समयावधि, प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन किया गया है।

संसद के अंग

- **लोकसभा**
  - अधिकतम सदस्य = 552
  - वर्तमान सदस्य = 545 (530 + 13 + 2)
  - मनोनीत सदस्य = 02
  - ↓ प्रथम सदन ↓ निम्न सदन ↓ अस्थायी सदन ↓ उत्तरदायी सदन
- **राष्ट्रपति**
- **राज्यसभा**
  - अधिकतम सदस्य = 250
  - निर्वाचित सदस्य = 238
  - मनोनीत सदस्य = 12
  - ↓ द्वितीय सदन ↓ उच्च सदन ↓ स्थायी सदन ↓ अनुत्तरदायी सदन

राष्ट्रपति (President)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 53 (A) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति **पांच वर्ष** की नियत अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होता है। संविधान के भाग-V में **अनुच्छेद 52** से **78 तक संघ** की कार्यपालिका का वर्णन है।

राष्ट्रपति के निर्वाचकगण (Electoral college)

- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।
- केन्द्रशासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।

राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएँ-(अनुच्छेद-58)

- भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और
- भारत सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन **लाभ का पद धारण** न करता हो।

नोट: भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं माना जाता है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में **एकल संक्रमणीय मत** द्वारा **आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति** अपनायी गयी है। निर्वाचन की इस पद्धति में जो संख्या के आधार पर बहुमत प्राप्त कर लेता है अथवा संख्या में सर्वाधिक मत अर्जित कर लेता है उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है।

इस पद्धति में सबसे पहले एक कोटा तय किया जाता है जोकि 50% से अधिक है, प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त इस पद्धति में मतदाता को मत देते समय वरीयताओं (मत देने का क्रम 1, 2, 3) का अंकन करना आवश्यक होता है।

राष्ट्रपति की शपथ (अनुच्छेद-60)

राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम् न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है।

पदावधि (अनुच्छेद-56)

राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति के पुन: निर्वाचन के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति केवल दो बार निर्वाचित हो सकता है।

GS World Committed To Excellence

भारत में पाँच वर्ष के भीतर राष्ट्रपति दो प्रकार से पदमुक्त हो सकता है-

- उपराष्ट्रपति को सम्बोधित त्यागपत्र द्वारा।
- संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद-61 में निहित महाभियोग प्रक्रिया द्वारा।

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

राष्ट्रपति को **अनुच्छेद-61** के तहत संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलायी जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारम्भ की जा सकती हैं।

राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप प्रख्यापित करने सम्बन्धी कुछ नियम व शर्तें हैं-

- यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए।
- **कम से कम 14 दिन** की पूर्व सूचना के बाद प्रस्तावित हो।
- संसद की कुल सदस्य संख्या का **न्यूनतम 1/4 सदस्यों** के हस्ताक्षर द्वारा संकल्प प्रस्तावित किया गया हो।

नोट:

- राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया किसी एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाती है तो दूसरा सदन इसकी जाँच कराता है। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने या अपने प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है।
- ध्यातव्य है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होने राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया था, वे भी महाभियोग की इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते।

राष्ट्रपति की शक्तियां

भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान बताया गया है परन्तु यहाँ उसके लिए यह निश्चित किया गया है कि वह अपनी शक्तियों का उपभोग केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा। हालांकि राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट विवे. काधीन शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को शक्तियों की विस्तृत व्याख्या निम्नलिखित रूप में की जा सकती है-

प्रशासनिक शक्तियाँ

- भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं।
- प्रशासनिक या कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रपति अपने नाम से जारी किए जाने वाले आदेश तथा अन्य कार्यवाहियों के सन्दर्भ में उन नियमों को बना सकता है, जिनसे यह स्पष्ट हो कि उन आदेशों तथा कार्यवाहियों को किस रूप में वैध माना जाए।
- राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- वह सभी राज्यों के राज्यपाल तथा उपराज्यपालों को नियुक्त करता है।
- भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों तथा संघ लोक सेवा आयोग व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राष्ट्रपति SC/ST व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करता है।
- वह वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है।
- वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ

राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग (लोकसभा + राज्य सभा + राष्ट्रपति = संसद) हैं। हालांकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।

- वह संसद के दोनों सदनों का सत्र आहूत व भंग कर सकता है। (अनुच्छेद-85)
- वह संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। (अनुच्छेद-108)
- वह नयी लोक सभा के गठन के तुरंत बाद पहले सत्र की शुरूआत पर तथा प्रत्येक वर्ष सत्र के प्रारम्भ होने पर संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करता है। (अनुच्छेद-86)
- वह किसी भी सदन को किसी भी विधेयक के सम्बन्ध में संसद को संदेश भेज सकता है।
- राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के जानकार 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। (अनुच्छेद-80)
- वह लोकसभा में 2 आंग्ल-भारतीयों को नियुक्त करता है। (अनुच्छेद-331)

GS World Committed To Excellence

- वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्हता के प्रश्न पर निर्णय करता है।

राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ

- राष्ट्रपति द्वारा संसद के सम्मुख निम्नलिखित प्रतिवेदन (Repote) प्रस्तुत कराए जाते हैं।
- धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- वित्तीय बजट (अनुच्छेद-112)
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (अनुच्छेद-151)
- वित्त आयोग की अनुसंशाएँ (अनुच्छेद-281)
- अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है।
- राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की अनुमति देता है।
- वह केन्द्र व राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है।

राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ

राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। युद्ध की घोषणा और शांति स्थापना की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यद्यपि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इन शक्तियों का प्रयोग करता है।

राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति

- राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ काफी व्यापक है।
- उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है।
- अनुच्छेद-72 के तहत राष्ट्रपति तीन मामलों में दोष-सिद्ध व्यक्ति को सजा को कम अथवा क्षमा कर सकता है।
- यदि दण्ड या दण्ड का आदेश सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो।
- यदि दण्डादेश किसी ऐसे कानून का उल्लंघन कर रहा हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत शामिल है।
- ऐसे सभी मामले जिनमें मृत्युदण्ड का आदेश दिया गया है।

क्षमादान (Pardon)

इसके अन्तर्गत अपराधी को दण्ड या दण्डादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना होता है। यहाँ क्षमा देने का अर्थ सिर्फ दण्ड को समाप्त करना नहीं होता, अपितु दोषसिद्ध अपराधी ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है।

लघुकरण (Commute)

इसके अन्तर्गत मृत्यु दण्ड या कारावास की सजा को परिवर्तित या घटाया जाता है जैसे कठोर कारावास को घटाकर साधारण कारावास में अथवा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना।

परिहार (Remission)

इसका अर्थ है-दण्ड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दण्ड की मात्रा में कमी लाना जैसे-पांच वर्ष के कठोर कारावास को कम कर दो वर्ष की कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना।

विराम (Respite)

इसके अंतर्गत दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों (शारीरिक दिव्यांगता, गर्भवती स्त्रीं आदि) में दण्ड कठोरता को कम करना।

प्रबिलम्बन (Reprive)

इसका अर्थ है:- मृत्युदण्ड को अस्थायी तौर पर निलम्बित कर देना।

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को तीन प्रकार की परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात घोषित करने की शक्ति प्राप्त है:-

- अनुच्छेद-352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
- अनुच्छेद-356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर
- अनुच्छेद-360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा

1. **अनुच्छेद-352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा:** यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के होने या होने की सम्भावना के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह सम्पूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपात् काल की घोषणा कर सकेगा। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त घोषणा समुचित विचार के उपरांत की गयी है, संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संघीय मंत्रिपरिषद्, राष्ट्रपति द्वारा ऐसी घोषण ाा की संस्तुति लिखित रूप में करेगा। ऐसी घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन में 30 दिन के अन्दर रखना आवश्यक है।
2. **अनुच्छेद-356 के तहत राष्ट्रपति शासन:** इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या स्वयं समाधान हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह सम्बन्धित

राज्य में राष्ट्रपति शासन अथवा आपात् की घोषणा कर सकता है।

3. **अनुच्छेद-360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा:** यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व अथवा साख संकट में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है।

राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति (अनुच्छेद-111)

संसद के दोनों सदनो द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। अनुच्छेद-111 के अन्तर्गत किसी विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होता है।

- वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है जिससे बिल तत्काल अधिनियम (Act) बन जाता है।
- वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा
- वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।

ध्यातव्य है कि यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए संसद को वापस कर देता है और संसद उस विधेयक में संशोधन अथवा बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है।

आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto)

ऐसा वीटो जो संसद द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता है। सामान्यत: यह वीटो निम्नलिखित दो मामलों में प्रयोग किया जाता है।

- प्रथम - ऐसे विधेयक जो किसी मंत्री द्वारा न लाया गया हो।
- द्वितीय - ऐसे सरकारी विधेयक जो राष्ट्रपति की सहमति के विचाराधीन हो तथा मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से विधेयक पर सहमति न देने की सलाह दे।

निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto)

निलंबनकारी वीटो से तात्पर्य ऐसे वीटो से है जिसका विधानमंडल की सामान्य बहुमत द्वारा अध्यारोहण कर लिया जाता है। अर्थात यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाता है और संसद द्वारा उसे पुन: पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है।

पॉकेट वीटो (Pocket Veto)

जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अपनी सहमति देता है और न ही उसे संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है किंतु अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसे राष्ट्रपति का जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं।

राज्य विधान पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राज्य की विधायिका पर सीधे वीटो प्रयोग करने की शक्ति नहीं है। वह इस प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग राज्यपाल के माध्यम से करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल सम्बन्धित विधेयक पर-

- या तो अपनी अनुमति प्रदान करता है, अथवा
- वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, या
- वह विधेयक (यदि धन विधेयक नहीं है) को राज्य की विधान मंडल के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
- इसके अतिरिक्त यदि उसे आवश्यक लगे, तो सम्बन्धित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रेषित कर सकता है।

जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के निम्नलिखित तीन विकल्प होते हैं-

- विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर सकता है, या
- अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा
- राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेज दे।

यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यदि राज्य की विधायिका बिना संशोधन किए अथवा संशोधित करके विधेयक को पुन: राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज देती है तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसे ही राज्य की विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो कहते हैं।

राष्ट्रपति की अध्यादेश निकालने की शक्ति (अनुच्छेद-123)

- संविधान के अनुच्छेद-123 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को उन सभी विषयों पर अध्यादेश द्वारा विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है जो संघ की विधायी शक्ति में आते हैं। परन्तु इस शक्ति का प्रयोग संविधान संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर निम्नलिखित निर्बन्धन अध्यारोपित है-
- राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संघीय विधायिका के दोनों सदन सत्र में न हो। हालांकि जब केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है।
- यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है,

GS World Committed To Excellence

तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।

- राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की समय सीमा निर्धारित (6 सप्ताह और 6 माह) है, जबकि संसदीय अध्यादेश असीमित समय के लिए जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश केवल उन्ही मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिनपर संसद विधि निर्माण कर सकती है।
- राष्ट्रपति द्वारा ऐसे अध्यादेश जारी नहीं किए जा सकते जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण अथवा उन्हे प्रतिस्थापित करते हों।

नोटः राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है।

उप-राष्ट्रपति

भारतीय संविधान में उप-राष्ट्रपति पद की अवधारणा अमेरिकी संविधान से अभिप्रेरित है। उप-राष्ट्रपति का पद वरीयता के क्रम में राष्ट्रपति के पश्चात् दूसरा सर्वोच्च पद है। संविधान में उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है-

- प्रथम - जब कभी राष्ट्रपति के आकस्मिक निधन त्यागपत्र अथवा अपदस्थता के कारण उसका पद रिक्त हो जाता है तो उप-राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
- द्वितीय - अनुपस्थिति, अस्वस्थता अथवा किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपने कर्त्तव्य निर्वहन में असमर्थ हो, तो **उप-राष्ट्रपति स्थानापन्न राष्ट्रपति के रूप में कार्य** करता है।

अनुच्छेद-63 के अनुसार भारत का एक उप-राष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद-64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।

उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

राष्ट्रपति की भाँति उप-राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। उप. राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है।

उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है।

उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता

- वह भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
- कोई लाभ का पद न धारण करता हो।

उप-राष्ट्रपति की शपथ (अनुच्छेद-69)

उप-राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। उप-राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष तक अपने पद पर आरूढ़ रहता है।

- उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति को सम्बोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
- उप-राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है।
- ऐसा करने के लिए राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा उसकी लोकसभा द्वारा पुष्टि हो जाने पर वह अपने पद से अपदस्थ हो जाता है। हालांकि ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने से पूर्व 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है।
- उप-राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है।
- उप-राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद की जाँच उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है।

उप-राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ

- उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता एवं समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है। इस सन्दर्भ में उसकी शक्तियाँ एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होती है।
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, त्यागपत्र, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर उप-राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नये राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व वह अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है।
- जब कभी किसी प्रश्न पर सदन में मत विभाजन होता है तो वह मतो की गिनती करता है तथा परिणामों की घोषणा करता है।

GS World Committed To Excellence

- इसके अतिरिक्त वह सदन में किसी प्रस्ताव या विधेयक पर मतदान नहीं करता, परन्तु जब सदन में मतदान समान होने पर वह निर्णायक मत देता है।

परिलब्धियाँ

उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं परन्तु जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भते आदि प्राप्त होते हैं।

वरीयताक्रम एवं पद	वेतन प्रतिमाह
1. राष्ट्रपति	500000
2. उप-राष्ट्रपति	400000
3. राज्यपाल	350,000
4. भारत के मुख्य न्यायाधीश	280,000
5. उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	250,000

स्मरणीय तथ्य

- *भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है।*
- *संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई।*
- *सत्तावादी सरकार की स्थापना भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है।*
- *'एकल कार्यपालिका' अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है।*
- *भारतीय संविधान परिसंघीय है क्योंकि केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है।*
- *के. सी. व्हीयर के अनुसार, भारतीय संविधान अर्द्धसंघात्मक संविधान है।*
- *डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, 'संविधान को संघात्मकता के तंग ढाँचे में नहीं ढाला गया है।'*
- *भारत के संघीय राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है।*
- *सर ग्रेनविल आस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है।*
- *भारतीय संसद प्रणाली और ब्रिटेन की संसद प्रणाली में मुख्य अंतर का बिन्दु न्यायिक समीक्षा है।*
- *भारतीय संविधान के अनु.-53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।*
- *ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य सम्मिलित नहीं होते।*
- *राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीद्वार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित एवं 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।*
- *भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है।*
- *भारतीय संविधान के अनु.-55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध है।*
- *राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर सकता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन (विधान परिषद) का सदस्य हो।*
- *भारतीय संविधान के अनु.-57 के अनुसार, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है।*
- *भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाने के लिए अनु.-61 में महाभियोग का प्रावधान है।*
- *भारतीय संविधान के अनु.-61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है।*
- *भारतीय संविधान में केन्द्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है।*
- *संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल, दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एवं वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।*
- *राष्ट्रपति अनु.-85 के तहत् मंत्रिपरिषद की सलाह से लोकसभा को नियत अवधि से पहले भी भंग कर सकता है।*
- *भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है।*
- *हृदयनाथ कुंजरू ने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को संविधान के साथ धोखा कहा था।*
- *भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक, औपचारिक, विधिक एवं नाममात्र का मुखिया है।*
- *किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।*
- *भारतीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने एकमात्र मामले भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था।*
- *अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान राष्ट्रपति वी. वी. गिरी के लिए हुआ।*
- *भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण डॉ. नीलम संजीव रेड्डी है।*
- *ज्ञानी जैलसिंह राष्ट्रपति बनने से पहले केन्द्र में गृहमंत्री रह चुके थे।*
- *वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्रम 14वाँ है।*

GS World Committed To Excellence

- ☞ *डॉ. जाकिर हुसैन एवं फखरूद्दीन अली अहमद की मृत्यु राष्ट्रपति रहते हुए हुई थी।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनु.-63 के अनुसार, भारत का एक उप-राष्ट्रपति होगा।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनु.-64 के अनुसार, उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है इसमें केवल ससंद के सभी सदस्य भाग लेते है।*
- ☞ *उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधान परिषद एवं विधान सभा सदस्य भाग नहीं लेते।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनु.-67 के अनुसार, उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।*
- ☞ *उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर भी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पद त्याग कर सकता है।*
- ☞ *स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।*
- ☞ *भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का उप-राष्ट्रपति के रूप में क्रमांक-13 है।*

राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद	प्रावधान
• अनुच्छेद 52	भारत के राष्ट्रपति
• अनुच्छेद 53	संघ की कार्यपालिका शक्ति
• अनुच्छेद 54	राष्ट्रपति का चुनाव
• अनुच्छेद 55	राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका
• अनुच्छेद 56	राष्ट्रपति का कार्यकाल
• अनुच्छेद 57	पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हता
• अनुच्छेद 58	राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता
• अनुच्छेद 59	राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
• अनुच्छेद 60	राष्ट्रपति द्वारा शपथ
• अनुच्छेद 61	राष्ट्रपति पर महाभियोग
• अनुच्छेद 62	राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय
• अनुच्छेद 71	राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विभिन्न मामले
• अनुच्छेद 72	राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों दंड का स्थगन, माफी अथवा अल्पीकरण
• अनुच्छेद 63	भारत का उप-राष्ट्रपति
• अनुच्छेद 64	उप-राष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना
• अनुच्छेद 65	उप-राष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन
• अनुच्छेद 66	उप-राष्ट्रपति का चुनाव
• अनुच्छेद 67	उप-राष्ट्रपति कार्यकाल
• अनुच्छेद 68	उप-राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्तियों की पूर्ति हेतु समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल
• अनुच्छेद 69	उप-राष्ट्रपति का शपथ
• अनुच्छेद 70	अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन
• अनुच्छेद 71	चुनाव तथा उससे सम्बन्धित मामले

GS World Committed To Excellence

अध्याय 11

प्रधानमंत्री

भारत में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है एवं राष्ट्रपति मात्र संवैधानिक अध्यक्ष होता है। संविधान में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के उत्त. रदायित्वों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-74 (1) के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी सलाह के अनुरूप कार्य करेगा।

संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति हेतु किसी विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में अनुच्छेद-75 में सिर्फ इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं उसके सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद-75(2) के तहत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।

ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वविवेकीय शक्ति के अन्तर्गत नहीं आती है।

- राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है किन्तु त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
- हालांकि ऐसी स्थिति में वह लोकसभा में सबसे बड़े दल अथवा गठबन्धन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उससे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है।
- यदि वह कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है। इस दौरान उसे दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां

जैसा कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। इस लिए संघीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में उसे व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है जो निम्नवत है-

- वह संसद के निर्वाचित सदन (लोकसभा) में बहुमत वाले दल का नेता होता है।
- अनुच्छेद-74(1) के तहत वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।
- वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है एवं उनमें फेरबदल करता है।
- मंत्रियों के चयन एवं पदच्युत करने की सलाह राष्ट्रपति को देने की शक्ति प्रधानमंत्री को है।
- वह मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है एवं उसके निर्णयों को प्रभावित करता है।
- मंत्री सिद्धांततः राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं, परन्तु वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यन्त।
- वह महत्वपूर्ण संगठनों यथा, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद आदि का अध्यक्ष होता है।
- वह अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है।

राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संवैधानिक शक्तियाँ

- अनुच्छेद-52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद-53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
- अनुच्छेद-74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।
- अनुच्छेद-77 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रशासन एवं मंत्रिपरिषद् के कार्यों से राष्ट्रपति को संसूचित करे।
- राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर कार्यपालिका के कार्यों, निर्णयों आदि की जानकारी दे।
- किसी ऐसे विषय पर जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, किन्तु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखे।

GS World Committed To Excellence

- प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों यथा-भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग व निर्वाचन आयुक्तों एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु परामर्श देता है।

नोटः प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है।

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद

संविधान में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। सरकार की यह संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है।

- संविधान में अनुच्छेद-74 एवं 75 के तहत मंत्रिपरिषद के गठन, अर्हता इत्यादि के बारे में सामान्य वर्णन दिया गया है।
- अनुच्छेद-74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करेगा यद्यपि वह पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है परन्तु यदि मंत्रिपरिषद द्वारा दुबारा भेजने पर राष्ट्रपति को सलाहनुसार कार्य करना पड़ेगा।
- मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आती।

अनुच्छेद-75

- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
- इस अनुच्छेद में उपबन्ध किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री के सलाह से वह मंत्रियों को नियुक्त करेगा।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम-2003 द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।

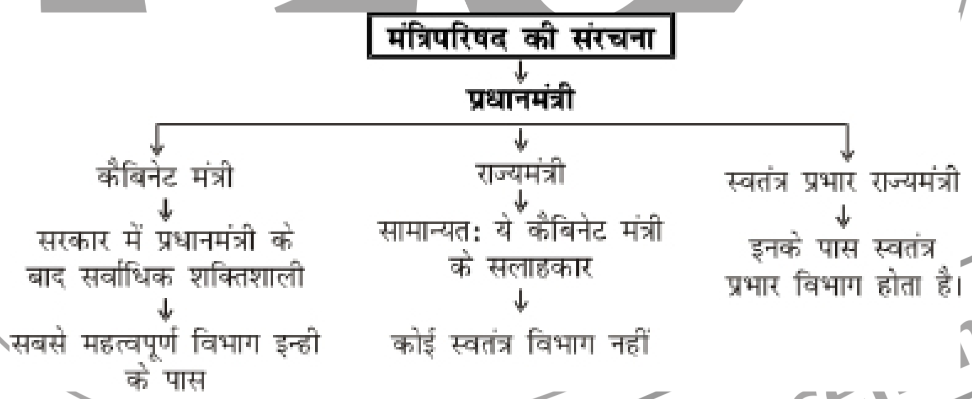

मंत्रियों के सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

- यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सभी मंत्री सरकार के सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे।
- सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत के अनुसार मंत्रिमंडल के समस्त निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होंगे भले ही वह निर्णय से असहमत हो। यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय से असहमत तथा वह उसे मानने को तैयार नहीं, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।
- व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के तहत यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो वह मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है अथवा उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है।

नोटः भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। कोई भी न्यायालय प्रधानमंत्री या मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गयी सलाह की न्यायिक जांच नहीं कर सकता है।

मंत्रिमंडलीय समितियां

भारतीय संविधान में मंत्रिमण्डलीय समितियों के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। इनका सृजन संविधानेत्तर उपबन्धों के आधार पर किया गया है। ये समितियाँ दो प्रकार की हैं-

- **प्रथम-तदर्थ समितिः**-इसका गठन समय-समय पर विशेष समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है तथा उद्देश्य पूरा होने पर इन्हे भंग कर दिया जाता है।
- **द्वितीय-स्थाई समिति :**- ये स्थायी प्रकृति की होती हैं तथा इनका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है।
- मंत्रिमण्डलीय समितियों में सामान्यतः कैबिनेट मंत्री ही सदस्य होते हैं लेकिन यह अनीवार्यता नहीं है।

GS Committed To Excellence

- मंत्रिपरिषद समितियों की अध्यक्षता सामान्यत: प्रधानमंत्री करता है परन्तु कभी-कभी गृह मंत्री अथवा वित्त मंत्री को भी अध्यक्ष बनाया जाता है।

समितियों के कार्य

- ये समितियाँ राजनीतिक मामलों व आर्थिक मामलों को निर्देशित करने तथा लोक उद्यमों, केन्द्रीय सचिवालयों, बैंकों व वित्तीय संस्थानों में उच्च पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में निर्णय लेती है।
- इसके अतिरिक्त मंत्रिमण्डलीय समिति संसद में सरकार के कार्यों एवं भूमिका का अवलोकन करती है।

स्मरणीय तथ्य

- ☞ *राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है।*
- ☞ *भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों के चयन में पूर्णत: स्वविवेक का प्रयोग करता है।*
- ☞ *चौधरी चरणसिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए।*
- ☞ *श्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे।*
- ☞ *श्रीमती इंदिरा गाँधी एवं मनमोहन सिंह राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने गए थे।*
- ☞ *जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गाँधी, अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारी लाल नंदा तथा डॉ. मनमोहन सिंह एक से अधिक बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए।*
- ☞ *डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिज़र्व बैंक के गवर्नर, आई.एम.एफ. में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके थे।*
- ☞ *प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है।*
- ☞ *मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री- कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री एवं उपमंत्री होते हैं।*
- ☞ *कैबिनेट से तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुसार, संसद में विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा (मंत्रिपरिषद) रखा जा सकता है।*
- ☞ *संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन एन. गोपालास्वामी आयंगर की रिपोर्ट (1949) पर आधारित था।*
- ☞ *भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला अधिकारिक दस्तावेज 'श्वेत-पत्र' कहलाता था।*
- ☞ *भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनु.-352 में किया गया है।*

GS World
Committed To Excellence

अध्याय 12

संसद

संसद का गठन

संविधान निर्माता भारत की विविधतापूर्ण परिस्थितियों के अनुरूप संघीय विधायिका का निर्माण करना चाहते थे, ताकि देश के सभी क्षेत्रों व समाज के सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग-अलग है। ऐसा कहा जा सकता है कि राज्यसभा में जहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व है, वहीं लोक सभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्रीय स्तर पर विधि निर्माण के लिए द्विसदनीय व्यवस्था दी गयी है जिसे लोक सभा तथा राज्य सभा के नाम से जाना जाता है।

संविधान के **भाग-V में अनुच्छेद-79 से 122 तक** संसद के गठन, संरचना, अवधि, विशेषाधिकार प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति, राज्य सभा तथा लोकसभा संसद के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं।

राज्यसभा

राज्यसभा के सदस्यों की **अधिकतम संख्या 250** है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है अर्थात इसका कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। परन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इन सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है।

संविधान की **चौथी अनुसूची** में राज्यसभा में प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन की प्रविधि का वर्णन किया गया है जो कि निम्नलिखित तीन प्रकार से आवंटित है-

- राज्यों का प्रतिनिधित्व
- संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व
- नामित या नाम निर्देशित सदस्य

राज्यसभा में सदस्यों को राज्यों की **जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व** दिया गया है अर्थात जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या है उसको उतना ही अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है जैसे- **उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तथा सिक्किम में न्यूनतम** जनसंख्या के तहत क्रमश: **31 तथा 1** राज्यसभा सीटें आवंटित हैं।

- राज्यसभा में 7 केंद्र शासित राज्यों में से 2 (दिल्ली और पुडुचेरी) को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
- निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त 12 राष्ट्रपति द्वारा **कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक क्षेत्र** के विषयों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है।

राज्य सभा सदस्यों की योग्यता

- वह भारत का नागरिक हो।
- 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

नोट: राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए सम्बन्धित राज्य की मतदाता सूची में नाम निर्दिष्ट होने की अनिवार्यता को अब समाप्त कर दिया गया है।

राज्यसभा की शक्तियाँ तथा कार्य

संरचनात्मक दृष्टि से राज्य सभा को विशिष्ट संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। राज्यसभा की शक्तियों को निम्नलिखित तीन रूपों में वर्गीकृत किया गया-

- राज्यसभा व लोकसभा की शक्तियों में समानता
- राज्यसभा तथा लोकसभा की शक्तियों में असमानता
- राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ

GS World Committed To Excellence

राज्य सभा व लोक सभा की शक्तियों में समानता के महत्वपूर्ण बिन्दु:-

- राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा महाभियोग के संबंध में
- धन विधेयक को छोड़कर शेष सभी विधेयकों पुर:स्थापना तथा उसे पारित करने के सम्बन्ध में समानता
- न्यायाधीशों के महाभियोग के सम्बन्ध में
- आपातकाल की उद्घोषणा की पुष्टि के सन्दर्भ में
- नवीन राज्यों के निर्माण तथा नामकरण के सम्बन्ध में
- राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को स्वीकृति देने के संदर्भ में समानता या समान शक्ति।

राज्य सभा तथा लोकसभा के मध्य शक्तियों में असमानता के बिन्दु:-

- धन विधेयक के सम्बन्ध में राज्यसभा को कोई निर्णायक अधिकार प्राप्त नहीं है। वह केवल संशोधन प्रस्तावित कर सकती है जो कि लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है।
- राज्यसभा पर चर्चा कर सकती है, परंतु उसके अनुदान माँगों पर मतदान नहीं कर सकती है।
- राज्यसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

राज्य सभा की विशिष्ट शक्तियाँ

राज्य सभा संविधान के अनुच्छेद-249 के तहत दो तिहाई बहुमत से पारित किसी प्रस्ताव द्वारा संसद को अधिकृत कर सकती है कि वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सके।

इसके अतिरिक्त **अनुच्छेद-312** के तहत राज्यसभा अपने **कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत** से राज्य सभा को **अखिल भारतीय सेवा** के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है।

राज्य सभा के अधिवेशन

संविधान में यह उल्लिखित है कि संसद के **दोनों सदनों** के सत्रों के **बीच अधिकतम 6 माह का अन्तराल** होना चाहिए। हालांकि लोकसभा के विघटित होने की स्थिति में राज्यसभा का विशेष अधिवेशन आहूत किया जा सकता है।

संसदीय व्यवस्था में राज्य सभा की भूमिका

भारत की संसदीय व्यवस्था में संसद के उच्च सदन की उपयोगिता या औचित्य पर प्रश्न उठते रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि राज्यसभा के गठन तथा क्रियाकलाप पर भारी भरकम धनराशि व्यय की जाती है, जबकि भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्य सभा की कोई खास भूमिका नहीं होती है। राज्यसभा के औचित्य के सन्दर्भ में यदि उपरोक्त आलोचनाओं के आलोक में विश्लेषण करें तो स्थिति भिन्न नजर आती है।

- राज्यसभा राष्ट्रपति के चुनाव सभी प्रकार के महाभियोग तथा सभी प्रकार के कानूनों (धन विधेयक को छोड़कर) के निर्माण में लोकसभा के समान शक्ति रखती है।
- राज्य सभा संघीय भावना के अनुरूप राज्यों के हितों की संरक्षिका है।
- इसके अतिरिक्त राज्यसभा की भूमिका उस समय और अधिक विशिष्ट हो जाती है जब लोक सभा विघटित हो गयी हो तथा देश में आपातकाल लागू करने के लिए संसद की मंजूरी लेनी हो। ऐसे में राज्यसभा का विशेष अधिवेशन (अनुच्छेद 352, 356 और 360) बुलाया जाता है तथा संसद की मंजूरी ली जाती है।

लोकसभा

लोकसभा को **लोकप्रिय सदन, निम्न सदन** आदि नामो से भी जाना जाता है। लोक सभा के **सदस्य भारत की वयस्क जनता** द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत निर्वाचित होते हैं।

संविधान में लोकसभा के स्थानों की **अधिकतम संख्या-552** विहित है। लोक सभा के गठन में राज्यों के अधिकतम-530 प्रतिनिधि, संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 13 तथा राष्ट्रपति द्वारा **मनोनीत (आंग्ल-भारतीय समुदाय) 2 सदस्य** होते थे। जिससे।

नोट:

- **61वें संविधान संशोधन अधिनियम-1989** द्वारा **'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार'** की आयु सीमा को **21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष** कर दिया गया है।
- लोक सभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को उसमें निवास करने वाली (निवासी) जनसंख्या के आधार पर किया गया है। परंतु लोक सभा में सीटों का आवंटन इस विधि से किया गया है कि उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए समान रहे।
- अर्थात प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों में भी उस राज्य की जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व का प्रयास किया गया है। ऐसा राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के मध्य अधिक से अधिक एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है।
- संवैधानिक उपबन्ध के अन्तर्गत प्रत्येक जनगणना के पश्चात् लोक सभा की सीटों के पुन: समायोजन के लिए

GS World Committed To Excellence

परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, जो कि समय-समय पर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के लिए सीटों के आवंटन का सुझाव देता है।

- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा लोकसभा में स्थानों का आवंटन तथा प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया गया था जिसे **84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 25 वर्षों (2026) तक** के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि इस परिसीमन के लिए वर्ष 2001 की जनगणना को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया है।
- लोकसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्ष का होता है, यद्यपि किसी भी राजनीति दल अथवा गठबन्धन की सरकार द्वारा बहुमत न सिद्ध कर पाने या बहुमत देने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग कर नये चुनाव कराने की सलाह दे तो भी 5 वर्ष पूर्व लोकसभा भंग की जा सकती है।
- संविधान में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटे आरक्षित की गई हैं। प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था (1960 तक)। इसके बाद इसे हर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। हाल ही में, 104वें संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा इस आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

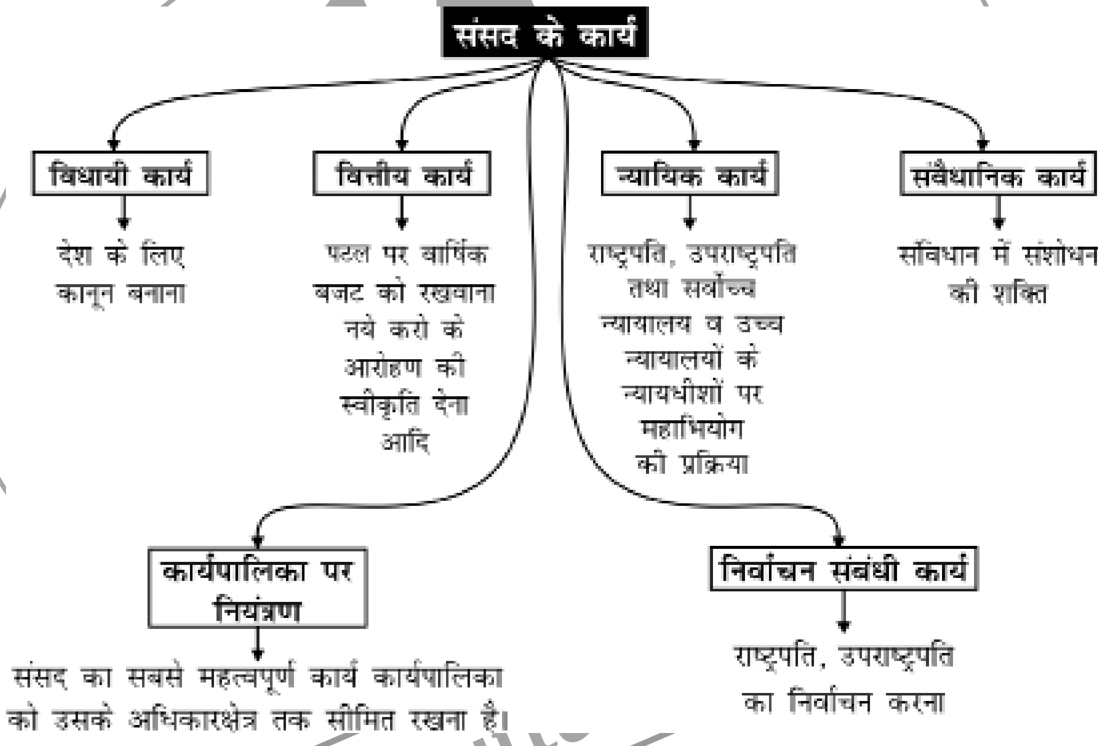

विधायी कार्य

संसद सम्पूर्ण देश अथवा उसके किसी एक भाग के लिए संवैधानिक उपबंधो के अनुरूप कानून का निर्माण कर सकती है। संसद में दो प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं-

- **प्रथम सरकारी विधेयक:** यह प्राय: किसी मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है।
- **द्वितीय गैर-सरकारी विधेयक:** यह संसद के किसी भी सदस्य (सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों) द्वारा पेश किया जाता है। हालांकि दोनों प्रकार के विधेयकों को संसद में समान प्रक्रिया के तहत पारित किया जाता है।

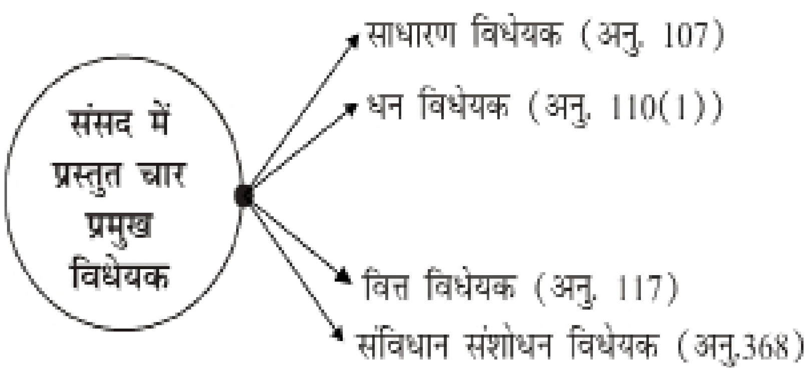

1. साधारण विधेयक

संविधान के अनुच्छेद-107 के तहत साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुरः स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक को प्रत्येक सदन में तीन बार वाचन तथा पाँच चरणों से गुजरना पड़ता है।

- **प्रथम वाचनः**- इस चरण में विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाता है परन्तु इस पर कोई चर्चा नहीं होती। हालांकि प्रस्तुतकर्ता (मंत्री या गैर मंत्री) सम्बन्धित विधेयक का शीर्षक तथा उद्देश्य बताता है। इसके पश्चात् विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है।
- **द्वितीय वाचनः**- इस चरण में सदन के दोनो सदनों में विधेयक पर चर्चा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त समीक्षा (यदि आवश्यक हो) के लिए प्रवर समिति को भेजा जाता है। प्रवर समिति में संबंधित सदन के सदस्य होते हैं। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है।
- **तृतीय वाचनः**-इस चरण में विधेयक पर मतदान होता है तथा केवल विधेयक को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने सम्बन्धी चर्चा होती है। इस चरण में विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जाता है। प्रथम सदन द्वारा विधेयक पारित होने के पश्चात सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक पर तीन वाचन होते हैं। दोनों सदनो द्वारा पारित होने के उपरान्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

नोटः जब विधेयक दूसरे सदन में विचार के लिए भेजा जाता है तो सदन-

- या तो विधेयक को अपनी मंजूरी देता है।
- या संशोधन कर सदन को वापस भेज सकता है।
- वह विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए रोक के रख सकता है।

नोट 2 : दूसरे सदन द्वारा सुझाए गये या किए गए विधेयक में सुधार को प्रथम सदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।

2. धन विधेयक

संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैः-

- किसी कर का आरोहण, संग्रहण, परिवर्तन या समाप्ति
- भारत सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन
- भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा इसमें धन जमा तथा निकालना
- भारत की संचित निधि से धन का विनियोग
- किसी भी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी रकम को बढ़ाना
- भारत की संचित निधि या भारत के लोकलेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अधीक्षण, इनसे व्यय इनका केन्द्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण

नोटः कोई विधेयक निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा-

- किसी प्रकार का अर्थदण्ड या जुर्माना या
- अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के शुल्क हेतु अनुदान
- किसी स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनो हेतु किसी कर का आरोपण, संक्षेपण, परिवर्तन या निरस्तीकरण।

कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है उसके इस निर्णय को किसी न्यायालय व राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है।

ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जब धन विधेयक लोकसभा में पारित होकर राज्य सभा तथा दोनो सदनों द्वारा पारित होकर **राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति** के लिए जाता है तो इन दोनों अवसरों पर लोक सभा अध्यक्ष **इस विधेयक को** धन विधेयक के

GS World Committed To Excellence

रूप में प्रमाणित करता है। स्मरणीय है कि धन विधेयक केवल लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

नोटः धन विधेयक जब लोक सभा द्वारा पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा 14 दिन के अन्दर अपनी स्वीकृति देती है अन्यथा विधेयक पारित माना जाता है।

वित्तीय कार्य

संविधान में अनुच्छेद-117(1) के अंतर्गत वित्त विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा मिलती है। प्रायः वित्त विधेयक उन विधेयकों से सम्बन्धित होते हैं जो कि वित्तीय मामलों से सम्बद्ध हैं। इसके अन्तर्गत नये वित्त वर्ष में **करारोपण**, कर का संक्षेपण आदि सम्मिलित होते हैं। धन विधेयक से तात्पर्य ऐसे विधेयक से हैं, जो कि **अनुच्छेद-110** के खंड **(क) से (छ) के विषयों** से सम्बन्धित हैं, जबकि वित्त विधेयक उक्त विषयों (धन विधेयक) के साथ-साथ अन्य वित्तीय विषयों से भी सम्बद्ध होता है। फलतः प्रत्येक वित्त विधेयक, धन विधेयक होते हैं लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है।

नोटः एक वित्त विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें अनुच्छेद-110 में वर्णित सभी मामले होते हैं। इसके अलावा जिसमें अनुच्छेद 117 (3) के तहत भारत की संचित निधि से भारित व्यय का प्रावधान हो।

वस्तुतः सरकार को बहुत सी योजनाओं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन की आवश्यकता होती है। फलतः सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है परन्तु लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि सरकार कोई नया कर लगाना चाह रही है तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। सरकार को अपने खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। सरकार द्वारा संसद के पटल पर रखे गये वार्षिक वित्तीय विवरण को ही 'बजट' कहा जाता है।

बजट

संविधान के अनुच्छेद-112 में वार्षिक विवरण का उल्लेख किया गया है अर्थात संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जो कि वर्तमान में 1 जनवरी से 31 दिसम्बर (पूर्व में 1 अप्रैल से 31 मार्च था) तक होता है। बजट के निम्नलिखित अंग होते हैं-

- राजस्व वृद्धि के अर्थोपाय
- व्यय का प्राक्कलन/अनुमान
- राजस्व एवं पूँजी प्राप्तियों का अनुमान
- वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण
- आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति कर व्यवस्था खर्च की योजना एवं नयी परियोजना।

नोटः **बजट 2017 में वर्तमान सरकार द्वारा 1921 ई.**, से चली आ रही रेल बजट व आम बजट को अलग-अलग पेश करने की परम्परा का परित्याग कर दिया गया। अब रेल बजट को आम बजट में समाहित कर केवल एक ही बजट (आम बजट) प्रस्तुत किया जाएगा।

बजट के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रमुख प्रावधान

(a) राष्ट्रपति द्वारा बजट को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाया जाएगा।

(b) राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी

(c) उचित विधि के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा।

(d) राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पुरःस्थापित नहीं होगा। इस तरह के किसी विधेयक को राज्यसभा में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा।

(e) कानून सम्मत प्राधिकार के अलावा किसी कर को अनिवार्य नहीं किया जाएगा।

(f) संसद द्वारा किसी कर को कम या समाप्त किया जा सकता है किन्तु इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।

(g) बजट के सम्बन्ध में दोनो सदनों की भूमिका

- संविधान में यह वर्णित है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत या पेश किया जाएगा।
- अनुदान मांग पर मतदान के लिए राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। यह लोकसभा को प्राप्त विशेषाधिकार या विशेष शक्ति है।
- राज्यसभा को 14 के भीतर धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए। लोक सभा इस संबंध में राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

(h) बजट में व्यय के अनुमान को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय तथा किए गए खर्च को अलग-अलग दिखाना चाहिए।

(i) खर्च के अनुमान को संचित निधि के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाना।

GS World Committed To Excellence

(j) राजस्व पर बजट का खर्च अन्य खर्चों के मामले में अलग होगा।

भारत सरकार की निधियाँ

भारतीय संविधान में तीन प्रकार की निधियों का प्रावधान किया गया है-

- भारत की संचित निधि (अनु. 266)
- भारत की लोक लेखा निधि (अनु. 266(2)
- भारत की आकस्मिक निधि (अनु. 267)

भारत की संचित निधि (अनु. 266):- इस निधि के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण तथा उधारों की पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि, भारत की संचित निधि का भाग होगी।

भारत की लोक लेखा निधि:-(अनु. 266(2): भारतीय संविधान के **अनुच्छेद-266(2) में लोक लेखा निधि** (Public Fund) का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजस्व उधार और आय के अलावा भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य सभी धनराशियाँ एक लेखे/खाता (अकाउण्ट) में जमा किए जाते हैं जिसे भारत का लोक लेखा कहा जाता है। इसमें **भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, पेंशन निधि, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल** है। स्मरणीय है कि लोक लेखा निधि से व्यय के लिए **संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं** होती है।

भारत की आकस्मिक निधि (अनुच्छेद-267): भारतीय संविधान में यह प्रावधान उपबंधित है कि संसद और राज्य के विधान मंडल किसी आकस्मिक व्यय हेतु भारत अथवा राज्य की आकस्मिक निधि का सृजन कर सकते हैं। संसद द्वारा इस निधि की शुरूआत भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम, 1950 में की गई थी। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार (नियंत्रण) में रहती है। परन्तु इसकी भरपाई के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

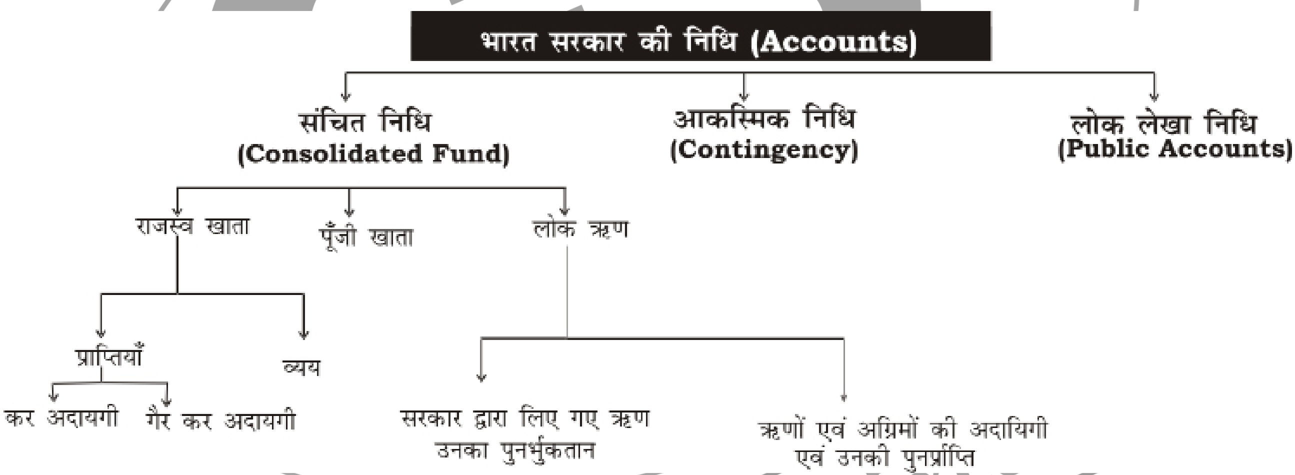

संसदीय प्रस्ताव

संसदीय व्यवस्था में प्राय: लोक महत्व के मुद्दों व निर्णयों के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए संसदीय प्रस्ताव जैसे कुछ उपागमों की व्यवस्था की गयी है। जिसके जरिए सदन के निर्णय अथवा सुझाव जानने का प्रयत्न किया जाता है। सदन के निर्णय के लिए प्रत्येक प्रश्न को किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाना आवश्यक है। परन्तु ऐसे किसी प्रस्ताव अथवा प्रश्न पर बहस के लिए सदन के **पीठासीन अधिकारी की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक** है।

संसदीय प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए लाए गए विभिन्न प्रस्तावों को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया जा सकता है-

कटौती प्रस्ताव

सामान्यत: अनुदान मांगों के सम्बन्ध में किसी वाद-विवाद को समाप्त करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद की स्थिति में सदन में मतदान कराया जाता है और यदि कटौती प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। कटौती प्रस्ताव निम्न चार प्रकार के होते हैं-

- **साधारण कटौती प्रस्ताव:-** इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी होती है तथा यह मतदान के लिए सदन के पटल पर रखा जाता हैं।
- **घटकों में कटौती:-** इसमें विधेयक या प्रस्ताव को सूचीबद्ध किया जाता है तथा उसे चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा जाता है। वाद-विवाद की स्थिति में इसके सम्पूर्ण भाग पर मतदान कराया जाता है।
- **कंगारू कटौती:-** इसमें किसी प्रस्ताव के सम्पूर्ण खण्ड की बजाय केवल महत्वपूर्ण खण्डों पर चर्चा व मतदान होता है।

- **गिलेटिन प्रस्ताव:-** यह किसी प्रस्ताव के छूटे हुए भाग या अंश पर मतदान कराने से पूर्व बहस या चर्चा के लिए सदन में रखा जाता है। दूसरे अर्थो में सभी मांगों के अंतिम दिन जिन मांगों या प्रस्ताव को जब तक निबटा न लिया गया हो, उन्हें मतदान के लिए रखा जाता है, भले ही उन पर चर्चा हुई हो या न हो। इस प्रक्रिया को गिलेटिन कहते हैं।

स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)

स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी बहुत ही जरूरी या अपरिहार्य लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब यह प्रस्ताव स्वीकार्य कर लिया जाता है तो अपरिहार्य लोक महत्व के मामले पर चर्चा के लिए सदन की नियमित कार्यवाही रोक दी जाती है। हम प्रस्ताव को पेश करने के लिए **कम से कम 50 सदस्यों** की **स्वीकृति अनिवार्य** है।

स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत सामायिक व अपरिहार्य लोक महत्व के विषय को उठाया जाता है जैसे-प्राकृतिक आपदा (बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि) व मानवीय आपदा (आंतकवादी घटना आदि)।

- इसके अंतर्गत एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है।
- स्थगन प्रस्ताव के तहत किसी विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है।
- इसके तहत न्यायालय में विचाराधीन व जिस विषय पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो, पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

सामान्यत: जब कोई मंत्री सही तथ्यों को प्रकट नहीं करता तथा गलत सूचना पेश करता है। तो यह संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है। कोई भी सदस्य इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत कर सकता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Motion)

ऐसा प्रस्ताव रखकर सदन का कोई सदस्य लोक महत्व के अविलंबनीय मामले पर सदन तथा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। यह अवधारणा मौलिक रूप में भारतीय है जिसे **1954 में सृजित किया गया** था।

नोट: ऐसे प्रस्ताव जो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, अल्प सूचना प्रश्नों व स्थगन प्रस्तावों आदि से सम्बद्ध नियमों के तहत नहीं उठाए जा सकते हैं, उन्हें नियम-377 एवं राज्यसभा में विशेष प्रावधानों के तहत उठाया जा सकता हैं।

निन्दा प्रस्ताव (Censure motion)

निन्दा प्रस्ताव सामान्यत: दल के नेता अथवा विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए या आलोचना करने के लिए सदन में लाया जाता है। इसके लिए सदन की पूर्वानुमति नहीं लेनी पड़ती है। यदि निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को नैतिक आधार पर त्यागपत्र देना पड़ता है।

धन्यवाद प्रस्ताव (Vote of Thanks)

राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र तथा किसी वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को सम्बोधित करता है। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर दोनों सदनो में चर्चा होती है। इसे ही धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है।

विनियोग विधेयक

अनुच्छेद-114 के अनुसार भारत की संचित निधि में से कोई धन संसद द्वारा विधि के अधिनियम के बिना नहीं निकाला जा सकता है। अर्थात **भारत की संचित निधि से धन विनियोग विधेयक द्वारा ही निकाला जा सकता है।** विनियोग विधेयक में निम्नलिखित आधार पर राज्यसभा द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है-

- ऐसा संशोधन जो अनुदान की रकम में परिवर्तन करता हो अथवा
- अनुदान के लक्ष्य को परिवर्तित करता हो

लेखानुदान

अनुच्छेद-116 के अनुसार लेखानुदान राजस्व और खर्चो का लेखा जोखा मात्र होता है। इसमें **तीन या चार महीनों के लिए सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी कार्यो के लिए** राजकोष से धन लेने का प्रस्ताव होता है। ऐसा इसलिए है कि संविधान के अनुसार राजकोष से धन निकालने के लिए संसद से अनुमति लेना आवश्यक है तथा इसे बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है। ***दो माह के व्यय हेतु*** धनराशि स्वीकृत की जाती है। लेखानुदान को दो रूपों में देखा जा सकता है-

प्रत्यानुदान (अनुच्छेद-116 (ख)

जब सरकार को किसी कार्य अथवा प्रयोजन के लिए धन की त्वरित आवश्यकता होती है तो इस प्रकार के अनुदान की मांग की जाती है।

अपवादानुदान (अनुच्छेद-116 (ग)

यह भी एक प्रकार की आकस्मिक निधि है।

GS World Committed To Excellence

अनुपूरक अनुदान व अतिरिक्त अनुदान

अनुपूरक अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले यदि सरकार यह अनुभव करती है कि सरकार चलाने के लिए प्राप्त अनुदान पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में अनुपूरक व अतिरिक्त मांगे रखती है।

न्यायिक कार्य

भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो संसद को यह अधिकार है कि वह विधिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकती है।

- संसद उपराष्ट्रपति को पद के अनुकूल कार्य न करने पर पदमुक्त कर सकती है।
- संसदीय विशेषाधिकारों अथवा अवमानना की स्थिति में संसद सम्बन्धित व्यक्ति को दण्डित कर सकती है।
- उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायधीशों तथा मुख्य आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है।

संसदीय समितियां

संसद द्वारा सरकार के प्रशासनिक कार्यों का पुनरीक्षण करने और विविध एवं जटिल प्रस्तावों और अधीनस्थ विधान की समीक्षा करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियाँ केवल कानून बनाने में ही नहीं, वरन सदन के दैनिक कार्यों के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। जैसा कि संसद केवल अपने सत्र के दौरान ही कार्य करती है। फलतः उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है जबकि उसके उत्तरदायित्व (मंत्रालयी व विभागीय आदि) काफी विस्तृत होते हैं। इसलिए संसद उन सभी विधायी तथा अन्य मामलों पर जो उसके समक्ष आते हैं, गहराई के साथ विचार अथवा परीक्षण नहीं कर सकती। अतः इस निमित्त विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है।

अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न संसदीय समितियों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

विशेषाधिकार समिति

इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। इस निमित्त यह समिति विशेषाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्य सभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं।

प्राक्कलन समिति

प्राक्कलन समिति की स्थापना जान मथाई समिति के सुझाव पर की गयी थी। इस समिति का कार्य बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता का सुझाव देना है। प्रारम्भ में इस समिति में 25 सदस्य थे, परन्तु वर्तमान इसमें कुल 30 सदस्य हैं।

- इस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, राज्य सभा के नहीं।
- कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता हैं।
- सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों के मध्य से ही होता है तथा
- लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से ही इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जो सर्वथा सत्तारूढ़ दल का ही होता है।

लोक लेखा समिति

इस समिति का गठन भारत शासन अधिनियम–1919 के तहत 1921 में किया गया था। इसके सदस्यों का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के तहत किया जाता है, जिससे की सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल किए जाते हैं।

यह समिति सरकार की वार्षिक लेखाओं और लोक सभा द्वारा अनुदत्त विभिन्न राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं की जाँच करती है। इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार के धन का व्यय संसद की अनुमति से हो रहा है अर्थात धन का दुरूपयोग तो नहीं हो रहा है।

अन्य प्रमुख कार्य

- लोक लेखा समिति मुख्य तौर पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना है।
- इस समिति का कार्य सार्वजनिक व्यय में तकनीकि अनियमितताओं जैसे–निरर्थक खर्चे, धन का अपव्यय, क्षति भ्रष्टाचार आदि पहलुओं का भी जाँच करना है।

नोटः जैसा कि भारत सरकार के खाते की जांच के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मदद ली जाती है तथा महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति के निर्देश पर यह रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाती है, दोनो सदनो में विमर्श के पश्चात् आवश्यकता पड़ने पर जांच के निमित्त लेखा समिति को सौंपी जाती है।

लोक उपक्रम समिति

इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की अनुसंशा पर किया गया था। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से तथा 7 राज्य सभा के होते हैं।

- इस समिति का प्रमुख कार्य सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की जांच करना है।
- यह समिति ऐसी सरकारी कंपनियों के लेखा की जांच करती है जिनके लेखा कंपनी अधिनियम के अधीन सदन के पटल पर रखे जाते हैं।
- यह सरकारी उपक्रमों के उत्पादन क्षमता और तकनीकि कुशलता की भी जांच करती है।

संयुक्त संसदीय समिति

संयुक्त संसदीय समिति के निर्माण की मांग प्रायः किसी मामले की पारदर्शिता पूर्वक अन्विच्छा करने के लिए सदन में विपक्ष द्वारा की जाती है। इस समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा अर्थात दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।

संयुक्त समिति का गठन लोकहित के किसी भी मामले के सम्बन्ध में की जा सकती है।

संसदीय कार्यवाही

संसदीय कार्यों को मुख्यत दो वर्गों में बाँटा जा सकता है। प्रथम सरकारी कार्य, द्वितीय गैर सरकारी कार्य। ऐसे कार्य, जिनपर चर्चा सरकार द्वारा की जाती है उन्हें सरकारी कार्य तथा ऐसे कार्य जिनकी चर्चा या शुरूआत गैर सरकारी सदस्यों द्वारा की जाती है, उन्हें गैर सरकारी कार्य कह सकते हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने तथा समाप्त होने के मध्य निम्नलिखित सत्र होते हैं।

प्रश्न काल

दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारम्भ में एक घण्टे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे ही प्रश्न काल कहा जाता है। प्रायः सदस्य प्रश्न पूँछते हैं तथा मंत्री उनका जवाब देते हैं।

- प्रश्न पूँछने का मुख्य उद्देश्य लोक महत्व के किसी मामले पर जानकारी प्राप्त करना और तथ्य जानना है।
- जिन प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है-उन्हे तारांकित प्रश्न तथा
- जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है उन्हे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है।
- अल्प सूचना के प्रश्न में मौखिक पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों को 10 दिन पूर्व सूचना देकर पूछा जा सकता है।

शून्यकाल (जीरो आवर)

- संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्य काल अथवा जीरो आवर के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में यह परंपरा 1962 के पश्चात् अस्तित्व में आयी। वस्तुतः यह संसदीय प्रक्रिया में भारतीय नवाचार है।
- इस काल में मामले बिना किसी पूर्व अनुमति तथा सूचना के उठाए जा सकते हैं।
- सामान्यतः शून्यकाल 12 बजे शुरू होता है, परन्तु इस सत्र का कोई निश्चित समय नहीं होता है।

स्मरणीय तथ्य

- ☞ *लोकसभा को जनता का सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है।*
- ☞ *मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी।*
- ☞ *लोकसभा में राज्यों को सीटें अनु.-82 के तहत् उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है।*
- ☞ *लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।*
- ☞ *लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति भंग कर सकता है।*
- ☞ *लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष को तथा लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को त्याग-पत्र देकर पद-मुक्त हो सकते हैं।*
- ☞ *किसी विषय पर पक्ष-विपक्ष का मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अनु.-100(1) के तहत् निर्णायक मत दे सकता है।*
- ☞ *प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर (अध्यक्ष) के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है।*
- ☞ *लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार थी।*
- ☞ *अब तक का सबसे लम्बा कार्यकाल डॉ. बलराम जाखड़ का था जो 22 जनवरी, 1980 से 19 दिसम्बर, 1989 तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहें।*
- ☞ *अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें उत्तरप्रदेश (17) में है जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ कोई सीट आरक्षित नहीं है।*
- ☞ *लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्यप्रदेश (6) में है।*
- ☞ ***राज्यसभा का गठन 1952 में एवं प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी।***

GS World Committed To Excellence

- ☞ राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च या स्थायी सदन है।
- ☞ भारतीय संविधान के अनु.-80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख किया गया है।
- ☞ राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
- ☞ राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
- ☞ संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन की सूची दी गई है।
- ☞ लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है।
- ☞ राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता।
- ☞ सर्वप्रथम पंजाब के निर्दलीय राज्यसभा सांसद 'बरजिंदर सिंह हमदर्द' को सदन की बैठकों में 60 दिन अनुपस्थित रहने पर नवम्बर, 2000 में अयोग्य घोषित किया गया।
- ☞ भारतीय संविधान का अनु.-105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है।
- ☞ किसी विधेयक पर संसद में कुल तीन वाचन होते हैं।
- ☞ कोई विधेयक यदि किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सरकारी जबकि किसी अन्य संसद सदस्य द्वारा पेश विधेयक गैर-सरकारी विधेयक कहलाता है।
- ☞ साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
- ☞ किसी विधेयक के पारित होने में सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रतिवेदन चरण होता है।
- ☞ अब तक कुल 3 बार (सन् 1961, 1978 एवं 2002) संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है।
- ☞ संविधान संशोधन विधेयक तथा धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता।
- ☞ भारतीय संविधान के अनु.-110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है।
- ☞ धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है।
- ☞ ध्यातव्य है कि वित्त विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है।
- ☞ सामान्य वित्तीय विधायन में बजट प्रस्तुतीकरण, बजट पर खर्चा, विनियोग एवं वित्त विधेयक पारित करना तीन प्रमुख चरण होते हैं।
- ☞ भारत की संचित निधि पर भारित व्यय तथा भारत की संचित निधि से अन्य अपेक्षित व्यय दो मदों में अनुमानित व्यय को व्यक्त किया जाता है।
- ☞ बजट से अनुमानित अन्य व्यय को अनुदान माँग के रूप में लोकसभा के समक्ष रखा जाता है।
- ☞ राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है।
- ☞ ध्यातव्य है कि जुर्माने या अर्थदण्ड से संबंधित उपबंध धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किए जाते।
- ☞ भारत में सर्वप्रथम लार्ड कैनिंग के कार्यकाल में जेम्स विल्सन ने (1869 ई.) बजट पेश किया।
- ☞ वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की।
- ☞ सर एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर 1924 से रेल बजट अलग से पेश किया जाने लगा।
- ☞ विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर पुनः वित्त वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में ही समाहित कर दिया गया।
- ☞ आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतीकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है।
- ☞ भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में समितियाँ दो प्रकार की होती है- स्थायी एवं तदर्थ समितियाँ।
- ☞ लोकलेखा, प्राक्कलन एवं लोक उपक्रम समिति संसद की स्थायी वित्तीय समितियाँ है।
- ☞ प्राक्कलन समिति का गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है।
- ☞ लोकलेखा समिति लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य (कुल-22) से मिलकर गठित होती है।
- ☞ लोक लेखा समिति में कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता।
- ☞ लोकसभा अध्यक्ष, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है।
- ☞ लोक लेखा समिति अपनी व्याख्या संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।
- ☞ ध्यातव्य है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है।
- ☞ किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रवर समिति का गठन अलग-अलग किया जाता है।
- ☞ ध्यातव्य है कि प्रवर समिति में 30 सदस्य, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा से 30 तथा राज्यसभा से 15 सदस्य सम्मिलित होते हैं।
- ☞ प्रश्नकाल में संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के किसी मामले पर जानकारी के लिए प्रश्न पूछा जाता है।
- ☞ प्रश्नकाल सामान्यतः प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों की बैठक के पश्चात् कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है।

GS World Committed To Excellence

राज्यसभा एवं लोकसभाः एक तुलना		
क्र.	**राज्यसभा**	**लोकसभा**
1.	राज्यसभा संसद का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन है। इसे वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है।	लोकसभा संसद का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है।
2.	राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। परंतु वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है।	लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है।
3.	राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। यह राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है।	यह समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
4.	राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।	राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
5.	राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक दो वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उतने ही सदस्य नवनिर्वाचित भी हो जाते हैं।	लोकसभा स्थायी सदन नहीं है तथा इसका कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है। कार्यकाल पूर्ण होने के पहले का राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग किया जा सकता है।
6.	राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर खुली मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है।	लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है।
7.	धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।	धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
8.	मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।	मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
9.	राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उप. स्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है।	लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
10.	राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार प्राप्त है।	लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
11.	उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव का आरंभ राज्यसभा में ही किया जाता है।	लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करती है।
12.	लोकसभा के भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा द्वारा किया जाता है।	लोकसभा को इस प्रकार के विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती है।
13.	राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता। भारत का उप. राष्ट्रपति ही इसका पदेन सभापति होता है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, जिनका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है।	लोकसभा के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं तथा इनका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है।

संसद की समितियां				
समिति	**कुल सदस्य**	**लोक सभा**	**राज्य सभा**	**कार्य**
लोक लेखा समिति	22	15	7	विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करना।
प्राक्कलन समिति	30	30	-	सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना है।
सार्वजनिक उपक्रम समिति	22	15	7	सीएजी के प्रतिवेदनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाकार प्रतिवेदनों की समीक्षा और संवीक्षा करना है।
विशेषाधिकार समिति *	-	15	10	संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों का परीक्षण करना है।
प्रवर समिति *	-	30	30	विधेयकों की समीक्षा करना।
संयुक्त प्रवर समिति	45	30	15	सरकारी विधेयकों का समय निश्चित करने हेतु सिफारिश करना।
याचिका समिति *	-	15	10	प्रत्येक याचिका की जांच करना।
नियम समिति *	-	15	16	सभा के प्रक्रिया व कार्य- संचालन के मामलों पर विचार करना।
नोटः * दोनों सदनों के लिए पृथक-पृथक				

GS World Committed To Excellence

- ☞ *शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का एक घंटे का समय होता है।*
- ☞ *शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना दिए सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है।*
- ☞ *शून्यकाल दोपहर 12 बजे आरंभ होता है तथा इसमें अधिकतम 20 मामले उठाये जा सकते हैं।*
- ☞ *ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की संकल्पना भारत की देन है।*
- ☞ *राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन 6 अगस्त, 1952 को नियोगी समिति की सिफारिश पर सरकार के प्रस्ताव द्वारा हुआ।*
- ☞ *वर्तमान समय में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा को 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख कर दिया गया है।*

संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद	प्रावधान
• अनुच्छेद-79	संसद का गठन
• अनुच्छेद-80	राज्य सभा की संरचना
• अनुच्छेद-81	लोक सभा की संरचना
• अनुच्छेद-83	संसद के दोनों सदनों की समयावधि
• अनुच्छेद-84	संसदीय सदस्यता के लिए योग्यता
• अनुच्छेद-85	सत्र आहूत, अवसान एवं विघटन
• अनुच्छेद-86	राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सम्बोधन
• अनुच्छेद-87	राष्ट्रपति का विशेष संबोधन
• अनुच्छेद-89	राज्य सभा के सभापति तथा उपसभापति
• अनुच्छेद-93	लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
• अनुच्छेद-98	संसद का सचिवालय
• अनुच्छेद-100	दोनों सदनों में मतदान व रिक्तियों तथा कोरमपूर्ति
• अनुच्छेद-102	सदस्यता से आयोग्य ठहराना
• अनुच्छेद-105	संसद के दोनों सदनों तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकार
• अनुच्छेद-108	कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
• अनुच्छेद-110	धन विधेयक की परिभाषा
• अनुच्छेद-112	वार्षिक वित्तीय विवरण
• अनुच्छेद-114	विनियोग विधेयक
• अनुच्छेद-115	पूरक व अतिरिक्त अनुदान
• अनुच्छेद-120	सदन की भाषा
• अनुच्छेद-122	संसद की कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय में चर्चा नहीं हो सकती

GS World Committed To Excellence

अध्याय 13

राज्य की कार्यपालिका

भारतीय संविधान में दोहरी सरकार की व्यवस्था है -एक केंद्र में तथा दूसरी विभिन्न राज्यों में। **संविधान के भाग-6 के अनुच्छेद-153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका** के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य आते हैं।

जिस प्रकार केन्द्र में राष्ट्रपति कार्यपालिक का नाममात्र का प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर नाममात्र का कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है। जबकि वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद् में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

राज्यपाल (Governor)

अनुच्छेद-154 के अनुसार राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा तथा वह अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह एवं सहायता से करेगा। कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते वह दोहरी भूमिका निभाता है।

प्रथम राज्य के प्रमुख के रूप में तथा द्वितीय, केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, जो केन्द्र व राज्य के बीच कड़ी के रूप में काम करता है।

राज्यपाल की नियुक्ति

अनुच्छेद-155 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जिसकी **नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा**। राज्यपाल **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता** है। स्मरणीय है कि संविधान सभा में व्यापक विचार विमर्श किया गया था और अनेक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किए गए थे। जिनमें से निम्न चार उल्लेखनीय हैं-

1. **वयस्क मताधिकार के जरिए:-** राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल का चुनाव कराने का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि राज्य की जनता द्वारा दो शासनाध्यक्षों-राज्यपाल और मुख्यमंत्री के चुने जाने से अनेक जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं।
2. **जनप्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए विधायिका के दोनों सदनों द्वारा चुनाव:-** इसको इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यदि विधायिका ने राज्यपाल का चुनाव किया होता तो वह बहुमत वाले दल का खिलौना बन कर रह जाता।
3. राज्य की विधायिका के निचले सदन द्वारा सुझाई गई समिति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा चयन
4. **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त:-** इसके अन्तर्गत संविधान में अनुच्छेद-155 जोड़ा गया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर तथा मुहर द्वारा की जाएगी। वर्तमान में यही व्यवस्था विद्यमान है।

राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हता (अनु-157)

- भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष से कम आयु का न हो।
- किसी लाभ के पद पर न हो।
- संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य न हो।

इसके अतिरिक्त राज्यपाल नियुक्त किए जाने के सन्दर्भ में दो प्रथाएँ प्रचलित हैं- प्रथम, राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति उसी राज्य से सम्बन्धित न हो, जिसमें उसे नियुक्त किया जाना है। दूसरी, राज्यपाल की नियुक्ति का निर्णय लेते समय सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाता है।

कार्यकाल (अनुच्छेद-156)

राज्यपाल की नियुक्ति आमतौर पर 5 वर्ष के लिए की जाती है। यद्यपि अनुच्छेद-156(1) के अनुसार राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त होता है अर्थात् राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है।

राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य

1. **विधायी शक्तियाँः** राज्यपाल, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य के कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। वह राज्य सरकार के कामकाज सामान्य ढंग से चलाने तथा मंत्रियों में कार्यों का वितरण करने के लिए नियम बना सकता है।
   - राज्यपाल, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
   - वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है।
   - वह सम्बन्धित राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, परन्तु उसे पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है।
2. **वित्तीय शक्तियाँः** अनुच्छेद-202 के अनुसार राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाए।
   - धन विधेयक तथा अनुदान मांगों का अनुमोदन करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।
   - उसकी स्वीकृति के बिना राज्य के राजस्वों की राशि भी व्यय नहीं की जाएगी।
   - राज्य की आकस्मिक निधि कोष राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होता है और वह इससे अग्रिम निधि निकालने की अनुमति दे सकता है, विशेषकर अचानक आने वालो ऐसे खर्चों के लिए, जो राज्य विधान मंडल के अधि. कार में होते हैं।
3. **न्यायिक कार्यः**
   - भारतीय संविधान में राज्यपाल को कई महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
   - राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल से सलाह ली जाती है।
   - राज्यपाल जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति पदोन्नति आदि मामले में निर्णय लेता है।
   - अनुच्छेद-161 के अनुसार राज्यपाल दंडित अपराधियों के दंड का अल्पीकरण, परिवर्तन या निलंबन कर सकता है यदि अपराध राज्य सरकार के क्षेत्रान्तर्गत हो।

राष्ट्रपति व राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का तुलनात्मक विवरण

क्रम	राष्ट्रपति		राज्यपाल
1.	राष्ट्रपति केन्द्रीय कानून के विरूद्ध दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दण्ड को घटा सकता है, परिवर्तन या निलंबन या एवं क्षमा कर सकता है।	1.	राज्यपाल राज्य विधि के अन्तर्गत व्यक्ति के दंड को दण्ड पाये अपराधी के दण्ड का अल्पीकरण, निलंबन क्षमादान कर सकता है।
2.	राष्ट्रपति मृत्युदण्ड की सजा को भी माफ कर सकता है।	2.	राज्यपाल मृत्युदण्ड की सजा को माफ नहीं कर सकता।
3.	यह सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है।	3.	राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं
4.	राष्ट्रपति अनु-360 के तहत वित्तीय आपात घोषित कर सकता है।	4.	वित्तीय आपात के सम्बन्ध में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं।
5.	अनु-352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।	5.	राज्यपाल द्वारा नहीं।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ

संविधान में राज्यपाल को कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्य करने के लिए स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई है। संविधान में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का निर्णय अंतिम और सर्वोपरि होगा। राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

A) **संवैधानिक विवेकाधिकार शक्तिः** राज्यपाल को संवैधानिक विवेकाधिकार के अन्तर्गत शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिन्हे संविधान में विनिर्दिष्ट अनुच्छेदों द्वारा विशेष उत्तरदायित्व कहा गया है। यहाँ विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि राज्यपाल कुछ विशिष्ट मामलों में मंत्रिमंडल के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात् वह ऐसे मामलों में स्वविवेक का प्रयोग करता हैं।
   - अनुच्छेद-356 के अंतर्गत संवैधानिक संकट के सन्दर्भ में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते समय राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर कार्य करता है।

GS World Committed To Excellence

- अनुच्छेद-200 के अनुसार राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने का निर्णय भी राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है।
- किसी भी प्रकार के अध्यादेश जारी करते समय राज्यपाल को राष्ट्रपति से परामर्श करना पड़ता है।
- 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम-1976 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य है, परन्तु राज्यपाल पर इस तरह का कोई निर्बन्धन नहीं है।

B) परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार:- इसके अन्तर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में साम्यता देखी जा सकती है। सामान्यत: राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से कार्य करता है, किंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जैसे-मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल का निलंबन करना तथा विधानसभा को भंग करना आदि।

C) विशेष उत्तरदायित्व:- यहाँ पर विशेष उत्तरदायित्व से तात्पर्य स्वविवेकी शक्ति ही है, परन्तु इसके तहत कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें राज्यपाल मंत्रिपरिषद् से सलाह लेता है किन्तु वह स्वविवेक से निर्णय लेता है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। साथ ही ऐसे किसी निर्णय को न्यायालय में चर्चा नहीं की जा सकती है।

- इस सन्दर्भ में 1962 में अनुच्छेद-371 क(1) के तहत नागालैण्ड के राज्यपाल को नागालैण्ड में शांति स्थापना तक कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गये थे।
- 1975 में इसी तरह के अधिकार सिक्किम के राज्यपाल को प्रदान किए गए थे।

मुख्यमंत्री (Chief Minister)

भारत शासन व्यवस्था में दोहरी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है जिस प्रकार केन्द्र में मंत्रिपरिषद् का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, उसी प्रकार राज्य की मंत्रिपरिषद् का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है।

- मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्राय: राज्यपाल राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। परन्तु यदि विधान सभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक से निर्णय लेता है।
- मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। यदि मंत्री राज्य की बिधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम 6 माह तक पद पर बना रह सकता है।
- मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राज्य के प्रशासनिक कार्यों तथा व्यवस्थापन के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद् के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराए।
- मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है। वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है।
- मुख्यमंत्री अपना पद त्यागकर सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् का विघटन कर सकता है।
- मुख्यमंत्री योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
- मुख्यमंत्री अन्तर्राज्यीय परिषद् और राष्ट्रीय विकास परिषद् का सदस्य होता है।

राज्य मंत्रिपरिषद् (State Council of Minister)

केन्द्र की मंत्रिपरिषद् की भांति राज्यों में भी राज्य मंत्रिपरिषद कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-163 से 164 तक राज्य मंत्रिपरिषद के गठन तथा सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल उत्तरदायित्व एवं वेतन व भत्ते आदि के सम्बन्ध में चर्चा मिलती है।

- अनुच्छेद-163 के अनुसार, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।
- अनुच्छेद-164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से किया जाएगा।
- अनुच्छेद-167 के अनुसार, मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद् के मामलों में लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराए।

स्मरणीय तथ्य

☞ *भारतीय संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 153-162 तक राज्यपाल के बारे में उपबंध है।*
☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार, राज्यों में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है।*
☞ *राज्यपाल, मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करता है।*

GS World Committed To Excellence

- ☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-155 के तहत् राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र के द्वारा नामांकित व्यक्तियों में से की जाती है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल से पहले उसके स्थान पर सदर-ए-रियासत को निर्वाचित किया जाता था।*
- ☞ *यदि राज्यपाल किसी सदन का सदस्य है तो नियुक्ति की तिथि से उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-158 के अनुसार, राज्यपाल किसी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा।*
- ☞ *राज्यपाल कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी राष्ट्रपति को त्याग-पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल को संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा हटाने का अधिकार नहीं है।*
- ☞ *भारतीय संविधान में राज्यपाल के विरूद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है।*
- ☞ *राज्यपाल अनुच्छेद-164(1) के तहत् मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि राज्यपाल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।*
- ☞ *राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को अनुच्छेद-333 के तहत् मनोनीत कर सकता है।*
- ☞ *राज्यपाल अनुच्छेद-200 के तहत् विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है।*
- ☞ *भारतीय संविधान का अनुच्छेद-213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन 6 सप्ताह के पूर्व राज्य विधानमंडल द्वारा होना आवश्यक है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-356 के अनुसार, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल द्वारा की जाती है।*
- ☞ *विधानसभा में राज्यपाल संदेह होने पर बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है।*
- ☞ *प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में ही महिला दिवस मनाया जाता है।*
- ☞ *सरोजिनी नायडू ने ही कहा था, 'राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है।'*
- ☞ *जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल शासन दोनों लागू किया जाता है।*

राज्य की कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

- अनुच्छेद 153 — राज्यों के राज्यपाल
- अनुच्छेद 154 — राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 155 — राज्यपाल की नियुक्ति
- अनुच्छेद 160 — राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ
- अनुच्छेद 161 — राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति
- अनुच्छेद 163 — राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद्
- अनुच्छेद 165 — राज्य का महाधिवक्ता
- अनुच्छेद 167 — राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का दायित्व
- अनुच्छेद 201 — राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना
- अनुच्छेद 213 — राज्यपाल की अध्यादेश (जारी) करने की शक्ति

GS World Committed To Excellence

अध्याय 14

राज्य का विधानमंडल

शासन की संसदीय व्यवस्था के अनुरूप राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधान मंडल की प्रमुख एवं निर्णायक भूमिका होती है। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधान सभा तथा विधान परिषद् (जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है) से मिलकर बनता है। संसद में राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है।

भारतीय संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद-168 से 213 तक राज्य विधान मंडल के गठन, संरचना, प्राधिकार, विशेषाधिकार आदि से सम्बन्धित वर्णन किया गया है।

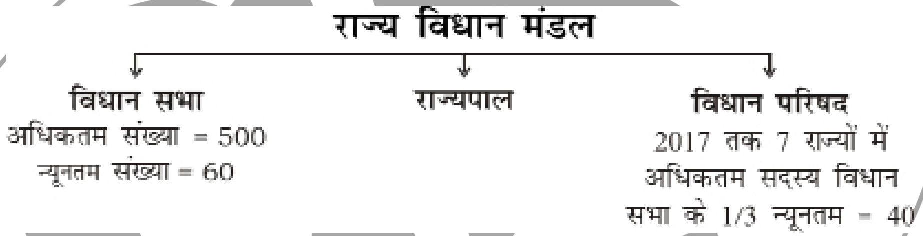

विधान सभा का गठन

विधान सभा का गठन राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। संविधान के अनुसार राज्य की विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 होगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का गठन समानता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात् राज्यों को सीटों का आवंटन राज्य की भौगोलिक आकृति तथा जनसंख्या के अनुपात से किया गया है।

न्यूनतम विधान सभा सीटों के सन्दर्भ में कुछ अपवाद हैं- अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम व गोवा में 30 तथा नागालैण्ड एवं मिजोरम में क्रमशः 40 व 46 सीटें आवंटित हैं।

राज्य विधान सभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए गए हैं।

यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि राज्य विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह इस समुदाय से एक प्रतिनिधि मनोनीत कर सकता है।

विधान सभा सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। विधान सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त वह भारत का नागरिक हो, वह जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में निर्धारित योग्यता धारण करता हो तथा सम्बन्धित राज्य के निर्वाचक क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हो।

नोटः अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य अनारक्षित सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष

राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में अपना पीठासीन अधिकारी होता है। राज्य की विधान सभा में एक अध्यक्ष को संविधान के तहत प्रक्रियाओं, नियमों एवं स्थापित संसदीय परम्पराओं के अन्तर्गत व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।

विधान सभा अध्यक्ष का चुनाव इस सदन के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। विधान सभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष विधान सभा की कार्यवाही या बैठक की अध्यक्षता करता है।

- कोरम (बैठकों के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या) की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर सकता है।
- विधान सभा अध्यक्ष सदन में किसी विषय पर मतदान होने की स्थिति में पहले मतदान नहीं करता, किन्तु बराबर मत

GS World Committed To Excellence

होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है।

- कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इस बात का निर्णय विधान सभा अध्यक्ष करता है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है।
- विधानसभा अध्यक्ष नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति एवं उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है।

विधान सभा उपाध्यक्ष

विधान सभा सदस्य अध्यक्ष की ही भांति अपने बीच से ही एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधान सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके कार्यो एव उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है।

उपाध्यक्ष का कार्यकाल विधान सभा के कार्यकाल तक होता है किन्तु इससे पूर्व भी वह अपना पद छोड़ सकता है यदि वह अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दे दे या फिर उसकी विधान सभा की सदस्यता समाप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देकर विधान सभा सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर संकल्प पारित कर उसे हटाया जा सकता है।

नोट: यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो सदस्यों के बीच से एक सभापति पैनल गठित किया जाता है। सभापति पैनल के किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता की जाती है।

विधान परिषद्

भारतीय राज्यों में शासन की ऊपरी प्रतिनिधि सभा को विधान परिषद् के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्य विधान सभा के विपरीत अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना) में विधान परिषद् का गठन किया गया है। (हालांकि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अपने यहाँ विधान परिषद् को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है जोकि अभी ससंद के पास विचाराधीन है।)

- किसी राज्य में यदि विधान परिषद् का सृजन किया जाना है तो सम्बन्धित राज्य की विधान सभा संविधान के अनुच्छेद-169, 171(1) एवं 171(2) के प्रावधानों के अनुरूप निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन कर सकती है।
- विधान सभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास विधान परिषद् के गठन हेतु प्रेषित कर सकती है।
- अनुच्छेद-171(2) के अनुसार लोकसभा एवं राज्य सभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर सकती है।
- तदोपरान्त राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात विधान परिषद् अस्तित्व में आती है।

विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल सख्या 40 से कम नहीं हो सकती।

सदस्यों का निर्वाचन

- विधान परिषद् के एक तिहाई सदस्य विधान सभा के सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं।
- एक तिहाई सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों; जैसे-नगरपालिका, जिला बोर्ड से किया जाता है।
- विधान परिषद् के 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य में 3 वर्ष से रह रहे स्नातकों द्वारा किया जाता है।
- शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं।

नोट: विधान परिषद् के सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं।

- राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

राज्य विधानमण्डल का सदस्य होने की योग्यता एवं निर्योग्यताएं

विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यताएँ

- वह पागल या दिवालिया न हो।
- न्यायालय द्वारा दोषी न ठहराया गया हो।
- वह लाभ के पद पर न हो।
- किसी दूसरे देश की नागरिकता न धारण करता हो।
- वह सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण अपने पद/सेवा से न हटाया गया हो।

दल-बदल के आधार पर निर्योग्यता

भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में 'दल-बदल विरोधी कानून' की व्यवस्था की गयी है। यह कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा लाया गया है। इस कानून का उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद की लालच में दल-बदल करने

GS World Committed To Excellence

वाले जन-प्रतिनिधियों को आयोग्य करार देना है।

10वीं अनुसूची के तहत मामला उठने पर विधान सभा के सम्बंध में विधान सभा अध्यक्ष निर्णय करता है, जबकि राज्य की विधान परिषद् में दलबदल के मामले में सभापति फैसला करता है।

राज्य विधानमंडल के सत्र

राज्यपाल, समय-समय पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है। दोनों सदनो के सत्रावसान की घोषणा करता है।

सदन का पीठासीन अधिकारी सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल (दिनों, घण्टों या सप्ताहों) के लिए स्थगित कर सकता है।

कोरम (गणपूर्ति)

सदन में किसी विषय पर कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं। यह सदन में उपस्थित कुल सदस्यों (पीठासीन अधिकारी सहित) का दसवाँ हिस्सा होता है।

विघटन

विधान सभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परन्तु बहुमत खोने या मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद् भंग करने आदि द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित की जा सकती है।

- विधान सभा के भंग होने की स्थिति में विधान सभा में लंबित विधेयक स्वत: समाप्त हो जाते हैं। (प्रस्तावित)
- स्मरणीय है कि यदि कोई विधेयक विधान परिषद् में विचाराधीन हैं लेकिन विधान सभा ने उसे पारित नहीं किया है तो यह विधेयक, विधानसभा के भंग होने पर समाप्त नहीं होगा।

विधान मंडल की विधायी प्रक्रिया

विधायी कार्यों के सन्दर्भ में संघ की विधायिका तथा राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया में काफी समानता है।

- धन विधेयक (अनुच्छेद-199 और 207 के तहत)
- अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है, वह संसद के सम्बन्ध में अनु.110 में दी गई परिभाषा के समान है।
- धन विधेयक केवल विधान सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है, विधान परिषद् में नहीं।
- विधान सभा में पारित धन विधेयक को अनुमोदन के लिए विधान परिषद् में भेजा जाता है।
- यदि विधान परिषद् 14 दिन के भीतर अपनी सहमति अथवा असहमति के साथ विधेयक को नहीं लौटाती है, तो विधेयक पारित मान लिया जाता है।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधान सभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।
- स्मरणीय है कि जब एक वित्त विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है, तो राज्यपाल:-
- या तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या
- विधेयक अपने पास रोक सकता है।
- या फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकता है।
- लेकिन वह ऐसे किसी धन विधेयक को विधान मंडल के पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता।

विनियोग विधेयक

जो प्रक्रिया धन विधेयक में लागू होती है, वही प्रक्रिया वित्त विधेयक में भी लागू होती है। सामान्यत: सभी धन विधेयक वित्त विधेयक ही होते हैं।

सामान्य विधेयक

सामान्य विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जो धन विधेयक नहीं हैं। सामान्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

विधान परिषद् को सामान्य विधेयक के सन्दर्भ में अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

राज्य विधान मण्डल का सदस्य होने की योग्यता एवं निर्योग्यता		
क्रम	विधानसभा	विधान परिषद्
1.	उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।	भारत का नागरिक हो।
2.	सम्बन्धित राज्य के मतदाता सूची में पंजीकृत हो।	सम्बन्धित राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक।

3.	सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।	30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

स्मरणीय तथ्य

☞ *विधानसभा, विधानमंडल का निम्न सदन या प्रथम या लोकप्रिय सदन है जो विधान परिषद् से अधिक शक्तिशाली है।*

☞ *सबसे बड़ी विधानसभा उत्तरप्रदेश (403) तथा सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम (32) है।*

☞ *केन्द्र शासित प्रदेशों में सिर्फ तीन ऐसे राज्य हैं- पुडुचेरी (30) दिल्ली (70) तथा जम्मू एवं कश्मीर (114) जहाँ विधानसभाएँ हैं।*

☞ *ध्यातव्य है कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल को विधानसभा में दो महिला सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है।*

☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-172 के अनुसार, विधानसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है।*

☞ *विधानसभा 5 वर्ष के पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती है।*

☞ *प्रत्येक राज्य विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं।*

☞ *अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव विधानसभा सदस्य अपने सदस्यों में से करते हैं।*

☞ *कोई विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय राज्य विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष करता है।*

☞ *किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में मत बराबर होने की दशा में विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है।*

☞ *विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष को सौंपता है।*

☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-164 के अनुसार, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।*

☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-163 के अनुसार, राज्यों में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है।*

☞ *मंत्रिपरिषद् का प्रमुख कार्य राज्यपाल के कार्य निर्वहन के लिए सलाह देना है।*

☞ *मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्यों को पद ग्रहण से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलायी जाती है।*

☞ *राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा किया जाता है।*

☞ *भारतीय संविधान के अनुसार, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन या दूसरा और स्थायी सदन है।*

☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-169 के तहत् संसद किसी राज्य में विधानपरिषद् की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है।*

☞ *भारतीय संविधान का अनुच्छेद-171 विधान परिषद् के गठन का उपबंध करता है।*

☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-171(3) के अनुसार, विधानपरिषद् के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा खुले मतदान से होता है।*

☞ *मनोनीत सदस्य को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।*

☞ *राज्य विधान परिषद् के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं एवं उनके स्थान पर उतने ही सदस्य चुन लिए जाते हैं जो 6 वर्ष तक विधान परिषद् के सदस्य रहते हैं।*

☞ *यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद् के विरूद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद् को त्याग-पत्र देना होता है।*

☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-202 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्यपाल दोनों सदनों के समक्ष वित्तमंत्री द्वारा बजट रखवाता है।*

☞ *राज्य विधानमंडल अनुच्छेद-167(2) के तहत् राज्य में आकस्मिक निधि को स्थापित कर सकती है।*

☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-196 से 207 तक राज्य विधानमंडल की विधायन प्रक्रिया से संबंधित है।*

☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-196 के तहत् साधारण विधेयकों को विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।*

☞ *ध्यातव्य है कि राज्य विधानमंडल में दोनों सदनों में गतिरोध की दशा में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करता है।*

☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-239 से 242 (भाग-8) के तहत् संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन का उपबंध किया गया है।*

☞ *भारतीय संविधान के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।*

☞ *पंजाब राज्य का राज्यपाल ही चण्डीगढ़ का प्रशासक होता है जिसे मुख्य आयुक्त कहा जाता है।*

☞ *ध्यातव्य है कि संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान किया गया।*

☞ *भारतीय संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 168-212 राज्य विधानमंडल के बारे में उपबंध करता है।*

☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-165 के तहत् राज्य को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान है।*

☞ *महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है।*

☞ *महाधिवक्ता राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है।*

☞ *राज्यपाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो।*

☞ *महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करता है।*

GS World Committed To Excellence

अध्याय 15

उच्चतम न्यायालय

भारतीय संविधान में संपूर्ण देश के लिए एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गयी है। भारतीय संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में एक त्रि-स्तरीय ढाँचा उपलब्ध कराता है। इनमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघात्मक शासन के अन्तर्गत सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का होना आवश्यक बताया जाता है। संविधान में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों की स्थापना, शक्ति और अन्य विषयों के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है।

भारत में संघीय न्यायालय की **स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम** के तहत की गयी थी। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। **सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी, 1950 को अस्तित्व** में आया और 28 जनवरी, 1950 को इसने काम करना प्रारम्भ कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय का गठन

संविधान के अनुसार भारत में उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। अनुच्छेद-124(2) के उपबन्धों के अनुरूप प्रारम्भ में इस न्यायालय में **एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीश** होते थे। 1956 में संसद द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गयी तथा 1960 में बढ़ाकर 13, 1977 में 17, 1986 में 25 एवं फरवरी, 2009 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 31 कर दी गयी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेता है।

न्यायाधीशों की योग्यता

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं-

- वह भारत का नागरिक हो।
- कम से कम 5 वर्षों तक किसी न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो।
- राष्ट्रपति के विचार में सुविख्यात विधिवेत्ता हो, या
- कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-124(2) के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में प्रारम्भ में न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाता था। हालांकि संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में अलग से **कोई प्रावधान नहीं** किया गया है।

वर्ष 1973 तथा 1975 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता की परम्परा का अनुपालन नहीं किया गया था।

राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सन्दर्भ में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह से निर्णय लेता है।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के सन्दर्भ में सलाह या **'परामर्श'** शब्द को लेकर समय-समय पर मतभेद उभरे हैं। फलतः न्यायालय ने विभिन्न वादों में 'परामर्श' शब्द की व्याख्या की है। इस सन्दर्भ में सरकार का मानना है कि 'परामर्श' की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति न्यायाधीशों के परामर्श को मानने हेतु अनिवार्य तौर पर बाध्य नहीं है। परंतु उच्चतम न्यायालय ने 'परामर्श' शब्द की व्याख्या अनिवार्य प्रावधान के तौर पर की है। वर्ष 1982 में **'एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ' मामले** में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद-124 में प्रयुक्त **'परामर्श'** शब्द से तात्पर्य पूर्ण एवं प्रभावी परामर्श है। हालांकि, 1993 में उच्चतम न्यायालय ने, अपने इस निर्णय को पलट दिया तथा यह निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उस मत को सर्वोपरि मानना चाहिए जो वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देता है। इस

GS World Committed To Excellence

मामले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर मात्र उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है।

इसी तरह 1998 में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि परामर्श प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के बहुमत से लिए गए निर्णय मान्य होंगे, केवल मुख्य न्यायाधीश द्वारा परामर्श की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सन्दर्भ में सरकार ने 121वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2014 पारित कराया है। स्मरणीय है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप-ऐसे विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 11 अगस्त, 2014 को कानून और न्याय मंत्री ने इस विधेयक को संसद के पटल पर रखा तथा संसद से पारित के पश्चात् 31 दिसम्बर, 2014 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर अंतिम रूप प्रदान किया।

यह संशोधन विधेयक 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना गया। इस विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद-124 के पश्चात् अनुच्छेद-124 क, 124 ख और 124(ग) को अन्तःस्थापित किया गया। 99वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कुल 6 सदस्य होंगे-

- भारत का मुख्य न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष
- सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य होंगे
- विधि और न्याय का प्रभारी संघ का मंत्री भी सदस्य के रूप में
- अन्य दो सदस्यों के रूप में प्रख्यात हस्तियों को मनोनीत किया जाएगा। जिनका चयन सदस्यीय (प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता) समिति करती है। इन दो प्रख्यात हस्तियों में से एक का चयन SC/ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या फिर महिलाओं में से किया जाएगा।

इन सभी सदस्यों को वीटो शक्ति प्रदान की गयी है। यदि इन 6 सदस्यों में से किन्हीं 2 ने किसी व्यक्ति के विरूद्ध वीटो कर दिया तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता है।

हालांकि, **2015 में उच्चतम न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम** एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को पुनः मान्यता प्रदान कर दी।

न्यायाधीशों का कार्यकाल

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।
- 65 वर्ष की आयु के पूर्ण होने के पूर्व भी वह अपना पद राष्ट्रपति को सम्बोधित कर त्याग सकता है।
- संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।

न्यायाधीशों पर महाभियोग

महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गयी हो। संसद ने संविधान के उपबन्धों की अनुपूर्ति के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश (जांच) अधिनियम-1968 अधिनियमित किया है।

भारत में महाभियोग नियम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों के जजों के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

- इसके लिए राष्ट्रपति को एक समावेदन देकर यह प्रार्थना करनी होगी कि न्यायाधीश को हटाया जाए। यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाना है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के और यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाना है तो लोक सभा के कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- यदि किसी न्यायाधीश के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक समिति गठित की जाती है, जिसमें-एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा एक पारंगत विधिवेत्ता शामिल होता है।
- यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।
- प्रस्ताव के पास करने के लिए वोटिंग के दौरान सभी सदस्य को दो तिहाई बहुमत हासिल करना आवश्यक होता है। अगर दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तथा राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करता है।

GS World Committed To Excellence

नोट:

अप्रैल, 2018 में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में ऐसा **प्रथम मामला सामने** आया है जब **भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरूद्ध महाभियोग** का प्रस्ताव लाया गया। यद्यपि राज्यसभा के सभापति द्वारा विपक्ष के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया।

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (मुख्य न्यायाधीश सहित) को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलायी जाती है।
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं।
- अनुच्छेद-125 (1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किये जाते है।
- 2017 के बजट में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ाकर क्रमश: 2,80,000 एवं 2,500,00 कर दिया गया है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

भारत की न्यायिक व्यवस्था में जब कभी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है अथवा वह अपने कर्त्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।

तदर्थ न्यायाधीश

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति विशेष परिस्थितियों में की जाती है। जब कभी न्यायिक कार्यवाही के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या कम होती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सम्बन्धित उच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायाधीश से परामर्श** एवं **राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी होती** है।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां

- संविधान में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन किया गया है।

मूल अधिकारिता

- किन्ही दों राज्यों अथवा केन्द्र-राज्य के मध्य किसी विवाद पर निर्णय देना उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।
- मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि इन मामलों में किसी वाद की शुरूआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है।

अनुच्छेद-131 के अधीन निम्नलिखित मामले सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते:-

- अंतर्राज्यीय जल विवाद
- वित्त आयोग के सन्दर्भ वाले मामले
- कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद के तहत संघ व राज्य सरकार के विरूद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता है।
- केन्द्र व राज्य के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद आदि।

न्यायादेश क्षेत्राधिकार

- सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि **बंदी प्रत्यक्षीकरण**, **परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार पृच्छा** आदि पर न्यायादेश जारी कर पीड़ित नागरिक के मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे।
- यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति बिना किसी अपील याचिका के सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध अपील स्वीकार करने की अधिकारिता (अनुच्छेद-132 से 136 तक) निहित है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बाँटा जा सकता है:-
  1. संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें (अनु.132)
  2. दीवानी मामलों में (अनु. 133)
  3. दाण्डिक मामलों में (अनु. 134)
  4. विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील (अनु. 136)

संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें (अनु. 132)

इसके अन्तर्गत संवैधानिक विषयों में उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अपील के तहत ऐसे मामले आते हैं- जिनके निर्वचन में विधि का सारवान प्रश्न निहित हो तथा जिस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अंतिम निर्णय दे दिया है।

GS World Committed To Excellence

दीवानी मामले (अनु. 133)

इसके अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी अपील तभी लायी जा सकती है, जब उच्च न्यायालय यह प्रामाणित कर दे कि-

- मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है।
- उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है।

आपराधिक मामले (अनु.134)

आपराधिक मामलों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरूद्ध निम्न प्रकार से अपील की जा सकती है।

- यदि पीड़ित व्यक्ति के अपराध मुक्ति के आदेश को पलट दिया गया हो और उसे मृत्युदण्ड दिया गया हो।
- यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय से केस लेकर आरोपी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया गया है और उसे मृत्यु दण्ड दिया गया हो।

ऐसे मामले में अपील दो तरह से की जा सकती है- प्रथम, उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना तथा द्वितीय, उच्च न्यायालय के प्रमाण-पत्र सहित।

विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील

- अनुच्छेद-136 उन विषयों पर अपील अधिकार प्रदान करता है जिन पर अनुच्छेद-132, 133 और 134 के तहत अपील न की गयी हो। यह उच्चतम न्यायालय की अपील ग्रहण करने की अवशिष्ट शक्ति है।
- इसके अतिरिक्त वे मामले जिनमें उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्कता हो भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश आदि से उत्पन्न हो सकते हैं।
- संविधान ने उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी है कि ऐसे मामलों में स्वविवेक के आधार पर संज्ञान ले।

सलाहकारी क्षेत्राधिकार (अनु. 143)

संविधान में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्राप्त है। इसके अनुसार राष्ट्रपति दो मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है।

- लोक महत्व के किसी विषय में सम्बन्धित विधिक प्रश्न उठने पर,
- किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा आदि मामलों में किसी विवाद के उत्पन्न होने पर

प्रथम मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, परन्तु दूसरे विषय से सम्बन्धित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देना बाध्यकारी है या अनिवार्य है। वर्ष 2018 तक राष्ट्रपति द्वारा अपने सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 15 मामले संदर्भित किए गए हैं, जैसे-दिल्ली विधि अधिनियम-1951, विधायिका के विशेषाधिकार से संबंधित मामले-1964, राष्ट्रपति चुनाव-1974, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्स्थापना अधिनियम-1982, कावेरी जल विवाद प्राधिकरण आदि मामले।

अभिलेख का न्यायालय(अनु.129)

- सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न केसो में दिए गये निर्णयों को दस्तावेजीकृत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्णयों के आधार पर अन्य न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों में आये मामलों में सन्दर्भित किया जा सकता है।
- यही नहीं उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक निर्णयों की अवमानना करने पर दण्डित करने की शक्ति (सविल या आपराधिक या दोनों आधार पर) है।

न्यायिक सक्रियता

यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक उपबन्धों अथवा कानूनों की रचनात्मक व्याख्या द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को प्रतिस्थापित किया जाता है। भारत में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का वास्तविक विकास 1990 के दशक में कमजोर कार्यपालिका, राजनीतिक अस्थिरता, लोकजीवन में अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार, आम आदमी से दूर होता न्याय, कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में निष्क्रियता एवं आर्थिक उदारीकरण आदि के परिप्रेक्ष्य में हुआ था।

इस परिप्रेक्ष्य में न्यायिक सक्रियता राजनीतिक व्यवस्था को जनता के प्रति उत्तरदायी होने के लिए बाध्य करती है।

न्यायिक समीक्षा

- इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच की जाती है। यदि न्यायालय की अन्विच्छा में कोई भी उपबन्ध संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत निर्मित किया गया है तो न्यायालय उसे निरस्त या शून्य घोषित कर सकता है।
- न्यायिक समीक्षा को तीन रूपों में बाँटा गया है-प्रथम, संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, द्वितीय संसद अथवा

GS World Committed To Excellence

राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधियों की न्यायिक समीक्षा तथा तीसरा, केन्द्र एवं राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाहियों की समीक्षा।

- यद्यपि 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की **न्यायिक समीक्षा की शक्ति** को **व्यक्त किया** गया है-
- अनुच्छेद-13 न्यायिक समीक्षा की संकल्पना को आधार प्रदान करता है। इसके तहत मौलिक अधिकारों का अपकर्षण करने वाले किसी भी कानून को न्यायालय द्वारा अमान्य या निरस्त घोषित किया जाता है।
- अनुच्छेद-32 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट की अधिकारिता
- अनुच्छेद-131 के अन्तर्गत केन्द्र-राज्य तथा अन्तर-राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार।
- अनुच्छेद-132 संवैधानिक मामलो में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य।
- अनुच्छेद-133 के तहत सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकारिता।
- अनुच्छेद 143- के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श (मांगे जाने पर) अधिकृत किया गया है।
- अनुच्छेद 226- के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता।
- अनुच्छेद 245- के अन्तर्गत संघ एवं राज्य की विधायिका द्वारा निर्मित कानून संविधान के अनुरूप होने चाहिए।
- अनुच्छेद 251- समवर्ती सूची पर संघर्ष की स्थिति में संघ के कानून को वरीयता।
- अनुच्छेद 372- संविधान पूर्व के कानूनो कीं निरंतरता से सम्बन्धित

जनहित याचिका (Public Interest Litigation)

जनहित याचिका को सामाजिक क्रिया याचिका या सामाजिक हित याचिका के रूप में भी जाना जाता है। जनहित याचिका की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम 1960 के दशक में अमेरिका में हुआ था। इस संकल्पना को भारत में वास्तविक रूप से 1985 ई. में पी.एन. भगवती ने प्रसारित किया।

इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था लोकहित के विषय पर किसी व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। वस्तुतः जनहित याचिका न्यायपालिका के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप कर संविधान की रचनात्मक व्याख्या द्वारा इसे जीवंत एवं बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का एक सशक्त माध्यम हैं।

जनहित याचिका के तहत पर्यावरण मामले, नदी जल प्रदूषण, बन्धुआ मजदूरी तथा बाल श्रम मामले, महिलाओं पर अत्याचार समलैंगिकता, SC/ST समुदाय का पुलिस द्वारा उत्पीड़न आदि मामले दायर किए जा सकते हैं।

स्मरणीय तथ्य

- ☞ *भारतीय संविधान के अनु.-124 से अनु.-147 (भाग-5) तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उपबंध किया गया है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार संसद के पास है।*
- ☞ *उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनु.-124(6) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पेश होता है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी अपना त्याग-पत्र दे सकता है।*
- ☞ *किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि अभी तक कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया।*
- ☞ *भारत का सर्वोच्च न्यायालय मूल, अपीलीय तथा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है।*
- ☞ *भारतीय संविधान का अनु.-131 सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय अनु.-134(क) के तहत् सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण-पत्र जारी करता है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनु.-136 के तहत् अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनु.-143 के तहत् उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है।*
- ☞ *अनु.-143 के तहत् उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श तभी देता है जब राष्ट्रपति परामर्श माँगता है अन्यथा नहीं।*
- ☞ *राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के लिए सर्वप्रथम 1951 में इन री देहली लॉज एक्ट के मामले को भेजा गया था।*
- ☞ *संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अतः उसे संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है।*

GS World Committed To Excellence

उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 124	उच्चतम न्यायालय का गठन
अनुच्छेद 124 (क)	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
अनुच्छेद 124(ग)	कानून बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 125	न्यायाधीशों के वेतन व पेंशन आदि
अनुच्छेद 127	तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 129	उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य
अनुच्छेद 131	उच्चतम न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 131(क)	संघ द्वारा निर्मित कानूनों का संवैधानिक वैधता से सम्बन्धित अन्विच्छा तथा असंगत कानूनों का निरस्तीकरण
अनुच्छेद 132	सर्वोच्च न्यायालय का कुछ मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 133	सिविल मामलो में अपीलीय क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 134	फौजदारी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 139	कुछ मामलों पर रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति।
अनुच्छेद 140	उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ
अनुच्छेद 143	राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति
अनुच्छेद 144	दीवानी तथा न्यायिक अधिकारियों का उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति

GS World
Committed To Excellence

अध्याय 16

उच्च न्यायालय

भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य की न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्च न्यायालयों को स्थापित किया गया है। राज्यों में उच्च न्यायालय के पश्चात् क्रमशः जिला न्यायालय, सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, नगर सिविल और सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुंशिफ और अन्य मजिस्ट्रेट हैं।

उच्च न्यायालय की संरचना

संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद-214 से 231 तक राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा तथा अनुच्छेद-231 में यह कहा गया है कि संसद द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। जैसे-चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों के न्यायिक मामलों को देखता है।

उच्च न्यायालय का गठन

उच्च न्यायालयों के गठन के सन्दर्भ में संविधान के अनुच्छेद 216 में यह वर्णन है कि प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सम्बन्धित राज्यों के राज्य पात्र तथा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न अर्हताओं का होना आवश्यक है-

- वह भारत का नागरिक हो,
- न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो या
- उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

शपथ एवं पदावधि

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा दिलायी जाती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है।
- फिर भी उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की भाँति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के सम्बन्ध में किसी भी विवाद या प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है।
- हालांकि, वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है।
- संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

संविधान के अनुच्छेद-223 के तहत किसी न्यायालय के न्यायाधीश को सम्बन्धित उच्च न्यायालय का कार्यवाहक या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित स्थितियों का होना आवश्यक है-

- सम्बन्धित न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थाई तौर पर अनुपस्थित हो,
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सीट रिक्त हो अथवा
- मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो।

GS World Committed To Excellence

- अनुच्छेद-224 के तहत राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में विधि में पारंगत व्यक्ति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।
- प्रथम, यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या कार्य के विलंबन की वजह से राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ायी जाये, तो राष्ट्रपति दो वर्षों या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिये योग्य व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त करेगा।

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ

संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के समान उच्च न्यायालय की शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद-225 उच्च न्यायालय की शक्तियों तथा विशेषाधिकारों से सम्बन्धित है। उच्च न्यायालय के विभिन्न क्षेत्राधिकारों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत रख सकते हैं-

प्राथमिक अधिकार क्षेत्र

उच्च न्यायालयों को दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मामलों में विशेष रूप से अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए प्राथमिक अधिकार क्षेत्र मिले हैं। वे सभी मामले जिन पर जिला न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता, उच्च न्यायालय में ही प्रारम्भ किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित विषय शामिल हैं-

- संसद सदस्य तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित निर्वाचन के मुद्दे,
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
- विवाह विधि, कंपनी विधि, तलाक, वसीयत
- न्यायालय की अवमानना
- संविधान की व्याख्या के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मामले।
- राजस्व सम्बन्धी मामले।

अपीलीय क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालयों का अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों तक विस्तृत है। इसके तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई करता है।

अधीक्षण की शक्ति

यद्यपि भारत एक संघ है, परन्तु अन्य संघों के विपरीत भारत में संविधान द्वारा एक न्यायपालिका और एक ही मौलिक विषयों के समूह की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद-227 के अनुसार, उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण का अधिकार है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति में राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श लेगा।

ऐसे विधिक विषय से सम्बन्धित मामले, जिनमें संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से वापस मंगा सकता है।

रिट क्षेत्राधिकार

संविधान के अनुच्छेद-226 उच्च न्यायालय को भी उच्चतम न्यायालय की तरह अनुच्छेद-32 के अधीन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट निकालने की शक्ति प्रदान करता है।

- उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन अथवा अन्य कारणों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार पृच्छा के अंतर्गत रिट दायर की जाती है।
- उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र सम्बन्धित राज्य के साथ-साथ राज्य क्षेत्र से बाहर के प्राधिकरणों, व्यक्तियों और सरकार के विरूद्ध रिट दायर कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में अंतर

सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय
संवैधानिक महत्व के प्रश्नों पर निर्णय लेना	उच्च न्यायालय को संवैधानिक महत्व के प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
यह संघीय एवं सर्वोच्च न्यायालय	सम्बन्धित राज्य में स्थापित न्यायालय
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न तो पदावनति हो सकती है और न ही स्थानांतरण	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों की अन्विच्छा तथा उनके निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं	यह उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है।

GS World Committed To Excellence

वर्तमान (2018) भारत में स्थित उच्च न्यायालयों का विवरण			
क्रम	**नाम**	**स्थापना वर्ष**	**न्यायिक क्षेत्र**
1.	कलकत्ता	1862	प. बंगाल एवं अंडमान और निकोबार
2.	मद्रास	1862	तमिलनाडु एवं पुडुचेरी
3.	मुम्बई	1862	महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली
4.	इलाहाबाद	1866	उत्तर प्रदेश
5.	पंजाब और हरियाणा	1875	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़
6.	कर्नाटक	1884	कर्नाटक
7.	पटना	1916	बिहार
8.	जम्मू-कश्मीर	1928	जम्मू एवं कश्मीर
9.	गुवाहाटी	1948	असम, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड
10.	ओडिसा	1948	ओडिशा
11.	राजस्थान	1949	राजस्थान
12.	हैदराबाद	1954	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
13.	मध्य प्रदेश	1956	मध्य प्रदेश
14.	केरल	1958	केरल व लक्षदीप
15.	गुजरात	1960	गुजरात
16.	दिल्ली	1966	दिल्ली
17.	हिमाचल प्रदेश	1971	हिमाचल प्रदेश
18.	सिक्किम	1975	सिक्किम
19.	झारखण्ड	2000	झारखण्ड
20.	छत्तीसगढ़	2000	छत्तीसगढ़
21.	उत्तराखण्ड	2000	उत्तराखण्ड
22.	त्रिपुरा	2013	त्रिपुरा
23.	मणिपुर	2013	मणिपुर
24.	मेघालय	2013	मेघालय

GS World
Committed To Excellence

अधीनस्थ न्यायालय

न्यायिक व्यवस्था में अधीनस्थ न्यायालय एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये न्यायालय उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन होते हैं तथा इनकी क्रियाविधि संबंधी नियम व दिशा-निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाते हैं। संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद-233 से 237 तक इनके गठन व शक्तियों आदि के बारे में उल्लेख मिलता है।

- सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति की जाती है।
- जिला न्यायाधीश के अन्तर्गत-नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं सहायक सत्र न्यायाधीश आते हैं।

लोक अदालत

लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक परम्परागत स्वरूप है जो कि सदियों से भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में विद्यमान है। वस्तुत: लोक अदालत से अभिप्राय जनता की अदालत से है।

- भारत के न्यायिक प्रणाली में निहित जटिलता न्याय निर्णयन में अत्यधिक देरी तथा व्यय साध्यता ने लोक अदालतों की प्रासंगिकता को जीवित रखा है।
- स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में लोक अदालतों के वैधानिक विकास के अनेक सोपान देखने को मिले। सर्वप्रथम 1982 में गुजरात में लोक अदालती शिविर आयोजित किया गया था। इसकी सार्थकता को देखते हुए लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसलों को वैधानिक आधार प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।
- इसी परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पारित किया गया।
- लोक अदालतों के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं-

- कोई भी ऐसा मामला जो न्यायालय में लंबित है और किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, लोक अदालत के समक्ष नहीं लाया जाएगा।
- धारा-20(1) के अनुसार यदि न्यायालय में लम्बित किसी वाद का पक्षकार यह चाहता है कि उसके प्रकरण का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से हो तथा उसका विरोधी पक्षकार इसके लिए सहमत हो, तो उस दशा में यदि न्यायालय भी आश्वत है, तो उक्त प्रकरण की सुनवाई लोक अदालत में की जा सकती है।
- लोक अदालत को सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के तहत सिविल कार्यवाही की शक्ति प्रदान की गयी है।
- यही नहीं दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-195 के तहत कार्यवाही सिविल कार्यवाही होगी।

परिवार न्यायालय

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम-1984 के अंतर्गत विवाह संबन्धी और अन्य पारिवारिक विवादों के समाधान एवं त्वरित न्याय निर्णयन के लिए ऐसे न्यायिक अधिकरणों की अवधारणा स्थापित की गयी।

- वर्तमान (2018) में देशभर में 450 से अधिक पारिवारिक अदालतें कार्यरत हैं। 1984 के अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों की सहमति से परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- यह अधिनियम राज्य सरकारों के लिए एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर में एक पारिवारिक अदालत की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
- लोक अदालतों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वैवाहिक विवादों (तलाक, विवाह का अमान्यीकरण), किसी नाबालिग का संरक्षक, किसी व्यक्ति का अभिभावक माता-पिता, पत्नी एवं बच्चों का गुजारा भत्ता आदि आते हैं।

ग्राम न्यायालय

ग्रामीण न्यायालय नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय सुलभ कराने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं कि सामाजिक-आर्थिक तथा अन्य किसी भी रूप में असमर्थ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाये। वर्ष 1986 में विधि आयोग द्वारा ग्राम न्यायालय से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

- 22 दिसम्बर, 2008 को संसद द्वारा यह अधिनियम पारित कर ग्राम न्यायालयों को वैधानिक आधार प्रदान किया गया।
- ग्राम न्यायालय को स्थानीय स्तर पर ही संचालित किए जाने के कारण स्थानीय विवादों का शीघ्र समाधान सम्भव हो सकेगा।
- ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत होगी, इसके न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सिविल मामलों की संख्या के आधार पर कुछ ग्राम पंचायतों को जोड़कर एक ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी।
- ग्राम न्यायालय के समस्त कार्य उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत संचालित किए जाएंगे।
- ग्राम न्यायालय एक चल न्यायालय (Mobile Court) होते हैं जो दीवानी और फौजदारी दोनो शक्तियों से युक्त हैं।
- ग्राम न्यायालय के न्यायिक अधिकारी के पास प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की व जिला न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं तथा वह सिविल व फौजदारी सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करने के लिए अधिकृत है।
- ग्राम न्यायालय सम्बन्धित पक्षों के बीच समझौता कराने का हर संभव प्रयत्न करेगें ताकि विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके।

स्मरणीय तथ्य

☞ *भारतीय संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 214-232 राज्यों में उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।*

☞ *ध्यातव्य है कि दिल्ली एकमात्र केन्द्रशासित प्रदेश है जहाँ उच्च न्यायालय है।*

☞ *ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना तथा अन्य प्रावधान करने का अधिकार संसद के पास है।*

☞ *ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है।*

☞ *ध्यातव्य है कि अपर न्यायाधीश केवल उच्च न्यायालयों में ही नियुक्त किए जाते हैं।*

☞ *सर्वोच्च न्यायालय की भांति ही उच्च न्यायालयों को भी प्रारंभिक, अपीलीय तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।*

☞ *मूल अधिकारों को लागू कराने हेतु उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की ही भांति पाँच प्रकार की रिटें जारी कर सकता है।*

☞ *उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों, अपीलों को अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत् सुनते हैं।*

☞ *फौजदारी, दीवानी एवं राजस्व मामलों के साथ-साथ उच्च न्यायालय एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में पुनः अपील को सुनता है।*

☞ *उच्च न्यायालय अनुच्छेद-226 के तहत् 'मूल अधिकारों को लागू' कराने के लिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं।*

GS World Committed To Excellence

- ☞ *ध्यातव्य है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में तथा पटना उच्च न्यायालय 1916 में स्थापित किया गया।*
- ☞ *गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खण्डपीठें कोहिमा तथा आइजोल में भी हैं जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में है।*
- ☞ *मुम्बई उच्च न्यायालय की तीन खण्डपीठें (सर्वाधिक) पणजी, नागपुर और औरंगाबाद में है।*
- ☞ *2013 में मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा में एवं 2019 में आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय गठित किए गए जिससे भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या-25 हो गई।*
- ☞ *सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय (95) में है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि कार्यवाही लम्बित होने की दशा में उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिषेध रिट जारी करता है।*
- ☞ *एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय किसी मामले के पुनरीक्षण (रिव्यू) हेतु उत्प्रेषण रिट अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है।*
- ☞ *भारत में 'मोबाइल कोर्ट' डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का 'मानसपुत्र' है।*

उच्च न्यायालय से सम्बन्धित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	प्रावधान
• अनुच्छेद 214	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
• अनुच्छेद 216	उच्च न्यायालय का गठन
• अनुच्छेद 219	न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण
• अनुच्छेद 221	न्यायाधीशों का वेतन
• अनुच्छेद 222	न्यायाधीशों का स्थानांतरण
• अनुच्छेद 223	कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
• अनुच्छेद 225	उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार
• अनुच्छेद 226	उच्च न्यायालय की याचिका दायर करने की शक्ति
• अनुच्छेद 227	उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण
• अनुच्छेद 231	दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना

GS World Committed To Excellence

अध्याय 17

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध (Central-State Relation)

भारत में संवैधानिक प्रावधानों के तहत संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में केंन्द्र-राज्य सम्बन्धों को लेकर जटिलता की स्थिति उत्पन्न हुई। अतः संविधान निर्माताओं ने केन्द्र-राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट निर्धारण किया। भारतीय संविधान में केंद्र-राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित तीन रूपों में किया गया है-

- विधायी सम्बन्ध
- प्रशासनिक संबंध
- वित्तीय संबंध

विधायी सम्बन्ध

संविधान के भाग-XI में अनुच्छेद-245 से 255 तक केंद्र-राज्य विधायी शक्तियों का वर्णन मिलता है। भारत में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की यह प्रणाली कनाडा के संविधान से ग्रहण की गयी है। भारतीय संविधान 5 विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमण्डल पर केन्द्र के नियंत्रण का प्रावधान करता है।

- केन्द्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र
- विधायी विषयों का विभाजन
- राज्य क्षेत्र पर केन्द्रीय विधायन
- राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण
- संविधान ने केन्द्र और राज्यों को प्रदत्त अधिकारों के सम्बन्ध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है जैसे संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सम्पूर्ण भारत अथवा उसके क्षेत्र विशेष के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। जबकि राज्य विधानमण्डल सम्बन्धित राज्य की सीमा के अन्तर्गत कानून का निर्माण कर सकती है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित विषयों पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर क्रमशः केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। यद्यपि अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र में निहित की गई हैं।

i) **संघ सूची:** इस सूची से सम्बन्धित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केन्द्रीय विधायिका अर्थात् संसद में निहित है। इस सूची में **मूलतः 97 विषय** थे, जोकि **वर्तमान में 100 हो गए** हैं। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। जैसे:- प्रतिरक्षा, विदेश मामले, अंतर्राष्ट्रीय संधि, मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, जनगणना, आण्विक ऊर्जा, संचार, रेल व वायु एवं जल परिवहन, विदेश व्यापार आदि।

ii) **राज्य सूची:** इस सूची के अंतर्गत स्थानीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमण्डल में निहित है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय विधायिका भी इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है।
वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय चिन्हित किए गए हैं। जैसे-सार्वजनिक व्यवस्था, भू-राजस्व, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि, वन, जेल, स्थानीय शासन, न्याय प्रशासन, सिंचाई, मत्स्यपालन एवं बाजार आदि।

iii) **समवर्ती सूची:** इस सूची के अंतर्गत केन्द्रीय विधायिका तथा राज्य विधानमण्डल दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान में इस सूची में 52 विषय हैं। यदि इस सूची के अंतर्गत बनाए गए कानून को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो केन्द्रीय विधायिका अर्थात संसद द्वारा निर्मित कानून ही प्रभावी होगा। इस सूची में शामिल विषयों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक कानून, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, राष्ट्रीय जलमार्ग, शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक योजना, समाचार पत्र आदि विषयों को रखा गया है।

GS World Committed To Excellence

अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ

- जिन विषयों का वर्णन उपरोक्त तीनों सूचियों में नहीं किया गया है, उन पर कानून बनाने की शक्ति संघ की विधायिका में निहित है। संसद ऐसे विषयों पर कर (Tax) लगाने के लिए कानून बना सकती है जो विषय उपरोक्त तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है।
- इस प्रकार यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो यह ज्ञात होता है कि राज्यों पर केन्द्र को प्राथमिकता दी गई है। विधायी एकता के लिए जहाँ आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है, वहीं क्षेत्रीय एवं स्थायी व विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया।
- इसके अतिरिक्त ऐसे विषय, जिनसे संपूर्ण देश में संसद की एकरूपता कायम रखने की आवश्यकता है, को समवर्ती सूची में रखा गया है।

राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाने की अधिकारिता

- राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमण्डल में निहित है, परन्तु राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद-249 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर यदि राज्य सभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के **दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित** यह घोषित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना राष्ट्रीय हित की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक है। इस व्यवस्था के **उपरांत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती** है।
- अनुच्छेद-250 के अनुसार यदि देश में आपातकाल लागू हो, तो संघ की विधायिका राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, परन्तु ऐसी विधि आपातकाल समाप्त होने के बाद **केवल 6 माह तक प्रभावी** रह सकता है।
- अनुच्छेद-252 के अनुसार, जब दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करें कि वह राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून का निर्माण करे, तब संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। स्मरणीय है कि ऐसे कानून सिर्फ अनुरोध करने वाले राज्यों पर ही लागू होते हैं, अन्य राज्यों पर नहीं।
- अनुच्छेद-352 के तहत जब राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए, तब संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
- इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में घोषित राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

प्रशासनिक सम्बन्ध

संघ व राज्य के बीच प्रशासनिक सबन्ध के अंतर्गत राष्ट्रीय हित के साथ राज्यों की स्वायत्तता को संतुलित किया गया है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से संघ सूची व राज्य सूची के जरिए केन्द्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। इस प्रकार संघ सूची के विषयों पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार को प्रशासन करने का अधिकार है। परन्तु इसके अपवाद भी हैं, जैसे-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 तथा औद्योगिक विकास अधिनियम-1894 एवं औद्योगिक विकास अधिनियम, 1947 इन अधिनियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुपालन का अधिकार केन्द्र सरकार के पास होता है। **अनुच्छेद-256 से 263 तक के अनुच्छेदों में सामान्य स्थितियों** में संघ को राज्य पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है।

प्रशासन के सम्बन्ध में राज्यों को निर्देश देने की केन्द्र की शक्ति को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है-

सामान्य स्थिति में:

संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न डाले (अनु.257)।
- राज्य, राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण तथा उन्हें सुरक्षित बनाए रखे जाने का प्रबन्ध करे। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग और जलमार्ग आते हैं।
- राज्य सीमा के अंतर्गत रेलों का संरक्षण सुनिश्चित करे।
- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित विषयों पर।
- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार चल रही है। (अनु-355)
- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने और उनके निष्पादन के सांगोपाय।

आपातकालीन स्थिति में:

- संविधान के अनुच्छेद-353 के तहत आपातकाल की घोषणा के लागू होने के दौरान केन्द्र को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा।
- राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रत्यावर्तित हो जाती है।

वित्तीय आपात स्थिति में:

- वित्तीय आपात के दौरान केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी कर सकती है-
- वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए
- राज्य द्वारा नियोजित सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन या भत्तों में कमी करने के लिए
- धन विधेयक और वित्तीय विधेयक पारित किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जाएगे।

नोट: उपरोक्त परिस्थितियों में यदि राज्य की सरकारें केन्द्र सरकारें के दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहती हैं अथवा अनुपालन करने में अनिच्छा व्यक्त करती हैं, तो उन्हें केन्द्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया जा सकता है।

वित्तीय सम्बन्ध

भारतीय संविधान के भाग-11 में अनुच्छेद-268 से 293 तक केन्द्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है कि संसद संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर (Tax) लगा सकती है एवं राज्य की विधायिका राज्य सूची में वर्णित विषयों पर लगा सकती है।

भारत में राज्यों के मध्य वित्तीय असमानता स्पष्ट रूप में विद्यमान है। कुछ राज्यों के पास पर्याप्त वित्तीय स्रोत नहीं तो कुछ राज्य पूर्ण रूप से केन्द्रीय अनुदानों पर आश्रित हैं।

करों का बटँवारा-अनुच्छेद-268

संविधान में केन्द्र व राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन को विभिन्न रूपों में व्याख्यायित किया गया है। जैसे-संसद के पास संघ सूची पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। राज्य की विधायिका के पास राज्य सूची के अंतर्गत कर अध्यारोपण का अधिकार है। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची पर कर निर्धारण का अधिकार केन्द्र व राज्य दोनों को है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के पूर्व संघ व राज्यों के मध्य कर (Tax) लगाने की अधिकारिता को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है-

- संघ के प्रमुख राजस्व स्रोतों के अन्तर्गत निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, विदेशी ऋण (ब्याज), वायदा कारोबार आदि।
- राज्यों के प्रमुख स्रोतों के अन्तर्गत कृषि भूमि पर कर, व्यक्ति कर, सम्पदा शुल्क, विक्रय कर, पथकर, भूमि एवं भवनों पर कर आदि।
- कर प्रबन्धन के अन्तर्गत कुछ कर ऐसे हैं जिनका अधिरोपण संघ करता है तथा राज्य द्वारा वसूला जाता है। स्टाम्प शुल्क, विनिमय पत्रों औषधि एवं प्रसाधान की वस्तुओं, वसीयतों, मादक द्रव्यों पर लगने वाले कर इसी प्रकृति के हैं।
- केन्द्र द्वारा लगाए तथा वसूले जाने वाले, परन्तु राज्यों को वितरित किए जाने वाले कर इस प्रकार हैं-रेल भाड़ा तथा माल भाड़ों पर कर, समाचार पत्रों के विक्रय उत्तराधिकार (कृषि भूमि के अतिरिक्त), परिवहन **(वायु, समुद्र एवं रेल)** के तहत प्राप्त कर अन्तर-राज्यीय व्यापार पर कर आदि।

नोट: केन्द्र द्वारा अध्यारोपित तथा संग्रहित करों का राज्यों में वितरण सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद-268, 268 (क), 269 एवं 271 में किया गया है।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा कर सुधार केन्द्र के क्षेत्र में क्रान्तिकारी कदम उठाया गया। अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में एक नयी व्यवस्था स्थापित की गयी है। इसके लिए संविधान में 122वाँ संशोधन किया गया। जीएसटी एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य स्तरीय वैट, चुंगी, क्रय कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, मनोरंजन शुल्क, सेवा कर आदि शामिल हैं। इस कर प्रणाली ने नि:सन्देह राज्यों के कर लगाने सम्बन्धी अधिकारों पर केन्द्र की स्थिति और सुदृढ़ कर दी है, परन्तु राज्यों के लिए राजस्व वितरण में यथोचित बढ़ोत्तरी भी की गयी है।

संघ द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान

संवैधानिक उपबन्धों के अनुरूप करों के आवंटन के पश्चात् भी यदि संघ द्वारा पिछड़े राज्यों के सहायतार्थ सहायता राशि (अनुदान) दिया जाता है। हालांकि, ऐसे किसी अनुदान की प्रासंगिकता का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ऐसे अनुदानों में जनजातीय कल्याण आदि को शामिल किया गया है।

GS World Committed To Excellence

विवेकाधीन अनुदान

संविधान के अनुच्छेद-282 के तहत केन्द्र व राज्य दोनों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे किसी सार्वजनिक महत्व के लिए अपने विवेक से अनुदान का आवंटन कर सकते हैं।

संघ तथा राज्यों द्वारा ऋण लेने वाली शक्ति

भारतीय संविधान में केन्द्र व राज्यों के द्वारा ऋण लेने की शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत संघ को ऋण लने सम्बन्धी व्यापक शक्ति प्रदान की गयी है।

- संघ सरकार विदेशों से या भारत में स्थित प्राधिकरणों से भारत की संचित निधि की प्रतिभूति (Security) की गारंटी देकर ऋण ले सकती है। हालांकि, संघ की इस शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन ही किया जा सकता है।
- राज्यों द्वारा ऋण लेने सम्बन्धी शक्ति सीमित है क्योंकि राज्य सरकार भारत से बाहर अर्थात् विदेशों से ऋण नहीं ले सकता है। राज्य सरकार राज्य की संचित निधि की गारंटी देकर ऋण ले सकती है, किन्तु राज्य विधान मण्डल द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार भारत की संचित निधि से किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती हैं।

संघ व राज्य सम्बन्धों पर गठित प्रमुख आयोग

भारत एक विशाल देश है जहाँ पर भाषायी, जातीय, नृजातीय व सामुदायिक विविधता के तत्व विद्यमान है। ऐसे में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुपालन तथा हितों की समान प्रतिपूर्ति को लेकर द्वन्द्र का होना स्वाभाविक ही है। स्वतंत्रता के पश्चात 1967 तक केन्द्र-राज्य के मध्य स्थिति सामान्य बनी रही, क्योंकि इस समय संघ तथा अधिकांश राज्यों में एक ही राजनीतिक पार्टी की सरकार स्थापित थी, किन्तु इसके पश्चात् न केवल राजनीतिक व्यवस्था में अनेक दलों का अभ्युदय हुआ, अपितु केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में विवादों की स्थिति भी पनपी।

केन्द्र व राज्य के मध्य बढ़ते टकराव व तनाव को कम करने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया। जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं:-

- प्रशासनिक सुधार आयोग (1969)
- राजमन्नार आयोग (1970)
- भगवान सहाय समिति (1971)
- सरकारिया आयोग (1983)

प्रशासनिक सुधार

केंद्र-राज्य सम्बन्धों में बढ़ते टकराव को देखते हुए भारत सरकार ने 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। इस आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों की समीक्षा के लिए एम.सी. शीतलवाड की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया। अन्ततः इस समिति ने कुल 22 अनुसंशाएँ केंद्र को सौंपी। जिसमें राज्यों को शक्तियाँ प्रदान करने, गैर दलीय राज्यपाल की नियुक्ति करने अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन करने तथा राज्यों को वित्तीय संसाधनों के लिए केंद्र पर निर्भरता कम करने के सांगोपाय आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।

राजमन्नार समिति

1971 में तमिलनाडु सरकार ने इस समिति का गठन किया था जिसने केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियों की समीक्षा की तथा अवशेषी शक्तियाँ राज्यों को प्रदान करने, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने आदि सिफारिशे की थी। जिन्हे केंद्र द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया।

सरकारिया आयोग (1983)

बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में, केंद्र और राज्यों के बीच विद्यमान व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समिति सरकारिया समिति थी। जून, 1983 को न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में कुल 19 अध्याय और 247 सिफारिशें थीं। जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं:-

- अनुच्छेद-263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन किया जाए।
- अखिल भारतीय सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाए।
- संवैधानिक प्रारूपों के अनुरूप देश की एकता व अखण्डता को सुदृढ़ करने के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक।

GS World Committed To Excellence

- अनुच्छेद-356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा से पूर्व सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रपति शासन अपरिहार्य स्थिति में ही अध्यारोपित किया जाना चाहिए।
- राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
- समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पूर्व संघ को राज्यों से परामर्श करना चाहिए।
- केंद्र तथा राज्यों के बीच निगम कर के उचित आवंटन के लिए संविधान में संशोधन किया जाए।
- राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना उपयुक्त कारणों के बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
- योजना आयोग को स्वायत्तशासी संस्था बनाया जाए।
- बिना संसद की मांग के किसी राज्यमंत्री या मुख्यमंत्री के विरूद्ध जांच आयोग नहीं बैठाया जाना चाहिए।
- देश की एकता व अखण्डता के प्रवर्धन के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, आदि।
- सरकारिया आयोग द्वारा सुनाई गई सिफारिशों में से लगभग 180 सिफारिशें केंद्र द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं।

पुँछी आयोग (2007)

भारत सरकार ने दो दशक पूर्व सरकारिया आयोग द्वारा अंतिम बार केंद्र-राज्य सम्बन्धों पर विचार के बाद भारत की राजनी. तिक और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित नये मुद्दों पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल, 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था।

- आयोग ने केंद्र एवं राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्थाओं के प्रकार्य, विधायी सम्बन्धों, प्रशासनिक सम्बधों, राज्यपालों की भूमिका, आपातकालीन प्रावधानों, वित्तीय सम्बधों, सामाजिक और आर्थिक नियोजन, पंचायती राज संस्थाओं, अन्तर्राज्यीय नदी जल सहित संसाधनों को साझा करने इत्यादि की जांच की तथा 30 मार्च, 2010 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी।
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत की एकता व अखंडता तथा भविष्योन्मुखी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सहकारी संघवाद पर बल दिया।

भारतीय संविधान में देश के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र तथा राज्यों के मध्य सहयोग के बिन्दु निर्धारित किए गए हैं। ऐसे सहयोग को 'सहकारी संघवाद' (Co-operative Federalism) कहा जाता है।

स्मरणीय तथ्य

- ☞ *भारतीय संविधान के अनुसार, केन्द्र-राज्य संबंध कनाडा के संविधान से प्रेरित संघवाद की ओर उन्मुख हैं।*
- ☞ *भारतीय संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है लेकिन न्यायपालिका विभाजन की परिधि से बाहर है अर्थात् भारत में एकीकृत न्यायपालिका है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के भाग-11 में अनुच्छेद-245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को सुनिश्चित किया गया है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि न केवल भारत में अपितु, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी।*
- ☞ *भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केन्द्र और राज्य के विधायी संबंधों से संबंधित हैं जिसमें तीन सूचियाँ- संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची हैं।*
- ☞ *संघ सूची में मूलत: 97 विषय थे जो वर्तमान में 100 तक पहुँच गए हैं।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुसार, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं जबकि मूल संविधान में 66 विषय थे।*
- ☞ *भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-3 समवर्ती सूची है जिसमें राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों महत्व के विषयों को रखा गया है।*
- ☞ *भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूलत: 47 विषय थे परन्तु वर्तमान में विषयों की संख्या 52 हो गई है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-248 के अनुसार, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्मित करने का अधिकार संसद को है।*
- ☞ *संघ सूची की प्रविष्टि-97 के अनुसार, संघ और राज्य सूची के अंतर्गत न आने वाले विषय संघ सूची के माने जाते हैं।*
- ☞ *भारतीय संविधान के भाग-11 के अनुच्छेद-256 से 263 तक संघ और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का विवरण है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-339 के अनुसार, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए केन्द्र आवश्यक योजनाएँ बनाने का निर्देश दे सकता है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-351 के तहत् संघ सरकार द्वारा हिन्दी भाषा के विकास के लिए राज्यों को निर्देशित किया जाता है।*

GS World Committed To Excellence

- ☞ *भारतीय संविधान के अनुसार, संघ अखिल भारतीय सेवाओं (अनुच्छेद-312) के माध्यमों से राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करता है।*
- ☞ *भारत का राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन अनुच्छेद-263 के प्रावधानों के तहत् कर सकता है।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि अंतर्राज्यीय परिषद् के गठन की सिफारिश राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सरकारिया आयोग द्वारा की गयी थी।*
- ☞ *प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 सदस्य (कैबिनेट मंत्री) तथा संघ राज्य क्षेत्रों एवं राज्यों के प्रशासक एवं मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-268 से 272 संघ तथा राज्यों के मध्य राजस्व के विभाजन से संबंधित हैं।*
- ☞ *भारतीय संविधान के 80वें संविधान संशोधन द्वारा चार वर्गों में राजस्व को विभाज्य किया गया।*

केंद्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	प्रावधान
• अनुच्छेद 245	संघीय विधायिका द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार
• अनुच्छेद 248	अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ
• अनुच्छेद 249	राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति
• अनुच्छेद 250	आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसदीय शक्ति
• अनुच्छेद 253	अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए कानून
• अनुच्छेद 256	संघ व राज्य के उत्तरदायित्व
• अनुच्छेद 257	कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण
• अनुच्छेद 260	भारत के बाहर (वैदेशिक) के भू-भागों के सम्बन्ध में संघ का अधिकार
• अनुच्छेद 261	अभिलेख तथा न्यायिक प्रक्रियाएँ
• अनुच्छेद 268	केंद्र द्वारा लगाए गए तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोगिता कर

GS World
Committed To Excellence

अध्याय 18

कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान

भारतीय संविधान में किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, परंतु देश के कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनके भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए महती आवश्यकता महसूस की गयी। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371(ण) तक ऐसे राज्यों के लिए कुछ उपबंध किए गए हैं। प्रारंभ में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैण्ड, असम, मणिपुर, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं गोवा कुछ राज्यों के लिए ऐसे विशेष प्रावधान किए गए थे। विशेष प्रावधान वाले राज्यों के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गयी थी। जैसे पूर्ण राज्यों में कुछ क्षेत्र जनजातीय बाहुल्य हों, उक्त राज्य का या क्षेत्र का पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र, आबादी का घनत्व कम होना, सीमा से आबद्ध क्षेत्र, आर्थिक व आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना, साथ ही राज्य की आय की प्रकृति का निर्धारित होना शामिल था।

उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले राज्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं-

1. विशेष श्रेणी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गयी है कि वह महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपालों को कुछ विशेष अधिकार हेतु प्राधिकृत करे।
   इसके तहत राज्यपाल विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए जिला बोर्डों की स्थापना, उनके कार्यों का नियमन, व्यय हेतु निधियों का यथोचित आवंटन, ऐसे क्षेत्र के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु अधिकृत होता है।
2. अनुच्छेद-371(क) के तहत संसद द्वारा नागालैण्ड के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के अन्तर्गत संघ का कोई अधिनियम नागालैण्ड में तब तक प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक राज्य विधान सभा इसका अनुमोदन न कर दे। ऐसा नागाओं की विशिष्ट परम्पराओं, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं तथा उनकी न्यायिक व्यवस्था का विनिश्चिय करने के लिए किया गया है। नागालैण्ड में नियुक्त राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपे गए हैं।
   - **अनुच्छेद-371(ख) :** इसके तहत असम को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है।
   - **अनुच्छेद-371(ग) :** इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से मणिपुर विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का गठन कर सकता है। इस पहाड़ी राज्य के विकास तथा कल्याण के लिए राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व के लिए अधिकृत किया गया है।

सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान

1975 के अधिनियम द्वारा सिक्किम को पूर्व राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। सिक्किम में 30 विधानसभा तथा 1 लोकसभा सीट आवंटित की गई।

सिक्किम में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों के समान सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए संसाधनों एवं अवसरों का उचित आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।

अनुच्छेद-371(छ) के तहत मिजोरम एवं अनुच्छेद-371(ज) के तहत अरुणाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद-371(झ) एवं अनुच्छेद-371(ण) के तहत क्रमशः गोवा एवं कर्नाटक को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद-371(घ) एवं अनुच्छेद-371(ड़) में आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। वर्ष 2014 में आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद-371(घ) को विस्तारित कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया।

हाल ही में संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र मार्च, 2018 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के टी.डी.पी. और वाई.एस.आर. काँग्रेस के सांसदों ने सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा (Special Category Status State) देने की मांग की। पूर्व में बिहार, राजस्थान एवं झारखण्ड भी विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे को लेकर मांग करते रहे हैं।

GS World Committed To Excellence

विशेष श्रेणी राज्य निर्धारण का गाडगिल फॉर्मूला

गाडगिल फार्मूला चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अस्तित्व में आया था। 1969 ई. में केंद्रीय सहायता का फॉर्मूला बनाते समय पाँचवें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूले का अनुमोदन करते हुए तीन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया। असम, नागालैण्ड और जम्मू और कश्मीर। इसका आधार इन राज्यों का आर्थिक पिछड़ापन, दुर्गम भौगोलिक स्थिति आदि समस्याएं थी। कालांतर में पूर्वोत्तर के पाँच राज्यों के साथ-साथ तीन अन्य राज्यों को भी विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया।

विशेष श्रेणी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात जो संसाधन बच जाते हैं, उन्हें 60% जनसंख्या के आधार पर, 25% राज्य के प्रति व्यक्ति आय के, 7.5% राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर और 7.5% इन राज्यों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वितरित किया जाता है।

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने फैसला लिया कि वे भारत अथवा पाकिस्तान दोनों परिसंघों में से किसी एक में भी नहीं रहेंगे अर्थात् स्वतंत्र रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण से भयभीत होकर कश्मीरी शासक ने राज्य का भारत में विलय करने का निर्णय लिया। फलतः जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरिसिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को जम्मू एवं कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों की तरह विलय नहीं किया गया, क्योंकि इसे सीमित सम्प्रभुता प्राप्त है और इसीलिए इसे 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था।

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-370, जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था, संविधान के भाग-21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष राज्य का प्रावधान करता था।
- भारत सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पेश किया जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया।
- 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू एवं राधा कृष्ण माथुर को क्रमशः जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के रूप में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलवाई गई।
- पूर्ण रूप से विभाजन के लिये जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में एक वर्ष की अवधि का प्रावधान है।
- राज्य के विधायी पुनर्गठन के कार्य के साथ ही राज्य के 153 कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और 166 कानूनों को यथावत रखा गया है।
- राज्य की अपनी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code- CrPC) थी, जिसे अब केंद्रीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Central CrPC) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा क्योंकि कश्मीर के CrPC में कई प्रावधान केंद्रीय CrPC से अलग हैं।
- केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ की आधिकारिक भाषा उर्दू के बजाय हिंदी हो जाएगी।
- पहली बार 106 नए कानून लागू होंगे। इनमें आधार, मुस्लिम विवाह विच्छेद कानून, शत्रु संपत्ति कानून, मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, आरटीआई, शिक्षा का अधिकार, व्हिसल ब्लोअर शामिल हैं।

GS World Committed To Excellence

अध्याय 19

केन्द्र शासित प्रदेश

भारतीय राज्यों का तीन श्रेणियों में विभाजन

भारतीय संविधान में भारतीय राज्य को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है-

1 राज्य क्षेत्र
2. केंद्र-शासित क्षेत्र
3. ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र, जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अर्जित किया गया हो।

राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, उनके संघ से संबंध का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में ही कर लिया है। अब हम यहाँ पर मुख्यत: केंद्र शासित प्रदेशों के शासन/प्रशासन को विस्तार पूर्वक देखेंगे। इन क्षेत्रों पर केन्द्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होने के कारण इन्हें केन्द्र शासित प्रदेश कहा जाता है। वैसे वर्तमान में भारत में 9 केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

केन्द्र शासित प्रदेश के गठन के पीछे कारण

- भारत में अभी तक चार प्रकार से केन्द्र शासित प्रदेश गठित किए गए हैं, प्रथम, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आधार पर दिल्ली एवं चंडीगढ़ का गठन; द्वितीय, सांस्कृतिक भिन्नताओं के आधार पर पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली का गठन किया गया; तृतीय, सामरिक महत्व के आधार पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप का केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में गठन। इन तीन आधारों के अतिरिक्त आरंभ में पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्र होने के आधार पर मिजोरम, मणिपुर आदि को भी केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया, जो कि बाद में पूर्ण राज्य बन गए।

केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रशासन

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-239 से 241 तक केन्द्र शासित राज्यों के प्रशासन आदि के संबंध में उपबंध किए गए हैं। हालाँकि ये उपबंध सभी केन्द्र शासित प्रदेशों पर समान रूप से नहीं लागू होते क्योंकि तीन ऐसे केन्द्र शासित प्रदेश यथा-दिल्ली एवं पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों के विपरीत विधानमण्डल भी पाया जाता है।
- सामान्यत: प्रत्येक केन्द्र शासित क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति संबंधित क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि; जो कि प्रशासक, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर आदि नामों से जाना जाता है; के माध्यम से शासन करता है। इन क्षेत्रों अथवा प्रदेशों की तीनों सूचियों पर विधि बनाने का कार्य संसद करती है। दिल्ली, पुडुचेरी में मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी संसद तीनों सूचीयों पर कानून बना सकती है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुडुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर ही मात्र तीन केन्द्र शासित प्रदेश हैं जहाँ की विधानसभा राज्यसूची एवं समवर्ती सूची पर कानून कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत बना सकती है।

दिल्ली के लिए विशेष उपबंध

- 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान की गई और इसे 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' का नाम दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा व मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। पूर्व में दिल्ली में महानगरीय परिषद् और कार्यकारी परिषद थी।
- विधानसभा की क्षमता 70 सदस्यीय निर्धारित की गई है, जो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चुनाव, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। विधानसभा को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है (राज्य सूची के तीन विषय- लोक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि को छोड़कर), परंतु संसद द्वारा बनाई गई विधि, विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से अधिक प्रभावी होती है।
- मंत्रिमंडल की संख्या, विधानसभा की कुल संख्या का 10 प्रतिशत है यानी मंत्रिमंडल की संख्या सात है- मुख्यमंत्री व छह अन्य मंत्री। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। (न कि उप-राज्यपाल)। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति

GS World Committed To Excellence

राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर होते हैं। मंत्रिमंडल, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

- मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उप-राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से लिए गए निर्णयों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों में सहयोग व सहायता करता है, लेकिन उप-राज्यपाल व मंत्रिमंडल में किसी मुद्दे पर टकराव होने पर उप-राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ऐसी स्थिति में जब क्षेत्र का प्रशासन उपरोक्त उपबंधों को खारिज कर सकता है और क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक उपबंध बना सकता है। दूसरे शब्दों में, संवैधानिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस क्षेत्र में अपना शासन लागू कर सकता है। ऐसा उप-राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर होता है। यह उपबंध अनुच्छेद 356 के समान है, जिसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, 2019

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर से सम्बंधित अनुच्छेद को हटाते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन हेतु एक कानून बनाया है। इसके तहत जम्मू तथा कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को समाप्त करते हुए उसे 2 नए केन्द्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया है। इसके लिए लिए केंद्र सरकार ने 05 अगस्त को राज्यसभा में तथा 06 अगस्त को लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया था। इस बिल के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे:-

- **बिल जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्नलिखित में पुनर्गठित करता है:** (i) विधानसभा के साथ जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और (ii) विधानसभा के बिना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कारगिल और लेह जिले होंगे तथा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य का शेष प्रदेश आएगा।
- **लेफ्टिनेंट गवर्नर:** जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर नामक एक प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसके लिए भी राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर नामक एक प्रशासक की नियुक्ति करेंगे।
- **जम्मू और कश्मीर की विधानसभा:** बिल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विधानसभा का प्रावधान करता है। विधानसभा में कुल 107 सीटें होंगी। इनमें जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तानी कब्जे वाले कुछ क्षेत्रों की 24 सीटें रिक्त होंगी। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी जोकि वहाँ उनकी जनसंख्या पर आधारित होगा। साथ ही, लेफ्टिनेंट गवर्नर विधानसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए दो सदस्यों को नामित कर सकता है, अगर उन्हें उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।
- **विधानसभा की अवधि पाँच वर्ष होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को छह महीने में कम से कम एक बार विधानसभा की बैठक बुलानी होगी। विधानसभा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए निम्नलिखित के संबंध में कानून बना सकती है:** (i) संविधान की राज्य सूची में विनिर्दिष्ट कोई भी मामला (पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर), और (ii) केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होने वाली समवर्ती सूची में विनिर्दिष्ट कोई भी मामला। इसके अतिरिक्त संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाए।
- **मंत्रिपरिषद्:** जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में मंत्रिपरिषद् की संख्या कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद् उन मामलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को सहायता और सलाह देगी जिन मामलों में विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद् के सभी फैसलों की जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाएगी।
- **उच्च न्यायालय:** जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों का साझा उच्च न्यायालय होगा। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक एडवोकेट जनरल होगा जोकि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करेगा।
- **विधान परिषद्:** जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान परिषद् समाप्त हो जाएगी। विधान परिषद् के भंग होने के साथ सभी लंबित बिल लैप्स हो जाएंगे।
- **एडवाइजरी कमिटी:** केंद्र सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों से एक एडवाइजरी कमिटी का गठन करेगी: (i) जम्मू और कश्मीर राज्य के निगमों के एसेट्स और देनदारियों को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटना, (ii) बिजली और जल उत्पादन तथा आपूर्ति से संबंधित मुद्दे, और (iii) जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम से संबंधित मामले। यह कमिटी छह महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपेगी जिसे 30 दिनों के अंदर उन सुझावों पर अमल करना होगा।
- **कानून का विस्तार:** अनुसूची में 106 केंद्रीय कानून हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से जम्मू और कश्मीर केंद्र

GS World Committed To Excellence

शासित प्रदेश तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर लागू किया जाएगा। इनमें आधार एक्ट, 2016, भारतीय दंड संहिता, 1860 और शिक्षा का अधिकार एक्ट, 2009 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह बिल जम्मू और कश्मीर राज्य के 153 कानूनों को रद्द करता है। बिल कहता है कि 166 राज्य कानून प्रभावी बने रहेंगे और सात कानूनों को संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा। पहले सिर्फ जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को लैंड लीज की जा सकती थी। अब संशोधन के द्वारा यह पाबंदी हटा दी गई है।

प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
239	संघीय क्षेत्रों का प्रशासन
239A	कुछ संघीय क्षेत्रों में विधायिका का सृजन
239AA	दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान
239B	विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासन की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
240	कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रपति के विनियम बनाने की शक्ति
241	संघीय क्षेत्रों में उच्च न्यायालय

अध्याय 20

स्थानीय स्वशासन

भारत में स्थानीय स्वशासन का विशेष महत्व है। अगर स्थानीय स्वशासन के इतिहास पर प्रकाश डालें तो यह ज्ञात होता है कि भारत में प्राचीन काल से ही इसका अस्तित्व रहा है। ग्रामीण व्यवस्था से लेकर नगरीय प्रबन्धन तक स्थानीय शासन के विविध सोपान विद्यमान रहे हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के समय से ही स्थानीय शासन के महत्व को समझा जाने लगा था। इस दौरान प्रशासन की इकाई जिला स्थापित की गयी थी एवं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था जिलाधिकारी के अधीन थी। वर्ष **1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल** में स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों को सम्मिलित करने के लिए कुछ प्रयास किए गये।

भारतीय संविधान में स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास को पर्याप्त महत्व दिया गया जो कि राष्ट्रपति महात्मा गाँधी के स्थानीय शासन एवं ग्राम राज्य की आकांक्षाओं के अनुरूप थे। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों में पंचायती राज्य को समाहित किया गया है। **26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ** तथा केंद्र में एस.के.डे के नेतृत्व में पंचायती राज्य मंत्रालय का गठन किया गया।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में 1952 में विकेन्द्रीयकरण प्रक्रिया की शुरूआत हो चुकी थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, **1977 जी.वी.के. राव समिति, सिंघवी समिति ने पंचायती राज समिति के बीच** में अपने विचार रखे तथा 64वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा संवैधानिक सुधार के प्रयास किए गए। परन्तु भारत में पंचायती राज का वास्तविक क्रियान्वयन 1993 ई. 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् प्रारम्भ हुआ। पंचायती राज संस्थाओं की संरचना पर विचार करने के पूर्व इसके उद्विकास पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

बलवंत राय मेहता समिति

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरूआत 1952 में हुई थी, परन्तु इसके यथोचित परिणाम नहीं मिले। फलतः इसकी कमियों की जांच के लिए बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने नवंबर, 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण की योजना की सिफारिश की, जो वर्तमान में पंचायती राज के रूप में जाना गया। इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धति गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद् की स्थापना पर बल दिया।

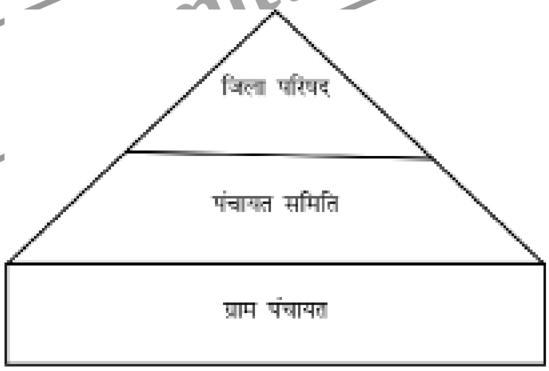

- ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष (वयस्क मताधिकार) रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए।
- ब्लॉक को विकास एवं नियोजन की मौलिक इकाई के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए एवं जिलाधिकारी को जिलापरिषद का प्रमुख बनाया जाना चाहिए।
- इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति एवं उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए।

- इन निकायों को धन के पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें।
- इस समिति ने सत्ता के विकेन्द्रीयकरण पर जोर दिया जिससे स्थानीय शासन में निचले स्तर के लोगों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके। वर्ष 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रयोग के आधार पर सर्वप्रथम बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों को आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में लगाया गया। इसकी सफलता के फलस्वरूप 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री प.जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज योजना की सर्वप्रथम औपचारिक शुरूआत की गयी।
- इसके पश्चात् देश के अन्य राज्यों में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया, किन्तु इसके परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे। जिसके प्रमुख कारणों में वित्त की कमी होना, राज्यों पर ज्यादा निर्भरता आदि थे।

अशोक मेहता समिति-1977

पतनोन्मुख पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु तात्कालिक जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय की बजाय द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। इस समिति ने जिला स्तर पर जिला परिषद् तथा उसके नीचे मंडल पंचायतों के गठन का सुझाव दिया। हालाँकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका।

पंचायती राज समितियों तथा गठित प्रमुख अध्ययन दल

- बलवंतराय मेहता समिति – सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा
- वी.के.राव समिति – पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्क संगतता
- एस.डी.मिश्र अध्ययन दल – पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन
- दिवाकर समिति – ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा
- रामा कृष्णैया अध्ययन दल (1963) – पंचायती राज समितियों की आय-व्यय गणना का अध्ययन
- के.संथानम समिति (1965) – पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा से सम्बन्धित
- अशोक मेहता समिति – पंचायती राज के प्रशासनिक ढांचे से सम्बन्धित
- दांतेवाला समिति (1978) – खण्ड ब्लॉक स्तर पर योजना स्वरूप
- एल.एम.सिंघवी समिति (1986) – लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सशक्तीकरण
- थुंगन समिति (1989) – स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम-1992

इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय-9 शामिल किया गया एवं इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243(क) के तहत 16 अनुच्छेद जोड़े गए। इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी गयी।

- इसके अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गयी-ग्राम सभा, मध्यवर्ती पंचायत एवं जिला पंचायत।
- पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तर पर सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर किया जाएगा।
- पंचायत के सभी स्तरों पर SC/ST के सदस्यों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे।
- पंचायती राज में महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण होगा।
- पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा तथा वित्त आयोग प्रत्येक पांच वर्ष पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का आंकलन करेगा।

पंचायतों की संरचना

राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबन्ध करने की शक्ति प्राप्त है, किन्तु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र भी जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचित द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात सभी राज्यों में समान होगा।

- ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है। जिस राज्य में मध्यवर्ती पंचायतों का सृजन नहीं हो सकता, वहाँ वह जिला पंचायत का सदस्य होगा।
- मध्यवर्ती पंचायत (ब्लॉक) का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होगा।
- राज्य के राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद् (जिन राज्यों में अस्तित्व में हो) के सदस्य उस क्षेत्र की जिला एवं मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होते हैं जिसमें वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।

GS World Committed To Excellence

ग्राम सभा

इस निकाय में गाँव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अतः यह किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है।

सदस्यता के लिए अर्हता

- उसकी उम्र 21 वर्ष से कम न हो
- वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा निरर्हित नहीं हों,
- इसके अतिरिक्त वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।

पंचायतों के निर्वाचन की प्रणाली

- अनुच्छेद-243 (ट) के अनुसार निर्वाचकों के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार कराने और सभी निर्वाचनों के संचालन अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रक का दायित्व एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है जिसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।
- निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका अहित हो।

पंचायतों के वित्तीय स्रोत

- केन्द्र व राज्य द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित निधि।
- राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान
- राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, पथ कर आदि जो पंचायतों को सौंपे जाते हैं, इत्यादि।

शक्तियां एवं कार्य

लोकतंत्र की मजबूती के लिए शासन का विकेन्द्रीकरण आवश्यक माना जाता है। ऐसे में पंचायती राजव्यवस्था जैसी स्वशासन इकाईयों का शक्ति सम्पन्न परम आवश्यक है। पंचायतों की शक्तियों तथा कार्यों को तीन वर्गों में रखा गया है:-

अनिवार्य कार्य

- प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्धन
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- सड़क एवं जल प्रबन्धन
- कृषि विकास के सांगोपाय
- सार्वजनिक बाजारों तथा स्थलों का प्रबंधन आदि।

विकासात्मक कार्य

- कृषि तथा भूमि सुधार कानूनों का क्रियान्वयन।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सही क्रियान्वयन में सरकार की सहायता करना।
- लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का प्रयास

ऐच्छिक कार्य

- वृक्षारोपण
- ग्रामवासियों के मनोरंजन का प्रबन्धन
- पुस्तकालय आदि का प्रबन्धन
- आपदाकाल में ग्रामीणों की सहायता, आदि।

लेखा परीक्षण

संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल ग्राम पंचायतों के खातों की देखरेख और उनके परीक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है।

नोटः 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम आदि विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। अर्थात उन राज्यों के अनुसूचित आदिवासी गोरखालैण्ड जैसे क्षेत्र आदि पर यह कानून आरोपित नहीं हैं।

GS World Committed To Excellence

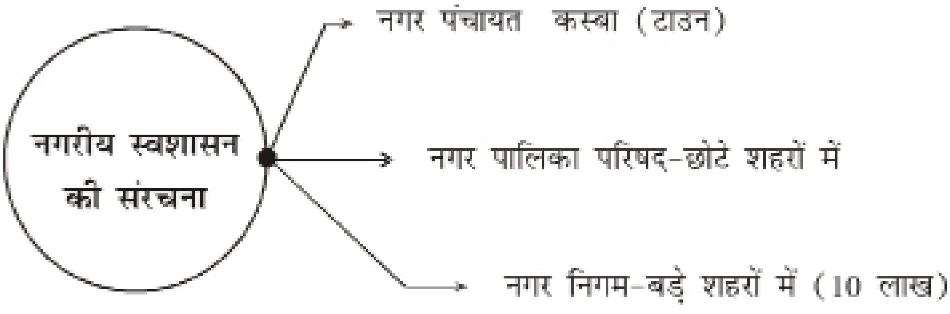

नगर निगम (Municipalities)

भारतीय महाद्वीप में सिन्धु सभ्यता के समय से ही नगरीय प्रशासन अस्तित्व में बना रहा है। कालांतर में मौर्यकाल में नागरक नामक अधिकारी की नियुक्ति नगर प्रमुख के रूप में की गयी, फिर गुप्त काल में पुरपाल नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में भी नगरीय प्रबन्ध के लिए कोतवाल जैसे अधिकारियों की चर्चा मिलती है।

भारत में नगरीय प्रशासन का आधुनिक रूप ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अस्तित्व में आया। ब्रिटिश भारत में 1687 में अंग्रेजों द्वारा मद्रास नगर की स्थापना की गई थी, जिसे स्वायत्त शासन की शुरूआत मानी जाती है। इसी समय बम्बई एवं कलकत्ता में नगरपालिका की स्थापना की गई। 1870 में लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेन्द्रीयकरण का संकल्प स्थानीय स्वशासन के विकास का महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

स्थानीय स्वशासन के परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में प्रस्तुत मसौदा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

संविधान निर्माण के दौरान स्थानीय स्वशासन के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए थे। परन्तु भारत में बढ़ते नगरीकरण को देखते हुए नगरों में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं स्थापित करना अति आवश्यक हो गया। फलतः 1992 में नगरीय शासन प्रणाली को 74 वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।

इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग-9 सृजित किया और 12वीं अनुसूची के रूप में नई सूची जोड़ी गयी। नगरपालिका के अन्तर्गत कुल-18 विषय वस्तु निहित किए गए हैं।

1992 के अधिनियम द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर तीन मंत्रालय नगरीय शासन से सम्बद्ध हैं:-

1. नगर विकास मंत्रालय
2. गृह मंत्रालय (संघ शासित क्षेत्रों के लिए)
3. रक्षा मंत्रालय (कैण्टोनमेण्ट बोर्डों के मामले में)

गठन

नगरपालिका के सभी सदस्य संबंधित नगरपालिका के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष के निर्वाचन से सम्बंधित नियम बना सकती है। नगरपालिका में प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान इस प्रकार हैं:-

- नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति उसकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, परन्तु सभा में मतदान होने पर वोट नहीं डाल सकते।
- लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य भी भाग ले सकते हैं।
- अनुच्छेद-243(ध) के अंतर्गत गठित वार्ड समितियों के अध्यक्ष भी भाग ले सकते हैं।

नोट: 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है। राज्य विधान मंडल द्वारा वार्ड समितियों के गठन, क्षेत्र व पदों से सम्बन्धित उपबन्ध निर्मित कर सकते हैं।

पदों का आरक्षण

पंचायतों की भांति नगरपालिका में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की प्राप्ति है।

महिलाओं के लिए भी एक-तिहाई सीटों (इसमें SC/ST की महिलाओं का आरक्षण भी शामिल) के आरक्षण की व्यवस्था है। नगरपालिकाओं के अध्यक्ष पद को आरक्षण हेतु निर्णय राज्य विधानमंडल ले सकता है।

GS World Committed To Excellence

अर्हताएँ

- संविधान के अनुच्छेद-243(फ) के अनुसार राज्यों के विधान मंडल के सदस्यों के लिए निर्धारित योग्यताएं ही नगरपालिकाओं के सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं:-
- जो व्यक्ति 21 वर्ष के हैं, वे भी सदस्यता के लिए अर्ह होंगे, परन्तु संविधान में उल्लिखित है कि विधान मंडल के निर्वाचन के लिए वे ही व्यक्ति अर्ह होंगे जो 25 वर्ष के हो चुके हैं।

कार्यकाल

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका की कार्यावधि 5 वर्ष निर्धारित की गयी है। हालांकि इसे कार्यकाल के पूर्ण होने से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है।

नोटः नगरपालिका के चुनाव से सम्बन्धित दिशा-निर्देश तथा प्रबन्धन का समस्त उत्तरदायित्व राज्य चुनाव आयोग का होता है, साथ ही नगरपालिकाओं के चुनाव संबंधी सभी मसलों पर राज्य विधान मंडल उपबन्ध बना सकता है।

शक्तियाँ एवं कार्य

नगरपालिका शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद-243 (ब) द्वारा विधान मंडलों को यह शक्ति दी गयी है कि वे नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ व अधिकार सौंप सकते हैं, जो स्वायत्त शासन की संस्थाओं के लिए आवश्यक है। नगरपालिकाओं के निम्नलिखित अधिकार एवं शक्तियाँ हैं:-

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना (जो अनुसूची 12 में शामिल हैं)

वित्त आयोग

अनुच्छेद-243(म) के तहत नगरपालिका के वित्तीय स्थिति की समीक्षा वित्त आयोग द्वारा की जाएगी। वित्त आयोग नगरपालिका की वित्तीय आवश्यकताओं हेतु निम्नलिखित सिफारिशे करता है:-

- राज्य एवं नगरपालिकाओं के बीच, राज्य सरकार द्वारा संगृहीत कुल करों, पथकर, चुंगी एवं एकत्रित शुल्कों का बंटवारा।
- नगरपालिकाओं की सहायता अनुदान
- नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय
- अन्य विषय, जो राज्यपाल तय करें।

नोटः राज्यपाल वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है। महापौर के कार्यों में सहायता के लिए उपमहापौर की नियुक्ति की गयी है। इनका चुनाव नगर परिषद् के सदस्य अपने सदस्यों के मध्य से करते हैं।

सामुदायिक विकास स्थानीय स्वशासन

- ☞ *भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लार्ड रिपन को माना जाता है।*
- ☞ *स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ।*
- ☞ *11 अक्टूबर, 1959 को आंध्रप्रदेश में तथा 1960 में असम में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी जिसके अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् के गठन का प्रावधान था।*
- ☞ *भारत में पंचायतों की स्थापना अथवा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकण की शुरूआत बलवंत राय मेहता समिति की 1957 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर की गई थी।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि खण्ड (ब्लॉक) स्तर पर गठित पंचायत समिति एक प्रशासनिक अधिकरण की तरह कार्य करती है।*
- ☞ *पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट में द्विस्तरीय ढाँचे की संस्तुति दी।*
- ☞ *अशोक मेहता समिति ने जिला स्तर पर जिला परिषद् तथा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत के गठन की सिफारिश करने के साथ ग्राम पंचायतों को एवं पंचायत समिति को समाप्त करने की वकालत की थी।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद-40 भी राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है।*
- ☞ *पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाकर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है जिससे उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके।*

GS World Committed To Excellence

- विभिन्न समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जिस पर लोकसभा ने 22 दिसम्बर तथा राज्यसभा ने 23 दिसम्बर को मंजूरी दे दी तथा 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति द्वारा पारित करने के पश्चात् 24 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हुआ।
- 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के पारित होते ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया।
- 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग-9 में अनुच्छेद-243 के अंतर्गत 16 नये अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज की स्थापना की गई।
- ध्यातव्य है कि अनुसूची-11 में कुल 29 विषय है जिन पर पंचायत विधि निर्मित कर सकती है।
- 73वें संविधान संशोधन द्वारा तीनों स्तरों पर नियमित चुनाव कराने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण एवं राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग बनाने का प्रावधान किया गया।
- ध्यातव्य है कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है एवं इसे भारतीय संविधान के भाग-9 तथा 11वीं अनुसूची में रखा गया है।
- ध्यातव्य है कि ऐसे राज्यों में जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है।
- ध्यातव्य है कि किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज व्यक्तियों के नामों को सामूहिक रूप से ग्रामसभा कहा जाता है।
- ध्यातव्य है कि अरूणाचल प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है।
- भारतीय संविधान के अनुसार, पंचायतों का कार्यकाल सभी स्तरों पर उनके प्रथम अधिवेशन से पाँच वर्ष होता है।
- भारतीय संविधान के अनुसार, पंचायत के किसी भी स्तर पर सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- ध्यातव्य है कि बिहार, केरल, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है।
- बिहार ऐसा प्रदेश है जिसके पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाने एवं सजा देने का अधिकार है।
- केन्द्रीय नियंत्रण स्थानीय स्वशासन की विशेषता नहीं है।
- मनरेगा में आयोजना बनाने, संपादन करने तथा क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होती है।
- भारत में नगर निगम संस्था सर्वप्रथम मद्रास शहर (1867) में स्थापित की गयी थी।
- स्वतंत्र भारत में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय प्रशासन का उपबंध किया गया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243(Z-D) के तहत् राज्यों में जिला स्तर पर जिला योजना समिति गठित की जाएगी जो पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा निर्मित योजनाओं को समेकित कर पूरे जिले हेतु विकास योजना बनाएगी।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243(Z-E) के अनुसार, प्रत्येक महानगर में विकास योजनाएँ बनाने के लिए महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान है।
- महानगर योजना समिति में 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के सदस्यों और पंचायत अध्यक्षों द्वारा अपने में से किए जाएंगे।

पंचायतों से सम्बन्धित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	प्रावधान
• अनुच्छेद 243	-पंचायतों की परिभाषा
• अनुच्छेद 243(क)	-ग्राम सभा
• अनुच्छेद 243(क)	-पंचायतों का संविधान
• अनुच्छेद 243(ग)	-पंचायतों का गठन
• अनुच्छेद 243(घ)	-पंचायतों में स्थानों का आरक्षण
• अनुच्छेद 243(छ)	-पंचायतों की शक्तियाँ एवं कार्य
• अनुच्छेद 243(ट)	-पंचायतों का चुनाव

GS World
Committed To Excellence

अध्याय 21

सहकारी समितियाँ

सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत भारत में स्थानीय स्तर पर बैंकिंग, कृषि विपणन आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। विशेषकर दक्षिण भारत में सहकारी सोसाइटी ने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन सहकारी सोसाइटियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत किया किंतु इनमें विद्यमान कुछ विसंगतियों ने सहकारी सोसाइटियों को उसके मूल उद्देश्य से विचलित कर दिया। यह विसंगतियाँ निम्नलिखित हैं-

- सदस्यों के हितों की रक्षा न कर पाना।
- लंबे समय तक बोर्ड सदस्यों का चुनाव न होना।
- निष्पक्ष निर्वाचन का अभाव।

उपर्युक्त विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए तथा सहकारी सोसाइटी के उद्देश्यों को व्यावहारिक धरातल पर लागू करने के लिए 2011 में 97 वाँ संविधान संशोधन लाकर सहकारी समितियों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया तथा साथ ही उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया।

इस संशोधन के द्वारा लाए गए विधेयक में शामिल प्रावधानों के अनुरूप संविधान में तीन बदलाव किए गए-

1. इसमें सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। [अनु. 19(1ग)]
2. इसे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनु. 43 'बी' के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों में जोड़ा गया।
3. संविधान मे एक नया खंड IX-बी जोड़ा गया, जिसको "सहकारी समितियाँ" नाम दिया गया। (अनु. 243 जेड-एच से 243 जेड-टी शामिल किए गए।)

97वें संविधान संशोधन द्वारा खंड IX-बी में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान

- स्वशासी कार्यकरण के सिद्धांतों पर आधारित सोसाइटी का निगमन, विनियमन और परिसमापन।
- निदेशकों की अधिकतम संख्या राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जाएगी किंतु यह 21 से अधिक नहीं होगी।
- बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से पाँच वर्ष तक होगा।
- अगर किसी सहकारी समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला सदस्य होंगे तो ऐसी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट एवं महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल करेगा।
- कोई भी बोर्ड 6 माह से ज्यादा अवधि के लिए निलंबित या विघटित नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसी सहकारी समिति के कामकाज का पर्यवेक्षण करने हेतु नियुक्त प्रशासक 6 माह के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे तथा निर्वाचित बोर्ड को प्रबंधन सौप देंगे।
- सहकारी समिति के उद्देश्य और क्रियाकलाप की पूर्ति हेतु राज्य विधानमंडल विभिन्न क्षेत्रों; यथा- बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त आदि में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों के सहयोजन का नियम बना सकती है।
- सहकारी समिति के बोर्ड का चुनाव पिछले बोर्ड की कार्यविधि के पूर्ण होने से पूर्व ही करा लिया जाएगा।
- मतदाता सूची बनाने, सहकारी समिति का चुनाव कराने का अधिकार राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किए गए एक निकाय को होगा।
- राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के अपराधों के लिए कानून बना सकता है तथा ऐसे अपराधों के लिए सजा तय कर सकता है।
- बोर्ड को कुछ परिस्थितियों में विघटित या निलंबित रखा जा सकता है, हालाँकि यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती।
  - बोर्ड के लिए निर्धारित कार्य को लगातार समय पर न पूरा करने की स्थिति में।
  - बोर्ड द्वारा सहकारी समिति या इसके सदस्यों के हित के विरूद्ध कोई काम करने पर।
  - निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया के तहत निर्वाचन कराने में असफल रहने पर।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में भी बोर्ड को तभी निलंबित या विघटित किया जा सकेगा, यदि बोर्ड में सरकारी शेयर अथवा सरकारी गारंटी दी गयी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो बोर्ड को निलंबित या विघटित नहीं किया जा सकेगा।

सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा

राज्य विधानमंडल सहकारी समिति के क्रियाकलाप और उसकी लेखाओं, खातों के परीक्षण हेतु तथा इस परीक्षण की रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए नियम बनाएगा। प्रत्येक सहकारी समिति के खातों का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर कराना होगा तथा साथ ही शीर्ष सहकारी समिति की अंकेक्षण रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में रखनी होगी।

सहकारी समितियों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
243 जेड एच	सहकारी समिति की परिभाषा
243 जेड आई	सहकारी समिति की स्थापना
243 जेड जे	बोर्ड के सदस्य, पदाधिकारियों की संख्या एवं कार्यविधि
243 जेड के	बोर्ड के सदस्यों का चुनाव
243 जेड एल	बोर्ड का विघटन, निलंबन
243 जेड एन	आम सभा की बैठक बुलाना
243 जेड एस	केन्द्र शासित राज्यों का कार्यान्वयन
243 जेड टी	मौजूदा कानूनों का बना रहना

अध्याय
22

अधिकरण

मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में कोई उपबंध नहीं था। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 से एक नया भाग XIIV-क जोड़ कर इसे 'अधिकरण' नाम दिया गया। इसमें दो अनुच्छेद हैं-अनुच्छेद 323 (क), जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है तथा अनुच्छेद 323 ख, जो कि अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। अनुच्छेद 323 (क), संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र व राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। अन्य शब्दों में, अनुच्छेद 323 (क) संसद को यह अधिकार देता है कि वह सेवा मामलों से संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र से अलग कर, प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट)

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.) अपनी प्रधान खंडपीठ दिल्ली व विभिन्न राज्यों में पूरक खंडपीठों के साथ 1985 में गठित हुआ। वर्तमान में इसकी 17 खंडपीठें हैं। इनमें से 15 मुख्य न्यायालयों की प्रधान पीठों में और दो अन्य जयपुर व लखनऊ से सचांलित हैं। ये पीठें मुख्य न्यायालयों की अन्य सीटों पर सर्किट बैठकें भी करती हैं।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती व सेवा संबंधी मामलों को देखता है। इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं, केंद्र के अधीन नागरिक पदों और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। हालाँकि सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। मूल रूप से कैट के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा सदस्य होते थे। बाद में 2006 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा उपाध्यक्ष का प्रावधान हटा दिया गया। इसलिए कैट (CAT) में कोई उपाध्यक्ष नहीं होता। साथ ही इसी संशोधन अधिनियम द्वारा इसके सदस्यों का स्तर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष किया गया। वर्तमान (2019) में, कैट में अध्यक्ष का एक पद तथा सदस्यों के 65 पद स्वीकृत हैं। वे न्यायिक व प्रशासनिक दोनों संस्थानों से लिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक (अध्यक्ष के मामले में) तथा 62 वर्ष (सदस्यों के मामले में) जो भी पहले हो, होता है।

कैट (CAT) के सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष अधिकार प्राप्त चयन समिति पाने के बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के पश्चात् की जाती है।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। ये सिद्धांत केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण के व्यवहार को लचीला बनाते हैं। अभ्यर्थी को केवल 50रु. का नाममात्र शुल्क देना होता है। वादी स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

मूल रूप से किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका केवल उच्चतम न्यायालय में ही दी जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने चंद्रकुमार मामले (1997) में निर्णय किया कि उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र पर यह प्रतिबंध असवैधानिक है और न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध, संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में भी याचिका दायर की जा सकती है। इसके फलस्वरूप अब यह संभव नहीं है कि कोई पीड़ित लोक सेवक संबंधित उच्च न्यायालय में गए बिना सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दे सके।

राज्य प्रशासनिक अधिकरण

संबंधित राज्य सरकार की विशेष मांग पर प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 केंद्र को राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। अब तक (2019) में 9 राज्यों- आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महा. राष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा केरल में राज्य प्रशासनिक अधिकरणों (सैट) की स्थापना की जा चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश में अधिकरणों को समाप्त कर दिया गया है।

किंतु जहाँ, हिमाचल प्रदेश ने (SAT) का का पुनर्गठन किया। वहीं अब तमिलनाडु ने भी ऐसे पुनर्गठन करने का अनुरोध किया है। पुनः हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ सेट (SAT) की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। दूसरी ओर ओडिशा राज्य सरकार ने ओडिशा

प्रशासनिक प्राधिकरण को भंग करने का प्रस्ताव भेजा है।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के ही समान राज्य प्रशासनिक अधिकरण भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले, राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती व सेवा मामलों को देखता है।

राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

इस अधिनियम में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का भी उपबंध है। संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण उन राज्यों के प्रशासनिक अधिकरण के समान ही अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियों का उपयोग करता है।

संयुक्त राज्य अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपालों की सिफारिश पर होती है।

अन्य मामलों के लिए अधिकरण

अनुच्छेद 323 (ख) संसद तथा राज्य विधायिका को निम्नलिखित मामलों से संबंधित मामलों में न्याय करने के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार देता है:

1. कर
2. विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात
3. औद्योगिक और श्रम
4. भूमि सुधार
5. नगर सपंत्ति की अधिकतम सीमा
6. संसद व राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन
7. खाद्य सामग्री
8. किराया और किराएदारी अधिकार

अनुच्छेद 323(क) तथा 323(ख) में तीन विभेद हैं:

1. जहाँ अनुच्छेद 323क के अंतर्गत केवल लोकसेवाओं से संबंधित मामलों के लिए अधिकरण गठित किया जाता है, अनुच्छेद 323ख में अन्य मामलों (उपरोक्त वर्णित) के लिए अधिकरण गठित किया जाता है।
2. अनुच्छेद 323क के अनुसार, केवल संसद ही अधिकरण का गठन करती है, परंतु 323(ख) के अंतर्गत संसद व राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिकरण का गठन कर सकते हैं।
3. अनुच्छेद 323क के अंतर्गत, केंद्र अथवा प्रत्येक राज्य अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए केवल एक ही अधिकरण का गठन किया जा सकता है। इसमें शासन क्रम का कोई प्रश्न नहीं है, जबकि अनुच्छेद 323(ख) के अंतर्गत अधिकरण का गठन एक पदानुक्रम में किया जाता है।

चंद्रकुमार मामले (1997) में उच्चतम न्यायालय ने इन दो अनुच्छेदों के उपरोक्त उपबंधों को, जिन्हें असंवैधानिक करार दिया गया, उन्हें उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायक्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। हालांकि अब इन अधिकरणों

कैट की पीठों की सर्किट एवं सिटिंग्स

क्रमांक	पीठ	सर्किट सीटिंग
1.	इलाहाबाद पीठ	नैनीताल
2.	कलकत्ता पीठ	पोर्ट ब्लेयर, गंगटोक
3.	चंडीगढ़	शिमला, जम्मू एवं कश्मीर
4.	मद्रास पीठ	पुडुचेरी
5.	गुवाहाटी	शिलांग, ईटानगर, कोहिमा, अगरतला, इम्फाल, आइजोल
6.	जबलपुर पीठ	इंदौर, ग्वालियर, बिलासपुर
7.	बम्बई पीठ	नागपुर, औरंगाबाद, पणजी
8.	पटना पीठ	राँची
9.	एर्णाकुलम पीठ	लक्षद्वीप

न्यायाधिकरणों से संबंधित अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
323ए	प्रशासनिक न्यायाधिकरण
323बी	अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण

GS World ...To Excellence

के आदेशों के खिलाफ न्यायिक उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के पीठ एवं उनका न्याय क्षेत्र

क्रमांक	न्यायपीठ	पीठ का न्यायिक क्षेत्र
1.	प्रधान न्यायपीठ, दिल्ली	दिल्ली
2.	इलाहाबाद पीठ	उत्तर प्रदेश (लखनऊ पीठ के अंतर्गत आने वाले जिलों को छोड़कर)
3.	लखनऊ पीठ	उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद पीठ के अंतर्गत आने वाले जिलों को छोड़कर) और उत्तराखंड
4.	कटक पीठ	ओडिशा
5.	हैदराबाद पीठ	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
6.	बैंगलोर पीठ	कर्नाटक
7.	मद्रास पीठ	तमिलनाडु व पुडुचेरी
8.	एर्णाकुलम पीठ	केरल और लक्षद्वीप
9.	बंबई पीठ	महाराष्ट्र, गोव, दादरा और नगर हवेली, दमन व दीव
10.	अहमदाबाद पीठ	गुजरात
11.	जोधपुर पीठ	राजस्थान (जोधपुर, पीठ के अंर्तगत आने वाले जिलों को छोड़कर)
12.	जयपुर पीठ	राजस्थान (जोधपुर, पीठ के अंतगत आने वाले जिलों को छोड़कर)
13.	चंडीगढ़ पीठ	हरियाणा, हिचाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख
14.	जबलपुर पीठ	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
15.	पटना पीठ	बिहार और झारखंड
16.	कलकत्ता पीठ	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
17.	गुवाहाटी पीठ	असम, मेघालय, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और त्रिपुरा

Committed To

अध्याय

23

अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र

संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत् कुछ ऐसे क्षेत्रों में, जिन्हें 'अनुसूचित क्षेत्र' और 'जनजातीय क्षेत्र' नामित किया गया है, प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान की पांचवीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई। (असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम-राज्यों को छोड़कर)। दूसरी तरफ, संविधान की छठी अनुसूची में चार उत्तर-पूर्वी राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन

दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप में व्यवहार किया जाता है क्योंकि वहाँ वे आदिम निवासी रहते हैं। वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। अत: राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों लागू नहीं होती और केंद्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है।

पांचवीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. **अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा:** राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने का अधिकार है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर ऐसे क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए नया आदेश दे सकते हैं।
2. **केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति:** राज्य की कार्यकारी शक्ति, उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है या जब राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहें। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना, केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है।
3. **जनजातीय सलाहकारी परिषद्:** ऐसे राज्य, जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है। इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, जिनमें तीन-चौथाई सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। इस तरह की परिषद् वैसे राज्यों में भी गठित की जा सकती है, जहाँ अनुसूचित जनजातियों तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ऐसा राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता है।
4. **अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि:-** राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न करें या कुछ परिवर्तन व अपवादस्वरूप उसे लागू करे। राज्यपाल, अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए जनजाति सलाहकार परिषद से विचार-विमर्श का नियमन बना सकता है। ऐसे नियमन के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के बीच भूमि के हस्तांतरण को निषेध या सीमित किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि आवंटन को नियंत्रित किया जा सकता है और अनुसूचित जनजातियों के ही संदर्भ में सलाहाकारों के व्यवसाय को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा, इस नियमन से संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम, जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हैं, को समाप्त या संशोधित किया जा सकता है, परंतु इस तरह की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।

संविधान अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग गठित करे। वह इस तरह के आयोग का गठन भी कर सकता है, बशर्ते कि संविधान की शुरुआत को कम-से-कम दस वर्ष हो गए हों। इस प्रकार, आयोग का गठन 1960 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता यू.एन. धेबर ने की और 1961 में अपनी रिपोर्ट पेश की। करीब चार दशक बाद दूसरे आयोग का गठन 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में किया गया। इसने 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए संविधान की छठी अनुसूची में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इन चारों राज्यों में विशेष व्यवस्था के निम्न कारण हैं:-

''असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम की जनजातियां, इन राज्यों के अन्य लोगों की जीवनचर्चा में घुल-मिल नहीं पायी

GS World Committed To Excellence

हैं। ये क्षेत्र, मानव विज्ञानी नमूने के तौर पर हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों ने अपनी विज्ञानी नमूने के तौर पर हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों ने अपने बीच के बहुसंख्यकों की संस्कृति को कम या अधिक स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ असम, मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के लोग अपनी-अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है और स्वशासन इन क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है। इसलिए गया है और स्वशासन के लिए इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है।

संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं है:-

1. असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, लेकिन वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं हैं।
2. राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने के अधिकार हैं, अतः राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है या सीमाएं निर्धारित कर सकता है।
3. अगर स्वाशासी जिलों में विभिन्न जनजातियां हैं, तो राज्यपाल, जिले के विभिन्न स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं।
4. प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी, जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें राज्यपाल द्वारा चार सदस्य नामित किए जाएंगे और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित सद. स्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है (बशर्ते कि परिषद् को पहले विघटित न कर दिया जाए) और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत तक पद धारण करेगा। प्रत्येक स्वशासी क्षेत्रों में अलग प्रादेशिक परिषद् भी होती है।
5. जिला व प्रादेशिक परिषद् को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है। वे भूमि, वन, नहर या जलसरणी, परिवर्ती-विच्छेद (तलाक), सामाजिक रूढ़ियां आदि विषयों पर विधि बना सकते हैं लेकिन सभी विधियों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता है।
6. जिला व प्रादेशिक परिषद् अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी मामलों के निपटारे के लिए ग्राम परिषद् या न्यायालयों का गठन कर सकती है। वे अपीलें सुन सकते हैं। इन मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।
7. जिला परिषद्, अपने जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालय, बाज़ारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्रों, सड़कों आदि को स्थापित कर सकती है या निर्माण कर सकती है। जिला परिषद् साहूकारों पर नियंत्रण और गैर-जनजातीय समुदायों के व्यापार पर विनियमन बना सकती है लेकिन ऐसे विनिमय के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है।
8. जिला व प्रादेशिक परिषद् को भू-राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है। वह कुछ विनिर्दिष्ट कर भी लगा सकता है।
9. संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में लागू नहीं होता और अगर होता भी है तो अपवादों या कुछ फेरबदल के साथ लागू होता है।
10. राज्यपाल, स्वशासी जिलों या परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित कर सकता है। राज्यपाल, आयोग की सिफारिश पर जिला या प्रादेशिक परिषदों को विघटित कर सकता है।

जनजातीय क्षेत्र (2019)

राज्य	जनजातीय क्षेत्र
असम	1. उत्तरी कछार पहाड़ी जिला
	2. कार्बी आंगलांग जिला
	3. बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला
मेघालय	1. खासी पहाड़ी जिला
	2. जयंतिया पहाड़ी जिला
	3. गारो पहाड़ी जिला
त्रिपुरा	1. त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला
मिजोरम	1. चकमा जिला
	2. मारा जिला
	3. लाई जिला

GS World Committed To Excellence

अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
244	अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
244ए	असम के कुछ जनजातीय इलाकों को मिलाकर एक स्वायत राज्य का निर्माण तथा स्थानीय विधायिका अथवा मंत्रिपरिषद् अथवा दोनों का सृजन।
339	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

संविधान की पांचवीं की छठी अनुसूची से संबंधित संसदीय कानून

क्रमांक	अधिनियम	प्रावधान
1.	लुशाई पर्वतीय जिला (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1954	लुशाई पर्वतीय जिले का नाम परिवर्तित कर मिजो किया गया। लुशाई पर्वतीय जिला असम के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित छह स्वशासी जिलों में से एक था, ये जिले की छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
2.	संघीय क्षेत्र सरकार (संशोधन) अधि. नियम, 1971	संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करके स्वशासी जिलों और मिजोरम संघीय क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए।
3.	निरसन एवं संशोधन अधिनियम, 1974 (Repealing and Amendment Act, 1974)	कतिपय अधिनियमों को निरसित तथा कुछ को संशो. धित किया गया। इसने 'Cattle pounds' शब्दों को परिवर्तित एंव प्रतिस्थापित कर 'Cattle ponds' किया-संविधान की छठी अनुसूची में।
4.	संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1976	भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की: (i) किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल राज्य के राज्यपाल से विमर्श कर बढ़ा सकते हैं, तथा (ii) किसी राज्य में किसी क्षेत्र विशेष को अनुसूचित क्षेत्र नामित करने सं. बंधी आदेश को रद्द कर सकते हैं, अथवा, राज्यपाल से विमर्श कर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में पुनर्परिभाषित कर सकते हैं।

5.	संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988	संविधान की छठी अनुसूची में त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों में इसकी प्रयोज्यता से संबंधित कतिपय संशोधन शामिल किए। ये संशोधन प्रावधान करते हैं कि: (i) राज्यपाल अपने कतिपय कर्तव्यों के निर्वहन् में स्वविवेक से कार्य करेंगे, (ii) रॉयल्टी में जिल परिषदों (District councils) की भागीदारी/भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी।
6.	संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995	संविधान की छठी अनुसूची को असम राज्य में लागू करने के लिए इसमें कतिपय संशोधन किया गया। इन संशोधनों में प्रावधान किया गया कि: (i) उत्तरी कछार पर्वतीय जिला के लिए गठित जिला परिषद् को उत्तरी कछार पर्वतीय स्वशासी परिषद् कहा जाएगा, तथा कार्बी-एंगलांग जिला के गठित जिला परिषद् को कार्बी-एंगलांग स्वशासी परिषद् कहा जाएगा। (ii) उत्तरी कछार पर्वतीय स्वशासी परिषद् तथा का. र्बी-एंगलांग स्वशासी श. क्तयाँ परिषद् को कानून बनाने के लिए अतिरिक्त शक्तियां होंगी। (iii) राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग में उत्तरी कछार पर्वतीय स्वशासी परिषद् तथा कार्बी-एंगलांग स्वशासी परिषद्, जैसी स्थिति हो, से चर्चा-. विमर्श करना अनिवार्य होगा।

7.	संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003	संविधान की छठी अनुसूची को असम राज्य में लागू करने के लिए, इसमें कतिपय संशोधन शामिल किए गए। ऐसा असम के बोडो समुदाय के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन को लागू करने के लिए किया गया। इस समझौते पर केंद्र सरकार, असम सरकार तथा बोडो लिबरेशन टाइगर्स (BLT) ने 10.02.2003 को इस उम्मीद के साथ हस्ताक्षर किए कि इस समस्या का स्थायी हल निकल आएगा। इस संदर्भ में अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान बनाए गए: (i) असम राज्य के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला को विनिर्दिष्ट किया गया। (ii) असम राज्य के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् (Bodoland Terriotri council) नामक एक स्वशासित निकाय बनाया गया। (iii) इस परिषद् (BTC) को विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां कुछ चुनिंदा विषयों पर प्रदान की गईं, तथा; (iv) परिषद् (BTC) के क्षेत्र के अंतर्गत गैर-जनजातीय लोगों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए।

अध्याय
24

संवैधानिक संस्थाएँ

निर्वाचन आयोग

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव आयोग की महती भूमिका होती है। भारत में चुनाव आयोग का गठन **स्वच्छ, निष्पक्ष** एवं **उन्मुक्त** चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए एक **स्वायत्त एवं सुदृढ संस्था** के रूप में की गयी है। संविधान के **अनुच्छेद-324** के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए, संचालन एवं नियंत्रण का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग में निहित है।

निर्वाचन आयोग की संरचना/स्वरूप

- निर्वाचन आयोग वर्तमान में एक बहुसदस्यीय (1950 से 1989 तक एक सदस्यी) संस्था है।
- निर्वाचन आयोग 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा तीन अन्य आयुक्तों से मिलकर बना है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित विधि के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद ग्रहण की तारीख से छः वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है।
- जबकि उच्च निर्वाचन आयुक्त छः वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं।
- कार्यकाल के पूर्ण होने से पूर्व वे राष्ट्रपति को सम्बोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकते हैं।
- निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जा सकता है, जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य आयुक्तों का वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित है।

नोट:

- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 के द्वारा राष्ट्रपति ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
- जनप्रतिनिधि अधिनियम-1950 मतदाताओं की योग्यता मतदाता सूचियों की तैयारी चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण संसद में तथा विधानसभा में सीटों के बँटवारे से संबंधित है।

शक्तियाँ, कार्य एवं स्वतंत्रता

- संसदीय चुनावों, विधान सभा चुनावों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावों के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियाँ तथा कार्य तीन श्रेणी में विभक्त किए गए हैं- प्रथम-प्रशासनिक, द्वितीय-सलाहकारी तथा तृतीय-अर्द्ध-न्यायिक, इन शक्तियों एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार हैः-
- **परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952** के आधार पर देश भर में चुनावी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण।
- समय-समय पर निर्वाचक-नामावली तैयार करना और उनमें आवधिक संशोधन कर वैधानिक मतदाताओं को शामिल करना।
- चुनाव की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना तथा नामांकन पत्रों की जांच करना।
- चुनावी व्यवस्था से सम्बन्धित विवादों की जांच के लिए आचार संहिता निर्मित करना।
- राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने संबंधी विवादों के निपटान के लिए न्यायालय की तरह कार्य करना।
- चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना।
- संसद के सदस्यों की अयोग्यता से सम्बन्धित विवादों पर राष्ट्रपति को सलाह देना एवं राज्य विधान सभा के सदस्यों की अयोग्यता से सम्बन्धित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना।
- चुनाव के समय राजनीतिक दलों की नीतियों को रेडियो और टेलीवीजन पर प्रसारित करने का कार्यक्रम तैयार करना।
- मतदान केन्द्रों पर गड़बड़ी (कब्जा, हिंसा आदि) की स्थिति में चुनाव रद्द करना।
- सम्पूर्ण देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र (System) का पर्यवेक्षण करना।
- चुनाव कराने के लिए स्टॉफ की आवश्यकता के सन्दर्भ में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल से अनुरोध करना।
- राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में एक वर्ष पूर्व होने के पश्चात् राष्ट्रपति को सम्बन्धित राज्य में चुनाव कराये जाने की

GS World Committed To Excellence

सलाह देना।

- राजनीतिक दलों को उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय दल की मान्यता प्रदान करना।
- अनुच्छेद-324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्न प्रावधान है-
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल निश्चित किया गया है किन्तु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्ही आधारों पर ही हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात मुख्य चुनाव आयोग को राष्ट्रपति द्वारा तब ही हटाया जा सकता है, जब संसद के दोनों सदन उसके दुर्व्यवहार व अक्षमता के आधार पर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें।
- मुख्य चुनाव आयुक्त का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त नहीं है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा-शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई कटौती नहीं की जा सकती है।
- किसी भी चुनाव आयुक्त अथवा क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से हटाया नहीं जा सकता है।

नोट: संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है।

चुनाव से सम्बन्धित अन्य मुद्दे

1. **जमानत राशि:**- चुनावी व्यवस्था में गंभीर प्रत्याशी ही निर्वाचन में भाग ले इसके लिए उम्मीदवारों द्वारा जमानत राशि जमा करायी जाती है। वर्तमान में यह राशि सामान्य वर्ग के लिए 10000 तथा SC/ST के 5000 रु. निश्चित की गयी है।
2. **उपचुनावों की सीमा:**- संसद या राज्य विधान सभा में स्थान रिक्त होने पर छ:माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। परन्तु यदि सम्बन्धित सीट का कार्यकाल एक वर्ष से कम रह गया है तो उपचुनाव नहीं कराया जा सकेगा।
3. **निर्वाचन खर्च की सीमा:**-वर्तमान में लोकसभा के लिए खर्च सीमा 70 लाख तथा विधान सभा के लिए 40 लाख है।
4. **EVM का प्रयोग:**- भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इतने बड़े देश में वैलेट पेपर से चुनाव कराना काफी दुस्कर कार्य है। अत: सरल व निष्पक्ष चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सहारा लिया जाने लगा है। EVM का सबसे पहले गोवा विधान सभा चुनाव (1999) में प्रयोग किया गया था।
5. **वी.वी.पैट (बी.वी.पी.ए.टी):**- वोटर वेरिफाइड पेपर आडिट ट्रेल-का विस्तृत उपयोग गुजरात विधान सभा में जनवरी, 2018 में किया गया।

नोट: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा मतदाताओं को प्रदान किया है। प्रत्येक EVM में नोटा नामक बटन ऐसे मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है जो किसी भी प्रत्याशी को वोट करना नहीं चाहते हैं।

वित्त आयोग (Finance Commission)

भारतीय परिसंघीय प्रणाली में वित्त आयोग की महती भूमिका है। इसके कार्यों व उत्तरदायित्वों पर प्रकाश डाले तो ज्ञात होता है कि वित्त आयोग सहकारी संघवाद की अवधारणा को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का सशक्त माध्यम है।

भारत के संविधान में अनुच्छेद-280 के अंतर्गत एक अर्द्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गयी है।

संरचना:

वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये सदस्य अपने पद पर राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारित समय तक बने रह सकते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है।

अनुच्छेद-280 के अन्तर्गत वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन की रीति का निर्धारण करने की शक्ति संसद में निहित है। संसद ने वित्त आयोग अधिनियम, 1951 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया है।

- वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति ही हो सकता है जिसे सार्वजनिक कार्यों एवं गतिविधियों का अनुभव हो। जबकि चार अन्य सदस्य निम्नलिखित में से चुने जाएंगे।
- ऐसा एक सदस्य जिसे सरकार की वित्तीय और लेखा प्रणाली का अच्छा ज्ञान हो।
- चार सदस्यों में से एक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो।
- ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार की वित्तीय और प्रशासनिक विषयों का व्यापक अनुभव हो।
- ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो।

वित्त आयोग के कार्य:

संविधान के अनुच्छेद-280 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें करता है:-

- भारत की संचित निधि से राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाली प्रविधि।
- करों से हुई कुल प्राप्तियों का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण तथा इन प्राप्तियों के हिस्से का राज्यों के मध्य आवंटन।
- राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायतों, नगरपालिकाओं के संसाधनों की संपूर्ति के लिए राज्य की संचित

GS World Committed To Excellence

निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों से सम्बन्धित सिफारिशें। इस कार्य को संविधान के 73वें एवं 74वें (संशोधन) अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया था।

- आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता हैं। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.सी.नियोगी थे। नवम्बर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में एन.के.सिंह को नियुक्त किया गया है।

नोट: वित्त आयोग एक सलाहकारी निकाय है अर्थात वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है।

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

भारतीय संविधान में तीन सांविधानिक प्राधिकारियों का उपबन्ध किया गया है, जिन्हे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (148), महान्यायवादी (अनु-76) और राज्य का महाधिवक्ता (अनु.165) के नाम से जाना जाता है।

अनुच्छेद-148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग का प्रमुख होता है। वह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ-साथ देश की सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था का संरक्षक होता है। महालेखा परीक्षक केन्द्र व राज्य दोनों की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार उसका पद अखिल भारतीय महत्व का है। अतः भारतीय संविधान और संसद के विधि के अवरूप वित्तीय प्रशासन को संभालना उसका सर्वप्रथम उत्तरदायित्व है।

- यही कारण है कि डॉ.बी.आर.अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत अति महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। वह भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तम्भों सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग में शामिल है।

नियुक्ति एवं कार्यकाल:

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह अपने कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ ग्रहण करता है।

- वह अपने पद पर 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक जो भी पहले हो, बना रह सकता है।
- वह अपने कार्यकाल के पूर्ण होने से पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप कर पदमुक्त हो सकता है।
- राष्ट्रपति द्वारा उसे उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हाटाया जाता है, अर्थात महालेखा परीक्षक को तभी हटाया जा सकता है, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके दुर्व्यवहार या उसकी अक्षमता सिद्ध होने पर, विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-148 में निम्नलिखित उपबन्ध किए गए हैं-

- महालेखा परीक्षक का कार्यकाल निश्चित हैं। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में निहित प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है।
- अर्थात महालेखा परीक्षक का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने कार्यकाल के समाप्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकारों के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा।
- उसके वेतन और सेवा-शर्तो का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।
- उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके वेतन, पेंशन, अवकाश आदि अधिकारों में ऐसी कोई कटौती या परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिससे की उसे हानि होती हो।
- महालेखा परीक्षक का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है।
- भारतीय लेखा और महालेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों की सेवा-शर्तो और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सलाह से किया जाएगा।
- कोई भी मंत्री लोक सभा या राज्य सभा में महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। साथ ही कोई मंत्री स्वयं उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है।

कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ

संविधान के अनुच्छेद-149 के अंतर्गत संसद को केंद्र के, राज्यों के और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय लेखों के सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया गया हैं।

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ तथा कृत्य नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तो) अधिनियम-1971 में अधिकार्यत है। जो कि इस प्रकार है-

- संघ व राज्यों के लेखाओं का परीक्षण करना।
- भारत की संचित निधि और लोकनिधि तथा प्रत्येक राज्य के आकस्मिक निधि तथा लोक निधि से हुए सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है।
- संघ या किसी राज्य द्वारा पर्याप्त वित्तपोषित प्रत्येक निकाय या प्राधिकारी की लेखा परीक्षा करेगा।
- वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के कहने पर सम्बन्धित प्राधिकरण के लेखा की भी लेखा परीक्षा करता है- जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा आदि।
- महालेखा परीक्षक निम्नांकित प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परीक्षण
- वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण, जिन्हे केन्द्र या राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त होता हो।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
- जब सम्बद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो, अन्य निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण
- महालेखा परीक्षक केन्द्र सरकार लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखता है।
- राज्यों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा की रिपोर्ट वह राज्यपाल को सौंपता है जो कि उसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखता है।
- वह किसी भी प्रकार के कर या शुल्क से हुई निवल प्राप्ति सुनिश्चित और उसे प्रमाणित करता है।
- वह संसदीय सार्वजनिक (लोक) लेखा समिति के लिए संरक्षक मित्र और दार्शानिक के रूप में कार्य करता है।
- वह राज्य सरकार के लेखा का संकलन और रखरखाव करता है।
- वर्ष 1976 में लेखा को लेखा परीक्षा से अलग कर दिए जाने अर्थात और रख रखाव के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया था।

महालेखा परीक्षक की भूमिका:

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत सरकार की प्राप्तियों, भंडारों और स्टॉक की लेखापरीक्षा की तुलना में व्यय का लेखापरीक्षा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से लोक तथ्यों का लेखा परीक्षण करता है।

- महालेखा परीक्षक को ''यह सुनिश्चित करना होता है कि लेखों में दर्शाई गई संवितरित राशि क्या विधि सम्मत थी तथा क्या वह उस सेवा या प्रयोजन के लिए मान्य थी जिसके लिए उसकी मांग की गयी थी और क्या व्यय उस प्राधिकार के अनुरूप था जिसका उस व्यय राशि पर नियंत्रण है।''
- वह सरकार की व्यय की विश्वसनीयता उसमे समझदारी तथा मितव्ययता पर भी ध्यान दे सकता है।
- कैग आसूचना इकाइयों (गुप्त चर संस्थाओं) द्वारा किए गए व्यय का लेखा परीक्षा नहीं कर सकता। परन्तु सक्षम प्रशास. निक प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र को स्वीकार करना होगा कि व्यय इस प्राधिकार के अंतर्गत किया गया है।
- ध्यातव्य है कि कैग का भारत की संचित निधि पर कोई नियंत्रण नहीं है और कई विभाग कैग के प्राधिकार के बिना चैक जारी कर धनराशि की निकाशी कर सकते हैं। अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका व्यय होने के पश्चात् केवल लेखा परीक्षा करने की है।

संघ लोक सेवा अयोग

संघ लोक सेवा आयोग का एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के तहत भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं के संचालन हेतु किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में विस्तृत विवरण संविधान के भाग-14 में अनुच्छेद-315 से 323 उल्लिखित है।

संरचना:

अनुच्छेद-316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को प्राधिकृत किया गया है कि वह सदस्यों की संख्या का निर्धारण करे।

- आयोग के सदस्य पद धारण की तिथि से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो तक अपना पद धारण करता है।
- वे कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राष्ट्रपति को सम्बोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं।
- उन्हे कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को पद से हटाने के निम्नलिखित उपबन्ध हैं:-

  1. यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या

2. यदि राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है।

3. अपनी पदावधि के दौरान किसी अन्य लाभकारी गतिविधियों में संलिप्त हो।

नोटः राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है, परन्तु ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच कराना आवश्यक है। स्मरणीय है कि ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है।

संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता

- आयोग के सदस्यों को संविधान में वर्णित प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार उन्हें कार्यकाल सम्बन्धी सुरक्षा प्राप्त है।
- आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों के वेतन व पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर भारित हैं।
- आयोग का अध्यक्ष अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार की सवैतनिक सेवा का पात्र नहीं होगा।
- हालांकि, संघ लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्य (अध्यक्ष के अतिरिक्त) उस आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं।
- संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यः

संवैधानिक उपबन्धों के अंतर्गत आयोग के निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए हैं-

- संघ एवं राज्यों (केंद्रशासित प्रदेशों सहित) के लिए प्रशासनिक या लोक सेवकों की नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना।
- यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो राज्य या दो से अधिक राज्य किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष योग्यताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हो, अनुरोध करें, तब संयुक्त भर्ती के लिए योजना बनाना एवं उन्हें लागू करने में राज्यों की सहायता करना।
- आयोग किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है।

आयोग निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता हैः

1. सिविल सेवाओं और सिविल पदों की भर्ती पद्धतियों से सम्बन्धित सभी विषयों पर।
2. सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सिविल सेवा से दूसरी सेवा में स्थानान्तरण या पदोन्नति के सम्बन्ध में परामर्श।
3. भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लोक सेवक की हैसियत से कार्यरत व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले अनुशासनात्मक विषयों पर तथा इनसे सम्बन्धित आवेदन या याचिकाओं पर।
4. संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वे प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
    - संघ लोक सेवा आयोग एक परामर्शदात्री निकाय भी है। हालांकि आयोग की सलाह मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

राज्य लोक सेवा आयोग

संविधान के 14वें भाग में ही राज्य लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख अनुच्छेद-315 से 323 में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के समान इसमें भी एक अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

संरचना या गठनः

संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के सम्बन्ध में विस्तृत उपबन्ध किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालांकि संविधान में इनकी संख्या का विनिश्चय नहीं किया गया है। इस सम्बंध में राज्यपाल को स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त हैं।

- संविधान में आयोग के सदस्यों की योग्यता के सन्दर्भ में उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु यह अवश्य कहा गया है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो।
- संविधान के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है।
- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, होता है।
- हालांकि वे अपने कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पूर्व राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं।

GS World Committed To Excellence

- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल द्वारा की जाती है, किन्तु उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है, ऐसा राष्ट्रपति तभी कर सकता है। जब निम्नलिखित परिस्थितियां विद्यमान हों:-

  1. अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, अथवा
  2. अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य सवैतनिक कार्य में संलिप्त हो या
  3. राष्ट्रपति के संज्ञान में वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर रहने योग्य न हो।

राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को सिद्ध कदाचार के आधार पर भी पद से हटा सकता है। किन्तु ऐसे मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत ही कोई निर्णय लेता है। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति इस सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श (सलाह) को मानने के लिए बाध्य है।

स्वतंत्रता

संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपबन्ध किए गए हैं:-

- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है अर्थात् उन्हें कार्यकाल सम्बन्धी सुरक्षा प्राप्त है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा-शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। नियुक्ति के पश्चात् उसके ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो उनके लिए अलाभकारी हो।
- इनके वेतन व पेंशन आदि राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
- राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष केवल संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, परन्तु वह अन्य किसी सवैतनिक पद को नहीं ग्रहण कर सकता है।

कार्य

राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है।

- अनुच्छेद-312 में आयोग के कृत्यों का विस्तृत वर्णन निहित है।
- आयोग लोक सेवाओं और लोक पदों के लिए भर्ती की प्रक्रियाओं से सम्बन्धित सभी विषयों पर परामर्श देता है।
- आयोग लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा सेवा प्रोन्नति या अंतरण करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के सम्बन्ध में परामर्श देता है।
- लोक सेवाओं और पदों पर स्थानांतरण करने में प्रोन्नति या एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सलाह देता है।
- किसी राज्य सरकार के अधीन सिविल हैसियत में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णित किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर परामर्श किया जाएगा और इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर जिसे यथास्थिति राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल उसे निर्देशित करे, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्त्तव्य होगा।

नोट: राज्य विधानमंडल अधिनियम के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है।

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन सम्बन्धित राज्य की विधायिका के आग्रह पर संघ की विधायिका द्वारा किया जाता है। इस प्रकार संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था न होकर एक सांविधिक संस्था है।

- संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- स्मरणीय संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है।

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for SCs) एक संवैधानिक तथा स्वायत्त संस्था है। भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद-338 के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जो कि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सरकारी सेवा का संरक्षण एवं अत्याचार निवारण के कार्यों की जांच करता था। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। इसका पद 1951 से 1992 तक अस्तित्व में रहा।

1978 में केंद्र सरकार ने एक संकल्प के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक गैर-सांविधिक

GS World Committed To Excellence

बहुसदस्यी य आयोग का गठन किया।

1990 में 65वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग बनाया गया जो 20 फरवरी, 2004 से प्रभावी हुआ। दोनों के अधिकार कर्त्तव्य एक ही जैसे हैं जो संविधान के अनुच्छेद-338 एवं अनुच्छेद-338(क) में वर्णित हैं।

- पांच सदस्यीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य होते हैं।
- इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उसके मुहर लगे आदेश के जरिए की जाती है।
- अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है:-
- अनुसूचित जातियों के अधिकारों का अतिक्रमण होने पर सम्बन्धित मामले की जांच तथा सुनवाई करना।
- संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को प्राप्त संरक्षण से सम्बन्धित विषयों का निरीक्षण एवं अधीक्षण के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना।
- अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास एवं संबधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना एवं उचित परामर्श देना तथा केंद्र शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों में उनके विकास से सम्बन्धित कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना।
- आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जातियों के संरक्षण के संदर्भ में उठाए गए कदमों एवं किए गए कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यकता हो रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- इन संरक्षणात्मक उपबन्धों के संदर्भ में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक सिफारिशों तथा इनके उत्थान एवं विकास के लिए प्रयास करना।
- राष्ट्रपति आयोग को अनुसूचित जातियों के संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी अन्य कार्य के लिए आदेश दे सकता है।

आयोग की शक्तियाँ

अनुच्छेद-338 के तहत आयोग को अपने कार्यों के संपादन के लिए अनेक शक्तियाँ प्राप्त है। जब आयोग किसी मामले की जांच कर रहा होता है तो इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, जिसके तहत निम्नलिखित मामलों में याचिका दायर की जा सकती है:-

1. भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन जारी करना और हाजिर होने का आदेश देना
2. किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना
3. शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना
5. गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी करना
6. ऐसा कोई विधि सम्मत विषय जो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित हो

नोट: अधिसूचित जनजाति आयोग पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल-भारतीय समुदाय संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में भी जांच करेगा और इसके संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद-338 में संशोधन करके और संविधान में 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक नया अनुच्छेद-338 (क) अंत:स्थापित करके किया गया था।

- वर्ष 2004 में यह आयोग अस्तित्व में आया। इस आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आदेश से की जाती है।
- इनकी सेवा शर्तों एवं कार्यकाल आदि का निर्धारण राष्ट्रपति ही करता है।
- आयोग के कार्यों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया है।
- आयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या किसी अन्य विधि अथवा सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे।
- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति की समीक्षा करें।
- अनुसूचित जनजातियों के हितों और उनके संरक्षण के उपायों से वंचित करने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की

GS World Committed To Excellence

जांच करे,

- आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के सम्बन्ध में उठाए गये कार्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- इनके संरक्षण कल्याण और विकास तथा उन्नयन के सन्दर्भ में ऐसे कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, अथवा संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
- वर्ष 2005 में राष्ट्रपति के अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास और उन्नति के लिए आयोग के कार्यों को विस्तारित किया है:-
- वन क्षेत्रों में रह रही अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय करेगा।
- विधि के अनुरूप जनजातीय समुदायों के खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकार को संरक्षण प्रदान करे।
- जनजातियों के विकास तथा उनके लिए अधिक वहनीय आजीविका रणनीतियों पर काम करने संबन्धी उपाय करना।
- जनजातीय समुदाय का भूमि से विलगाव रोकने के उपाय तथा उन लोगों का प्रभावी पुनर्वासन करना।
- पेसा अधिनियम (पंचायत एक्टेन्शन टू सेड्यूल एरियाज) 1996 का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय करना आदि।

भाषायी अल्पसंख्यक वर्गो के लिए विशेष अधिकारी

भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में उपबन्ध राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-55) की सिफारिशों के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम-1956 के तहत संविधान के भाग-XVII में अनुच्छेद-350 ख जोड़ कर किया गया।

- अनुच्छेद-350 (ख) के तहत निम्नलिखित उपबन्ध किए गए हैं:-
- राष्ट्रपति भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा।
- इस विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गो के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से संबन्धित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा।
- वह राष्ट्रपति को निर्दिष्ट ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट सौंपेगा, जिनमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है।
- राष्ट्रपति द्वारा ऐसे सभी प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाया जाएगा तथा संबन्धित राज्य सरकारों को प्रेषित किया जाएगा।
- भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आयुक्त का प्रधान कार्यालय प्रयागराज में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, बेलगांम (कर्नाटक) और चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थित हैं।
- भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी को आयुक्त (कमिश्नर) पदनाम दिया गया है। जिसकी सहायता के लिए एक उपायुक्त एवं एक सहायक आयुक्त का प्रावधान है।

आयुक्त के कार्य एवं उद्देश्य:

भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करना।

- सुरक्षाओं के कार्यान्वयन को प्रश्नावलियों, दौरों, सम्मेलनों संगोष्ठियों, बैठकों तथा समीक्षा प्रक्रिया आदि के माध्यम से निगरानी करना।
- समावेशी विकास तथा राष्ट्रीय अखंडता के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना।
- भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच उनको उपलब्ध सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।
- उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण करना आदि।

भारत के महान्यायवादी

संघीय सरकार की विधि सम्बन्धी विषयों पर परामर्श देने तथा राष्ट्रपति द्वारा नियोजित कर्त्तव्यों की पूर्ति के लिए संविधान में महान्यायवादी की व्यवस्था की गयी है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है।

- महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादन पर्यन्त पद धारण करता है।
- उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है।
- महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। उसे संसद के दोनों सदनों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार होता है, परन्तु वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है।
- स्मरणीय है कि संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल तथा पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है।

महान्यायवादी के कर्त्तव्य

GS World Committed To Excellence

भारत सरकार के विधि अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के कर्त्तव्य इस प्रकार है:-

- भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो।
- कानूनी प्रकृति के ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों।
- महान्यायवादी उन कर्त्तव्यों का भी पालन (निर्वहन) करता है जो कि उसे संविधान द्वारा अथवा समय-समय पर प्रवृत्त (बनाई गई) किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए हों।

राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपते हैं-

1. भारत सरकार से सम्बन्धित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखे।
2. अनुच्छेद-143 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करे।
3. सरकार से सम्बन्धित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार।

- संविधान ने उसके कर्त्तव्यों के तहत किसी भी तरह के संघर्ष को टालने के लिए उसकी सीमाएं भी निर्धारित की हैं:-
- बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है।
- वह भारत सरकार के विरूद्ध कोई सलाह अथवा विश्लेषण नहीं कर सकता है।
- वह सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता।

स्मरणीय है कि महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकाल वकील नहीं है। वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में भी नहीं आता अर्थात उसके निजी विधिक क्रियाकलापों को प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है।

राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General of the State)

संविधान में संघीय सरकार की भांति राज्यों के लिए एक विधि अधिकारी का प्रावधान है। यह विधि अधिकारी महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

किसी राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता का होना आवश्यक है, अर्थात उसे 10 वर्षों तक न्यायिक अधिकारी रहने का अथवा 10 वर्षों तक वकालत (उच्च न्यायालय में) करने का अनुभव हो।

- उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है।
- वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है, अर्थात राज्यपाल उसे कभी भी पद से हटा सकता है।

कार्य एवं शक्तियाँ

राज्य महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है, जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों।

- वह संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का अनुपालन करता है।
- विधिक (कानूनी) प्रकृति के ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो।

नोट: महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है तथा अपने विचार रख सकता है। किंतु वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

आयोग की स्थापना

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की स्थापना 1993 में की गई थी।

बाद में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्देश्य के लिए, संशोधन के अंतर्गत एक नये अनुच्छेद 338-बी का प्रावधान संविधान में किया गया। इस प्रकार आयोग एक वैधानिक निकाय मात्र न रहकर संवैधानिक निकाय बना दिया गया।

नये आयोग का वही दर्जा बन गया जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति (NCSC) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) को प्राप्त था।

आयोग का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा तीन सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर एवं मुहर के माध्यम से होती है। उनकी सेवा शर्तें एवं सेवा अवधि का निर्धारण भी राष्ट्रपति करते हैं।

आयोग के कार्य

आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं:

- सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के अनुसंधान एवं अनुश्रवण तथा उनके कार्य संचालन का मूल्यांकन;
- सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की वंचना तथा सुरक्षा से संबंधित शिकायतों की जाँच और

GS World Committed To Excellence

अनुसंधान करना;

- केंद्र अथवा किसी राज्य में सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदारी तथा इसके लिए सलाह देना, साथ ही उनके विकास संबंधी प्रगति का मूल्यांकन करना;
- इन सुरक्षा उपायों पर प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष, अथवा जब भी वह उचित समझे, सौंपना;
- सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण, तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में केंद्र अथवा राज्य को अनुशंसाएं देना;
- सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास एवं उन्नति के लिए अन्य कार्य संपादित करना जिनके लिए राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें।

आयोग का प्रतिवेदन

आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को समर्पित करता है। इसके अतिरिक्त भी वह आवश्यक होने पर अपना प्रतिवेदन उन्हें समर्पित कर सकता है।

राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इसके साथ ही आयोग द्वारा अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही का विवरण भी एक ज्ञापन में सलंग्न होता है। ज्ञापन में जिन अनुशंसाओं पर कार्यवाही नहीं की जा सकती, उसके बारे में कारण भी स्पष्ट किया जाता है।

राष्ट्रपति आयोग द्वारा प्रेषित किसी राज्य से संबंधित प्रतिवेदन को संबंधित राज्य को अग्रसारित करते हैं। इस प्राप्त प्रतिवेदन को राज्य सरकार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिसके साथ आयोग की अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक ज्ञापन भी सलंग्न होता है। जिन अनुशंसाओं को लागू नहीं किया जा सकता, उनके कारणों की व्याख्या भी ज्ञापन में होती है।

आयोग की शक्तियाँ

आयोग को अपनी प्रक्रियाएँ स्वयं निर्धारित एवं विनियमित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

किसी मामले की जाँच करते समय आयोग को न्यायिक शक्तियाँ विहित होती हैं।

विशेषकर निम्नलिखित मामलों में:

- भारत के किसी भू-भाग से किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष बुलाने एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं शपथ कराकर उससे पूछताछ करना;
- किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुतीकरण की मांग करना;
- शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना;
- गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना, तथा
- कोई अन्य मामला, जिसका विनिश्चय राष्ट्रपति करे।

केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग से सलाह लेनी जरूरी है।

स्मरणीय तथ्य

- ☞ *भारतीय संविधान के अनु.-76 (भाग-5) के तहत् महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है।*
- ☞ *भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है।*
- ☞ *भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।*
- ☞ *भारत के महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है।*
- ☞ *सॉलिसिटर जनरल भी एक न्यायिक सलाहकार होता है।*
- ☞ *भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है।*
- ☞ *भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की बैठकों में भी उपस्थित होता है।*
- ☞ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद-280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।*
- ☞ *भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में के. सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया।*
- ☞ *ध्यातव्य है कि राज्य विधान मंडल की राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएँ एवं चयन की रीति विहित करता है।*
- ☞ *राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है।*
- ☞ *प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है तथा इसके अलावा एक उपाध्यक्ष तथा एक सदस्य होते हैं।*
- ☞ *15 मार्च, 1950 ई. को योजना आयोग एक गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा*

GS World Committed To Excellence

परामर्शदात्री संस्था के रूप में गठित हुआ।

- योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पं. जवाहर लाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे।
- ध्यातव्य है कि उपाध्यक्ष को संघ कैबिनेट मंत्री तथा सदस्य एवं सचिव को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।
- योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था 'नीति आयोग' का गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया है।
- यह नई संस्था 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान' (National Institution for Transforming India-NITI) के नाम से जानी जाती है।
- वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया एवं एक सदस्य के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजीव कुमार है।
- भारतीय संविधान के अनुसार, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में व्यस्क मताधिकार के प्रयोग से निर्वाचन का प्रावधान है।
- भारतीय संविधान के भाग-15 में अनुच्छेद-324-329(क) तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-327 के अनुसार, निर्वाचन के प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति संसद तथा राज्य विधानमंडलों को दी गई है।
- ध्यातव्य है कि चुनाव की अधिसूचना संसद के लिए राष्ट्रपति तथा राज्य विधानमंडल के लिए राज्यपाल जारी करता है।
- भारत में 1926 में महिलाओं का सर्वप्रथम मताधिकार प्रदान किया गया।
- अल्पसंख्यक समूहों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अपनायी जाती है।
- ध्यातव्य है कि द्विदलीय प्रणाली अपनाने वाले देशों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली महत्वहीन है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है।
- निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को किया गया था। इसी कारण वर्ष 2011 से इस दिन को 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाया जाता है।
- भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष तथा अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, तक पद धारण करते हैं।
- ध्यातव्य है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।
- निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 10 वर्ष में होने वाली जनगणना के पश्चात् किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- ध्यातव्य है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।
- निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव या मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियाँ तैयार करवाता है।
- चुनाव में धाँधली की शिकायत होने पर चुनाव रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग को है।
- वर्ष 2004 में संपन्न 14वीं लोकसभा का चुनाव प्रथम ऐसा आम चुनाव था जिसमें पूरा मतदान ई.वी.एम. से कराया गया था।
- दल-बदल अधिनियम के अनुसार, संसद या विधानमंडल के सदस्य अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं यदि वे उस दल का साथ छोड़ देते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, लेकिन यदि किसी दल के संसदीय पार्टी के एक-तिहाई सदस्य अलग दल बनाते हैं तो उन पर यह नियम लागू नहीं होता।
- भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल से पहले ही भंग हो जाने पर होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव जबकि मृत्यु, त्याग-पत्र या अयोग्यता के कारण रिक्त होने पर होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं।
- भारतीय संविधान के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल को या दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम लोकसभा की सदस्य संख्या (545) का 10 प्रतिशत अर्थात् 55 सदस्य होने चाहिए।
- भारतीय संविधान के अनुसार, कोई दल राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा या विधानसभा (संबंधित राज्य) के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6 प्रतिशत मत प्राप्त करने के साथ-साथ उसके न्यूनतम दो सदस्य विधानसभा में चुने गए हों या वह राज्य विधानसभा की कुल सीटों में न्यूनतम 3 प्रतिशत सीटें या कम से कम 3 सीटें अवश्य जीती हो।
- राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है।

GS World Committed To Excellence

संवैधानिक निकायों से सम्बन्धित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	निकाय
• अनुच्छेद 76	भारत का महान्यायवादी महालेखा परीक्षक
• अनुच्छेद 148	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
• अनुच्छेद 165	राज्य का महाधिवक्ता
• अनुच्छेद 324	निर्वाचन आयोग
• अनुच्छेद 243K	राज्य निर्वाचन आयोग
• अनुच्छेद 280	वित्त आयोग
• अनुच्छेद 243(I)	राज्य वित्त आयोग
• अनुच्छेद 338	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
• अनुच्छेद 338(A)	अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग
• अनुच्छेद 350(B)	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी

GS World
Committed To Excellence

अध्याय 25

गैर-संवैधानिक निकाय/संस्थाएं

नीति आयोग (Niti Aayog)

1 जनवरी, 2015 को मोदी सरकार द्वारा 65 वर्ष पुराने योजना के स्थान पर एक नए निकाय के रूप में नीति आयोग का सृजन किया गया। सरकार ने यह कदम राज्य सरकारों, विशेषज्ञों तथा प्रासंगिक संस्थानों सहित सभी हित धारकों से गहन विचार विमर्श के बाद उठाया है।

नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रॉन्सफॉर्मिंग इण्डिया) का गठन एक गैर-संवैधानिक अथवा संविधानेत्तर निकाय के रूप में किया गया है। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल या 'थिंक टैंक' है, जो भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रारूप तैयार करते हुए केंद्र व राज्यों को तकनीकी सलाह भी देता है।

नीति आयोग का गठन

- भारत का प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- गवर्निंग कांउसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
- **क्षेत्रीय परिषदें :** विशिष्ट मुद्दों एवं ऐसे आकस्मिक मामलें, जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनायी जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी तथा इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल शामिल होंगे। इन क्षेत्रीय परिषदों का सभापतित्व नीति आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
- **विशिष्ट आमंत्रित :** संबंधित कार्यक्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे।
- पूर्णकालिक संगठनात्मक ढाँचे में (प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अलावा) निम्न के द्वारा गठित की जाएगी-
- **उपाध्यक्ष:**◦ प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- ◦ इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष
- **सदस्य:- (A)** पूर्णकालिक – राज्यमंत्री के पद के समकक्ष (5 सदस्य)
- **(B)** अंशकालिक – अग्रणीय विश्वविद्यालय शोध संस्थाओं और सम्बन्धित संस्थाओं से अधिकतम दो सदस्य
- **पदेन सदस्य:** केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे।
- **पूर्णकालिक:** राज्यमंत्री के पद के समकक्ष (5 सदस्य)
- **मुख्य कार्यकारी** एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री **अधिकारी** द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव पद

विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं

नीति आयोग के अंतर्गत अनेक विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं होती हैं:

☞ ***शोध शाखा:-*** *यह अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों के समर्पित 'थिंक टैंक' के रूप में आंतरिक प्रक्षेत्रीय सुविज्ञता का विकास करती है।*

☞ ***परामर्शदात्री शाखा:-*** *यह सुविज्ञता एवं निधियन के विशेषज्ञ पैनल की एक मंडी उपलब्ध कराता है जिसका उपयोग केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकती है। यहाँ समस्या समाधानकर्ता उपलब्ध हैं- सार्वजनिक एवं निजी, देशी एवं विदेशी। नीति आयोग कुल सेवाएं प्रदान करने के स्थान पर 'मैच मेकर' के रूप में कार्य करता है शोध मामलों में मार्गदर्शक तथा एक समग्र गुणवत्ता जाँचकर्ता का कार्य करता है।*

☞ ***टीम इंडिया शाखा:-*** *इसमें प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि होते है और यह राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार के एक स्थाई मंच के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक प्रतिनिधि:*

(क) सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य/मंत्रालय का मत नीति आयोग में सतत् रूप से सुना जाए।

GS World Committed To Excellence

(ख) राज्य/मंत्रालय तथा नीति आयोग के बीच विकास संबंधी सभी मामलों पर समर्पित संपर्क अंतरापृष्ठ के रूप में प्रत्यक्ष संचार चैनल स्थापित करता है।

नीति आयोग केन्द्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के नजदीकी सहयोग, परामर्श एवं समन्वय में कार्य करता है। यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिए अनुशंसाएं करता है लेकिन निर्णय लेने एवं लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है।

वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य

अध्यक्ष- श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधान मंत्री

उपाध्यक्ष- डॉ. राजीव कुमार

पूर्णकालिक सदस्य - श्री वी.के. सारस्वत
- प्रो. रमेश चंद
- डॉ. वी.के. पॉल

पदेन सदस्यः-

1. श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
2. श्री अमित शाह, गृह मंत्री
3. श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री
4. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री।

विशेष आमंत्रित सदस्यः-

1. श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
2. श्री थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
3. श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री, तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री
4. श्री राव इंद्रजीत सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय

मुख्य कार्यकारी अधिकारी- श्री अमिताभ कांत

उद्देश्य

- सहकारी संघवाद की आवश्यकता को अमलीजामा पहनाने के लिए सतत् आधार पर राज्यों के साथ संरचित सहयोगी व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि सुदृढ़ राज्य ही मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में राज्यों की सक्रिय सहभागिता से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, नीतियों आदि के प्रति साझा दृष्टिकोण का विकास करना।
- इस संदर्भ में नीति आयोग का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों के लिए राष्ट्रीय एजेंडा की रूपरेखा प्रदान करना होगा, जिससे राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान किया जा सके।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय नीति का निर्माण करने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करना।
- समाज के उन वर्गों का विशेष ध्यान रखना, जो कि आर्थिक प्रगति से समुचित रूप से लाभान्वित न हुए हों।
- रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियों एवं कार्यक्रमों की रूप रेखा तथा प्रारूप तैयार करना एवं उनकी प्रगति की जाँच करना। इसके अतिरिक्त जाँच एवं प्रतिपुष्टि (फीड बैक) से प्राप्त अनुभवों के आधार पर नवाचारी सुधार व परिवर्तनों के लिए तत्पर होना जिसमें 'मिड कोर्स करेक्शन' भी शामिल है।
- महत्वपूर्ण हितधारकों एवं समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विद्वानों के साथ ही शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी।
- यह सुनिश्चित करना कि जो क्षेत्र, विशेष रूप से सौंपे गए हैं, उनकी आर्थिक सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण पर फोकस करना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं-

एक अध्यक्ष, एक वर्तमान अथवा सर्वोच्च न्यायालय का भूतपूर्व न्यायाधीश एक वर्तमान अथवा उच्च न्यायालय का भूतपूर्व

GS World Committed To Excellence

मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार के क्षेत्र में जानकारी रखने वाले दो सदस्य और राष्ट्रीय महिला आयोग अनुसूचित जाति तथा जनजातीय आयोग एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष शामिल होते हैं।

- इसके अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
- राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति की संस्तुति पर किया जाता है।

इस समिति में छःसदस्य होते हैं जो इस प्रकार हैं

- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- राज्य सभा के उप-सभापति
- लोकसभा के मुख्य विपक्षी दल का नेता
- राज्यसभा के मुख्य विपक्षी दल का नेता
- गृहमंत्री

अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जाना

राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से निम्नलिखित आधार पर कभी भी हटा सकता है:-

- यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा करे,
- यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी व सजायाफ्ता हो, यदि वह पागल हो जाए
- यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यक्षेत्र से बाहर किसी सवेटनिक पद पर आरूढ हो।

आयोग के कार्य:

साधारणतः आयोग द्वारा स्वीकृत की जाने वाली मानवाधिकार के उल्लंघन सम्बन्धी याचिकाओं की प्रकृति इस प्रकार होनी चाहिए:-

- शिकायत अर्द्ध-न्यायिक प्रकार की होनी चाहिए।
- घटना एक वर्ष से कम समय की होनी चाहिए।
- शिकायत आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही होनी चाहिए।
- इस प्रकृति के किसी भी शिकायत पर आयोग निम्नलिखित कदम उठा सकता है।
- मानवाधिकार के उल्लंघन के शिकायतों अथवा स्वतः संज्ञान लेकर जांच करना।
- जेलों में बन्द कैदियों की स्थिति का अवलोकन करना तथा मानवोचित सुविधाओं के लिए सिफारिशे करना।
- न्यायालयों में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।
- मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों, सन्धियों आदि का अवलोकन करना तथा उनके प्रभावी अनुपालन हेतु सिफारिशें करना।
- मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना।
- मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना।

नोटः

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियाँ है तथा इसका चरित्र न्यायिक है।

- मानवाधिकारों के उल्लंघन के सन्दर्भ में आयोग केन्द्र अथवा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी या रिपोर्ट की मांग कर सकता है। आयोग जांच के उपरांत निम्नलिखित कदम उठा सकता है:-
- आयोग पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए सम्बन्धित सरकार (केन्द्र या राज्य) या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकती है।
- आयोग सम्बन्धित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है।
- यह आयोग बंदीकरण हेतु दोषी पाए गए प्राधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित सरकार से सिफारिश कर सकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिकाः

- आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन के सन्दर्भ में सिर्फ अन्वेक्षणात्मक तथा सिफारिश भूमिका का निर्वहन करता है। अर्थात वह मानवाधिकार के उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है।
- आयोग पीड़ित को आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता भी नहीं दे सकता है।
- आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को सरकार नकार नहीं सकती और आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों पर कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट सरकार द्वारा एक महीने के भीतर देना आवश्यक है।
- स्मरणीय है कि आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार अथवा अधिकारी बाध्य नहीं है।

GS World Committed To Excellence

राज्य मानवाधिकार आयोग

भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 के अंतर्गत ही राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गयी है। मानवाधिकार शब्द को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-2(घ) में परिभाषित किया गया है। राज्य मानव अधिकार आयोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भांति शक्तियाँ एवं अधिकार प्राप्त है। परन्तु राज्य मानवाधिकार केवल उन्ही मामलों की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्यसूची एवं समवर्ती सूची के तहत आते हैं।

- राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीम निकाय है। इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं दो अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा इस हेतु गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृहमंत्री तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं।
- राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत या कार्यरत न्यायाधीश होता है। तीसरा सदस्य जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जिसे सातवर्ष का अनुभव हो अथवा मानवाधिकारों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है।
- इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनो में से जो पहले हो, तक होता है। स्मरणीय है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परन्तु इन्हे पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य

- मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत का स्वतः संज्ञान लेकर जांच करना।
- किसी न्यायालय में लंबित मानवाधिकार संबंधी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।
- मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाई गई विधियों व उपबन्धों की समीक्षा करना।
- सजायाफ्ता बंदियों की स्थिति का अध्ययन कर मूलभूत मानवीय सुविधाओं की सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सन्धियों व मानकों के आधार पर सिफारिशें करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को सहयोग एवं प्रोत्साहन देना आदि।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार का एक विधिक अधिकरण है। इसका गठन 1964 में एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इस आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया।

आयोग की संरचना:

केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक आयुक्त (चेयरपर्सन) तथा अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति के लिए एक समिति गठित की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होते हैं।

इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक जो भी पहले हो, तक होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य:

आयोग के कार्यों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- यह भारत सरकार के निर्देश पर ऐसी कोई भी अन्वीक्षा कर सकता है जिसमें सरकार या इसके प्राधिकरण का कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत संलिप्त पाया गया हो।
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 के तहत निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करना।

  1. भारत सरकार के ग्रुप 'A' के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी
  2. केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी

- दिल्ली विशेष पुलिस इस्टेब्लिशमेंट (DSPE) द्वारा भ्रष्टाचार प्रतिषेध या निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत की जाने वाली जाँच का निरीक्षण करना।
- अनुशासनात्मक मुद्दों पर अन्य प्राधिकरणों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सलाह देना आदि।

कार्यप्रणाली

केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपने कार्यों के समुचित संचालन हेतु शक्ति सम्पन्न बनाया गया है।

- इसके पास दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ हैं तथा यह न्यायिक प्रकृति की है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति द्वारा इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होता है।

GS World Committed To Excellence

लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013

प्रमुख बिंदु

लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट, 2013 के मुख्य बिंदु है:

- यह केंद्र में लोकपाल की स्थापना करना चाहता है, राज्यों में लोकायुक्त का। इस तरह यह राज्य और केंद्र के स्तर पर देश के लिए एक निगरानी तथा भ्रष्टाचार विरोधी रोडमैप प्रस्तुत करता है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य और A, B, C और D श्रेणी के अफसर तथा केंद्र सरकार के अफसर आते हैं।
- लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा तथा अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिनमें 50% सदस्य न्यायिक सेवा के होंगे।
- लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के बीच से होंगे।
- एक चयन समिति जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश और कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के चार सदस्यों की अनुशंसा पर नामित होंगे, वे सब लोकपाल का अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों का चयन करेंगे।
- एक सर्च समिति, चयन समिति (Search commettee, selection committee) की मदद करेगी, सदस्यों के चयन में सर्च समिति के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के वर्ग से आते हैं।
- प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है लेकिन बहुत सारे विषयों में वे लोकपाल से परे हैं। उनके खिलाफ आरोप के निपटारे के लिए विशेष प्रक्रिया अपनायी जाएगी।
- लोकपाल के दायरे (अधिकार क्षेत्र) में सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारी है-ग्रुप A,B,C तथा D अधिकारियों सहित। केंद्रीय सतर्कता आयोग को लोकपाल द्वारा शिकायत भेजे जाने पर CVC (केन्द्रीय सतर्कता आयोग) ग्रुप A और B अधिकारियों से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिक जांच के लिए वापस लोकपाल के पास भेज देता है आगे की कार्रवाई के लिए। ग्रुप C तथा D के कर्मचारियों के मामले में सतर्कता आयोग अपने ही शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेगा। आयोग एक्ट के तहत ऐसा करेगा। वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक्ट के तहत ऐसा करेगा। अपनी रिपोर्ट वह लोकपाल को भेजेगा जो उसकी समीक्षा करेगा।
- लोकपाल को यह अधिकार होगा कि लोकपाल द्वारा प्रेषित मामलों पर वह किसी भी जांच-एजेंसी पर अधीक्षण तथा दिशा-निर्देश करे। सीबीआई पर भी।
- एक उच्च स्तरीय समिति (High powered committee) जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, वह केंद्रीय जांच ब्यूरो के चुनाव के लिए अनुशंसा करेंगे।
- इसमें वे प्रावधान शामिल हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों में प्राप्त की गई संपत्ति को जब्त करेंगे तब भी जबकि अभियोजन की प्रक्रिया बाकी हो।
- उसमें समय-सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की हुई है। प्रारंभिक जांच के लिए यह तीन माह है जो और बढ़ाया जा सकता है। विधिवत जांच के लिए यह छह माह है, जो कि एक बार में छह माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। मुकदमे की समय सीमा एक साल है जो कि एक साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह मुकदमा विशेष अदालत गठित कर चलाया जाना चाहिये।
- यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (Prevention of corruption Act) के तहत अधिकतम दंड 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करता है।
- सभी इकाईयों जिन्हें विदेशों से दान में पैसा मिलता है और नो FCRA यानी विदेशी योगदान (विनिमय) एक्ट के तहत 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा अनुदान पाते हैं। वो लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिए गए है।
- इस एक्ट के लागू होने की तिथि से लेकर 365 दिनों की अवधि के भीतर राज्य अधिकार प्राप्त है। अत: यह एक्ट राज्यों को यह आजादी देता है कि उनके यहाँ लोकायुक्त की संरचना कैसी हो।

केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गयी थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन धारा-13 में सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवाशर्तें तथा धारा-14 में उन्हें पद से हटाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गयी थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है।

केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना व कार्यकाल

इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त (अधिकतम 10) होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में (2019), आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त छह सूचना आयुक्त है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा

GS World Committed To Excellence

एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त का अनुभव होना चाहिये तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिये। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिये। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों तथा वे कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी न करते हों।

मुख्य सूचना एवं अन्य आयुक्त ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो या पैंसठ वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्तों को निम्न प्रकारों से उनके पद से हटा सकता है:

- *यदि वे दीवालिया हो गये हों; या*
- *यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो (राष्ट्रपति की नजर में); या*
- *यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों;या*
- *यदि वे (राष्ट्रपति की नजर में) में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निवर्हन करने में अक्षम हों; या*
- *वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुये पाये जाते हैं, जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती हो।*

इसके अलावा, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं। हालाँकि, इन मामलों में, राष्ट्रपति मामले को जाँच के लिये उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं तथा यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं।

मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन उनके सेवाकाल में उनके वेतन-भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

सूचना आयुक्त के कार्य एवं शक्तियां

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18-20 तक निम्नांकित शक्तियां एवं कृत्य सूचना आयोग को सौंपे गए हैं। अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आयोग निम्न शिकायतों एवं जानकारियों का निराकरण करे:

- जन-सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो,
- किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित सूचना निर्धारित समय में न दी गयी हो,
- व्यक्ति द्वारा मांगी गयी सूचना निर्धारित समय में न दी गयी हो
- यदि उसे लगता हो कि सूचना के एवज में मांगी गयी फीस सही नहीं है, आदि।

आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें, इसमें

- किसी विशेष सूचना तक पहुँच
- जहाँ कोई जनसूचना अधिकारी नहीं है वहाँ ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश देना
- सूचना के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था
- इसके तहत अर्थदण्ड लगाना
- किसी याचिका को अस्वीकार करना

सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से जनता को सूचना हासिल करने का अधिकार अनुच्छेद-19 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है।

- सूचना नागरिक द्वारा लिखित रूप में 10 रुपए के स्टाम्प से आवेदन कर मांगा जा सकता है। गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
- सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-7(1) के अनुसार सूचना अधिकारी 30 दिनों के अन्दर मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाएगा और यदि यह सूचना किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित है तो इसे आवेदन के 48 घण्टों के भीतर प्राप्त किया जा सकता है।
- सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधान केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वयंसेवी संगठनों सभी पर लागू होंगे।
- सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत इंटेलिजेंश विभाग खुफिया विभाग वैज्ञानिक शोध विभाग, परमाणु एवं अंतरिक्ष विभाग तथा रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े क्षेत्रों को RTI के दायरे से बाहर रखा गया है।

राज्य सूचना आयोग

केंद्रीय सूचना आयोग की भांति सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ही राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकारयुक्त स्वतंत्र निकाय हैं। यह राज्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से जनता को सूचना उपलब्ध कराती है।

GS World Committed To Excellence

राज्य सूचना आयोग की संरचना

राज्य सूचना आयोग का गठन एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 अन्य सूचना आयुक्तों से मिलकर हुआ है। इनकी नियुक्ति एक समिति जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री, विधान सभा में विपक्ष का नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

- राज्य सूचना आयोग का सदस्य बनने के लिए सदस्यों को सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन आदि क्षेत्रों में विशिष्ट अनुभव होना चाहिए।
- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है।

राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ एवं कार्य

आयोग को निम्न मामलों की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं:-

- सम्बन्धित राज्य के किसी न्यायालय एवं कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मांगना
- किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करना
- दस्तावेजों का परीक्षण करना
- हलफनामा के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करना, आदि।

आयोग को अपने निर्णय का अनुपालन किसी सार्वजनिक प्राधिकारी से कराने की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत

- किसी विशेष रूप से सूचना तक पहुँच
- सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन
- सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था
- आवेदक द्वारा अपेक्षित सूचना के न मिलने पर अथवा नुकसान की स्थिति में आयोग सम्बन्धित प्राधिकारी को इसका मुआवजा देने का आदेश देना आदि।

सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम, 2019

प्रमुख प्रावधान:-

- मुख्य सूचना आयुक्त तथा कोई सूचना आयुक्त उतनी अवधि तक पद पर बना रहेगा जितनी केंद्र सरकार निश्चित करे। इसके पहले यह अवधि, अर्थात् कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत था।
- मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगी। इस संशोधन के पहले, मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समकक्ष थीं।
- संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी। संशोधन के पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के वेतन-भत्ते तथा सेवा शर्तें क्रमशः चुनाव आयुक्त तथा राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष थे।
- संशोधन द्वारा उन प्रावधानों को हटा दिया गया, जिनमें मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त की पूर्व की सरकारी सेवाओं के एवज में प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन आदि के विरुद्ध उनके वेतन में कटौती की जाती थी।

दल-बदल कानून (Anti-Defection Law)

भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था की। स्वतंत्रता पश्चात् भारत में कई दशकों तक एक ही दल का प्रभाव बना रहा। परन्तु प्रान्तों में स्थानीय राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव में अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में सत्ता के लालच में दल-बदल करने लगे। कालांतर में यह एक अनिवार्य बुराई बन गयी। इस समस्या से निजात पाना आवश्यक हो गया था। फलतः भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची जिसे 'दल बदल विरोधी कानून' कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। दल बदल विरोधी कानून-1985 के तहत किसी भी प्रतिनिधि को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

- यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में अपने दल के विरूद्ध वोट किया जाता है।
- यदि वह निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ दिया जाता है।
- यदि कोई सदस्य स्वयं को सदन में वोटिंग से अलग रखता है।
- छः महीने की समाप्ति के पश्चात यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- इसके अतिरिक्त यदि कोई मनोनीत सदस्य अपना पद धारण करने के छः माह के पश्चात किसी राजनीतिक दल की

GS World Committed To Excellence

सदस्यता ग्रहण कर ले।

91वां संविधान संशोधन अधिनियम (2003)

दल बदल विरोध अधिनियम के प्रावधानों को सुदृढ़ता प्रदान करने तथा इसे और प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम से विधि में परिवर्तन किया गया है।

- इस संशोधन के माध्यम से मंत्रिमंडल का आकार भी 15 फीसदी सीमित कर दिया गया है।
- संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य यदि दल-बदल कानून के तहत दोषी ठहराया गया है, तो वह किसी मंत्री पद को धारण नहीं कर सकता है।
- इस संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची की धारा-3 को समाप्त कर दिया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि एक-. तिहाई सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे।
- इस अधिनियम के तहत राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री सहित विधानमंडल के कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। परन्तु मुख्यमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या का 12 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

संवैधानिक निकाय
(CONSTITUTIONAL BODIES)

नाम/पद	योग्यता/सदस्य	नियुक्ति	कार्यकाल	पद से हटाना	पुनर्नियुक्ति
मुख्य निर्वाचन आयोग (अनु. 324)	संविधान में योग्यता निर्धारित नहीं	राष्ट्रपति	6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो	महाभियोग	हो सकती है।
संघ लोक सेवा आयोग (अनु. 315 से 323)	भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम 10 वर्ष काम का अनुभव हो।	राष्ट्रपति	6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो	सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा	• **अध्यक्ष** (नही हो सकती) • **सदस्य** (UPSC के अध्यक्ष या PSC के अध्यक्ष पर नियुक्त हो सकते है।)
राज्य लोक सेवा आयोग (अनु. 315 से 323)	भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम-से कम 10 वर्ष काम का अनुभव हो।	राज्यपाल	6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो	सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा	• **अध्यक्ष**-UPSC के अध्यक्ष या सदस्य या PSC के अध्यक्ष पर नियुक्ति हो सकते है। • **सदस्य**-same as अध्यक्ष
वित्त आयोग (अनु. 280)	**अध्यक्ष**- सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। **सदस्य-** 1. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या योग्य व्यक्ति 2. लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान 3. प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का अनुभव 4. अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति तय करेगा (सामान्यत: 5 वर्ष होगी)	----	हो सकते है।

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (अनु.338)	राष्ट्रपति तय करता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते है।	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति तय करता है (नियमानुसार कार्यकाल 3 वर्ष)	---	----
अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (अनु.-338क)	राष्ट्रपति तय करता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते है।	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति तय करता है (नियमानुसार कार्यकाल 3 वर्ष)	---	---
भाषाई अल्पसंख्यक (अनु.-350ख) वर्गों के लिए विशेष अधिकारी (अनु.350ख)	---	राष्ट्रपति	---	---	---
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनु.148)	भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षो के काम का अनुभव	राष्ट्रपति	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो	महाभियोग	नहीं हो सकती
भारत के महान्यायवादी (अनु.-76क)	उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है।	राष्ट्रपति	निश्चित नही	राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत	हो सकती है।
राज्य का महाधिवक्ता (अनु. 165)	उसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए	राज्यपाल	निश्चित नही	राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत	हो सकती है।
राज्य वित्त आयोग (अनु.-243 आई)	same as वित्त आयोग	राज्यपाल	राज्यपाल तय करेगा (सामान्यत: 5 वर्ष)	---	हो सकती है।
राज्य निर्वाचन आयोग (अनु. 243के)	निर्धारित नहीं	राज्यपाल	राज्यपाल निर्धारित करेगा	महाभियोग	हो सकती है।

Committed To

क्रम.स.	संवैधानिक निकाय	अनुच्छेद
1.	निर्वाचन आयोग	324
2.	संघ लोक सेवा आयोग	315 से 323
3.	राज्य लोक सेवा आयोग	315 से 323
4.	वित्त आयोग	280
5.	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग	338
6.	अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग	338 क
7.	भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी	350 ख
8.	भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	148
9.	भारत के महान्यायवादी	76
10.	राज्य का महाधिवक्ता	165
11.	राज्य वित्त आयोग	243 आई
12.	राज्य निर्वाचन आयोग	243 के
13.	जिला योजना समिति	243 जेड डी
14.	महानगरीय योजना समिति	243 जेडई
15.	अंतर्राज्यीय परिषद	263
16.	अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग	307
17.	राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति	344
18.	सहकारी समितियां	243 जेडएच से 243 जेडटी
19.	प्रशासनिक अधिकरण	323 क
20.	अन्य मामलों के अधिकरण	323 ख
21.	वस्तु एवं सेवा कर परिषद्	279 क
22.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	338 B

Committed To Excellence

गैर-संवैधानिक निकाय (NON- CONSTITUTIONAL BODIES)					
नाम/पद	**योग्यता/सदस्य**	**नियुक्ति**	**कार्यकाल**	**पद से हटाना**	**पुनर्नियुक्ति**
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (सांविधिक)	1 अध्यक्ष 4 सदस्य **अध्यक्ष**-भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। **सदस्य**-एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। दो अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या कार्यानुभव होना चाहिए। **चार अन्य पदेन सदस्य-** • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग • राष्ट्रीय महिला आयोग	राष्ट्रपति द्वारा समिति के माध्यम से **समिति-** • प्रधानमंत्री • लोकसभा अध्यक्ष • राज्यसभा के उपसभापति • केन्द्रीय गृहमंत्री • दोनों सदन के विपक्ष के नेता	5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो	राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर	नहीं हो सकती है।
राज्य मानवाधिकार आयोग (सांविधिक)	1 अध्यक्ष 2 सदस्य अध्यक्ष-उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश **सदस्य** -उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश। जिला न्यायालय का न्यायाधीश। वे भी सदस्य बन सकते है जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो।	राज्यपाल द्वारा समिति के माध्यम से **समिति-** • मुख्यमंत्री • विधानसभा अध्यक्ष • राज्य का गृहमंत्री • विधानसभा के विपक्ष नेता • अगर राज्य में विधान परिषद हो तो अध्यक्ष एवं विपक्ष के नेता	5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो	राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर	नहीं हो सकती है।

नाम/पद	योग्यता/सदस्य	नियुक्ति	कार्यकाल	पद से हटाना	पुनर्नियुक्ति
केंद्रीय सूचना आयोग	1 मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते है जिनकी संख्या 10 से अधिक न हो। • सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव, विधि, विज्ञान एवं तकनीकि, सामाजिक सेवा, प्रबंधन पत्रकारिता आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए।	राष्ट्रपति **समिति-** • प्रधानमंत्री • लोकसभा के विपक्ष के नेता • प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री	केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या 65 वर्ष जो भी पहले हो	राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर	नहीं हो सकती है।
राज्य सूचना आयोग	same as केंद्रीय सूचना आयोग	राज्यपाल **समिति-** • मुख्यमंत्री • विधानसभा में विपक्ष के नेता • मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री	केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या 65 वर्ष जो भी पहले हो	राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर	नहीं हो सकती है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सांविधिक)	अध्यक्ष और दो या दो से कम सदस्य	राष्ट्रपति **समिति-** • प्रधानमंत्री • लोकसभा के विपक्ष के नेता • केंद्रीय गृहमंत्री	4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो	राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर	नहीं हो सकती है।
संयुक्त लोक सेवा आयोग	राष्ट्रपति निर्धारित करेगा	राष्ट्रपति	6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो	राष्ट्रपति	---

निकाय/आयोग/संस्थाएँ

संवैधानिक

यह वह संस्थाएँ होती है जिनका वर्णन संविधान में किया गया हो।

गैर-संवैधानिक

- **सांविधिक**

  जिनका निर्माण संसद द्वारा एक कानून बनाकर किया गया हो।

- **गैर-संवैधानिक**

  जिनका निर्माण मंत्रिपरिषद के आदेश से किया गया हो।

अध्याय 26

संविधान में किए गए अब तक के संशोधन

प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम (1951)

- 1951 में हुए संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद-15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 में संशोधन किए गए तथा दो नए अनुच्छेद 31(क) एवं 31 (ख) जोड़े गए।
- 9वीं अनुसूची को भी इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
- अनुच्छेद-31(क) को जोड़कर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान की गयी।
- अनुच्छेद-31(ख) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल प्रावधानों की वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है।
- अनुच्छेद-15(घ) को जोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई।
- अनुच्छेद-19(2) में संशोधन करके लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्री सम्बन्ध तथा अपराध के उद्दीपन के आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगायी गयी।

दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम (1952)

- इस संशोधन के तहत लोकसभा के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को 1951 की जनगणना के आधार पर समायोजित किया गया।

5वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1956)

- इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित संघीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय-सीमा का निर्धारण करे।

7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1956)

- इसके अनुसार राज्यों का अ,ब,स, और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिया गया।
- इसके तहत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके राज्यों को 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था।

10वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1961)

- 1961 में इस संशोधन दाहर दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया।

11वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1961)

- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मण्डल अपूर्ण है।

24वाँ संविधान संशोधन (1971)

- इसके तहत कहा गया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है।

26वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1971)

- इसके द्वारा भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रिवीपर्स के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया।

31वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1972)

- इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया।

35वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1974)

- इसके द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

GS World Committed To Excellence

36वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1975)

- सिक्किम का भारत में 22वें राज्य के रूप में विलय

39वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1975)

- इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोक सभा अध्यक्ष से संबंधित विवादो को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है।

42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1976)

इसके द्वारा संविधान की उद्देशिका में निम्न परिवर्तन किए गए-

- संविधान की उद्देशिका में ''धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी तथा अखण्डता शब्द जोड़े गए
- भाग-4(क) तथा अनुच्छेद-51 क जोड़कर नागरिकों के 11वाँ मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया।
- लोकसभा तथा विधान सभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गयी।
- संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
- केन्द्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह जब चाहे, तब राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है।
- संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह यह निर्धारण कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है।
- तीन नए निदेशक पद समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबन्धन में कर्मकारों का भाग लेना।
- पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
- भारत के किसी भू-भाग में राष्ट्रीय आपदा घोषित करना।
- राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि एक बार में 6 माह से एक साल तक की बढ़ोतरी।

43वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1977)

इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की कुछ धाराओं को निरस्त किया गया।

- न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का पुनर्संयोजन।
- राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापों के सन्दर्भ में विधि बनाने की संसद की शक्ति हटा दी गई।

44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1978)

- लोक सभा तथा राज्य सभा का कार्यकाल पूर्ववत (5 वर्ष) कर दिया गया।
- सम्पत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी विवाद के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकृत किया गया।
- राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह जो उसे दी गयी है, को पुन: मंत्रिमंडल के विचार के लिए भेज सकता तथा पुन: दी गयी सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा।
- अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति राज्यपाल एवं प्रशासक की सतुष्टि के उपबन्ध को समाप्त किया गया।
- राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी करेगा, जब उसे कैबिनेट द्वारा लिखित सिफारिश की जाए।
- राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद-20 तथा 21 निलंबित नहीं होंगे।

52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1985)

- इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 10, 102, 190 तथा 192 में संशोधन करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया।

61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1989)

- लोकसभा व राज्य विधान सभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।

69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1991)

- केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया।
- इसके अतिरिक्त दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर 70 विधान सभा तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 10% निश्चित किया गया।

71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992)

- कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
- 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या-18 हो गयी।

GS World Committed To Excellence

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992)

- इसके तहत संविधान में भाग-9 तथा अनुच्छेद 243, 243-क से ण तथा अनुसूची-11 को जोड़कर सम्पूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया।

74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992)

- इसके द्वारा संविधान में भाग-9(क) तथा अनुसूची-12 जोड़कर नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया।

77वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1995)

- संविधान के अनुच्छेद-16 में एक नया उपखण्ड (4क) जोड़कर प्रावधान किया गया कि राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा।

86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2002)

- इस संशोधन द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है, इसे अनुच्छेद-21(क) के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है।
- इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद-45 तथा-51(क) में संशोधन का प्रावधान हैं।

89वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2003)

- इस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का दो भागों में विभाजन किया गया।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग- अनुच्छेद-338
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-अनुच्छेद-338 'ए'

91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2003)

- इस संशोधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों को लोक पद धारण (मंत्रिपरिषद) करने से रोकना तथा दल-बदल विरोधी कानून को और दृढ़ता प्रदान करना था।
- इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करते हुए प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत विनिश्चित किया गया।
- राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या संबंध राज्य की विधान सभा के कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत निश्चित किया गया।
- राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या संबंधित राज्य की विधान सभा के कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत निश्चित किया गया तथा यह भी जोड़ा गया कि मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 होगी। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में वर्णित ''यदि किसी दल के एक-तिहाई सदस्य दल-बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता।'' इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया।

92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2003)

- 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी तथा संथाली भाषाओं को शामिल किया गया, फलत: 8वीं अनुसूची में कुल-22 भाषाएं हो गयी।

97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2011)

- इस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद-19 में शामिल किया गया।

99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2014)

- इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद-124 (A,B,C) जोड़कर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करना या किन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया।

100वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2015)

- इसके तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता किया गया।

GS World Committed To Excellence

101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2016)

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) सम्बन्धित प्रावधान किया गया।

102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जो 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था।
- पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी।
- राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया।

103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019

- नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाना।
- राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों के लिए 10% सीटों तक के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई है, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त न हो, अल्पसख्यंक शैक्षणिक संस्थानों की अपेक्षा करता है। 10% तक का यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
- राज्य को ऐसे वर्गों के पक्ष में 10% नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी। 10% तक का यह आरक्षण मौजूदा के अतिरिक्त होगा।

GS World Committed To Excellence

GS World

All Programme

01 **Everyday**
प्रतिदिन प्रत्येक कक्षा के पूर्व 10 बहुविकल्पीय प्र श्नों का टेस्ट

02 **Everyday**
प्रत्येक कक्षा के पूर्व 10 मिनट का **Writing Skill Development Program.**

03 **Everyday**
अंग्रेजी समाचार पत्रों (**Hindu,TOI, BS, ET, LM**) का संभावित प्रश्नों के साथ अनुवादित आलेख

04 **Every Sunday**
Current Affairs की कक्षा के पूर्व समाचार पत्रों के आलेख पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों एवं लिखित प्र श्नों का टेस्ट

05 **Everyday**
Prelims Capsule, Short News & PIB Picture

06 **Every Saturday and Sunday**
3-3 घंटे की **Current Affairs** की कक्षाएं एवं अद्यतन नोट्स

07 **Half Monthly**
समाचार पत्रों एवं पीआईबी के महत्वपूर्ण आलेख (संभावित प्र श्नों के साथ)

08 **Every Sunday**
IAS एवं **State PCS** के लिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा पर आधारित टेस्ट सीरिज

09 **Every Thursday**
निबंध लेखन में सुधार के लिए प्रत्येक गुरूवार को - **'Essay of The Week'**

10 **Every Saturday**
NCERT आधारित बहुविकल्पीय एवं लिखित प्रश्नों का टेस्ट

11 **Every Month**
योजना, कुरूक्षेत्र, राज्यसभा, लोकसभा टीवी डिबेट, वर्ल्ड फोकस, ईपीडब्ल्यू आदि पर आधारित लिखित टेस्ट

12 **Every Month**
प्रत्येक माह में एक बार दो प्र श्नों का निबंध टेस्ट (250 अंक)

13 **Every Tuesday & Friday**
संपादकीय सारां श- चर्चा में रहे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित ऑडियो आर्टिकल

14 **Everyday**
You Tube - Daily Update Video
GS World IAS Institute

15 **Everyday**
Basic NCERT Class

ये तस्वीरें महज छात्रों की संख्या को नहीं, बल्कि हमारे संस्थान पर उनके विश्वास को दर्शाती हैं...

Batch : 11:30 AM

Batch : 11:45 AM

Batch : 3:00 PM

Batch : 6:30 PM

हेमंत सती
(IAS)

GS World संस्थान न केवल भावी आईएएस का निर्माण करता है, बल्कि यह एक छात्र के व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता करता है। सबसे बढ़कर इस संस्थान के गुरूजनों का व्यक्तिगत मार्गदर्शन निःसंदेह बेजोड़ है, जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं होता। इन मानकों पर देखें तो GS World सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे बेहतर अध्यापकों की टीम संस्थान से जुड़ी हुई है। मैं एक बार पुनः जीएस वर्ल्ड की पूरी सहयोगी टीम को धन्यवाद देता हूं।

अतुल शर्मा
(IPS-UP Cadre)

GS World संस्थान के अनुभवी शिक्षक मंडल तथा कुशल प्रबंधकीय टीम इसे अन्य संस्थानों से अधिक प्रभावी बनाते हैं। इसके साथ ही साथ बेहतर कक्षा कार्यक्रम, लेखन शैली पर विशेष ध्यान, उत्तर-पुस्तिका का अच्छी तरह से मूल्यांकन, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए समय-समय पर आयोजित परिचर्चाएं GS World संस्थान को सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प बनाता है।

अजय साहनी
(IPS-UP Cadre)

एक विद्यार्थी के लिए सिविल सेवा में अंतिम सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीन चीजें होती हैं- बेहतर अध्ययन सामग्री, अनुभवी शिक्षक एवं प्रबंधन का नजरिया विद्यार्थियों के हितोनुरूप हो। जब मैं GS World संस्थान को देखता हूँ तो इस बात से आश्वस्त हो जाता हूँ कि यहाँ पर एक अभ्यर्थी सिविल सेवा की संपूर्ण तैयारी कर सकता है। निजी तौर पर संस्थान के निदेशक नीरज सिंह के प्रशासनिक अनुभव से मैं भलीभांति परिचित हूँ। मेरे अनुसार GS World संस्थान एक अभ्यर्थी के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।

धवल जायसवाल
(IPS-UP Cadre)

सफलता के लिए पढ़ने की सही रणनीति उतनी ही जरूरी है जितनी अध्ययन सामग्री और GS World एक ऐसा संस्थान है जहां पर अभ्यर्थी अध्ययन सामग्री के साथ-साथ उसे किस प्रकार जल्दी और अच्छे ढंग से पढ़े इसकी रणनीति भी सीखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, संस्थान द्वारा तैयार की गई NCERT पुस्तकों की अध्यायवार रणनीति। इसके अलावा GS World संस्थान को जो बात सबसे अलग बनाती है वह है विद्यार्थियों को मिलने वाला व्यक्तिगत मार्गदर्शन। इस प्रकार मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि GS World सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूर्णतः समर्पित संस्थान है।

GS World की Online Class एवं Online Test-Series के लिए अपने Mobile के Play Store से "GS World IAS Institute" App Install करें...

9654349902

घर बैठे प्रतिदिन सामान्य अध्ययन के नए वीडियो प्राप्त करने के लिए QR Code स्कैन कर के हमारे You tube चैनल (GS World IAS Institute) से जुड़ें और प्रतिदिन नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें...

You tube

घर बैठे प्रतिदिन सामान्य अध्ययन के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी सहित विभिन्न समाचार पत्रों के आर्टिकल एवं उससे संबंधित संभावित प्रश्नों तथा PIB सहित विभिन्न Current Affairs की पीडीएफ एवं अन्य उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए QR Code स्कैन कर के हमारे वेबसाइट (www.gsworldias.com) से जुड़ें...

Website

नोटः– QR Code Scan करने के लिए अपने Mobile के Play Store से कोई भी QR Code Scanner Install करें...

Delhi Centre
629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 011-27658013, 7042772062/63

Prayagraj Centre
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Chauraha, Prayagraj
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

Lucknow Centre
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894